R.N.I. No.HIN/2002/8718 www.aksnews.com M.P./BHOPAL/642/2024-26

In Pursuit of Truth
पाक्षिक
अक्स
वर्ष : 23 । अंक : 24
16 से 30 सितंबर 2025
पृष्ठ : 48
मूल्य : 25 रु.

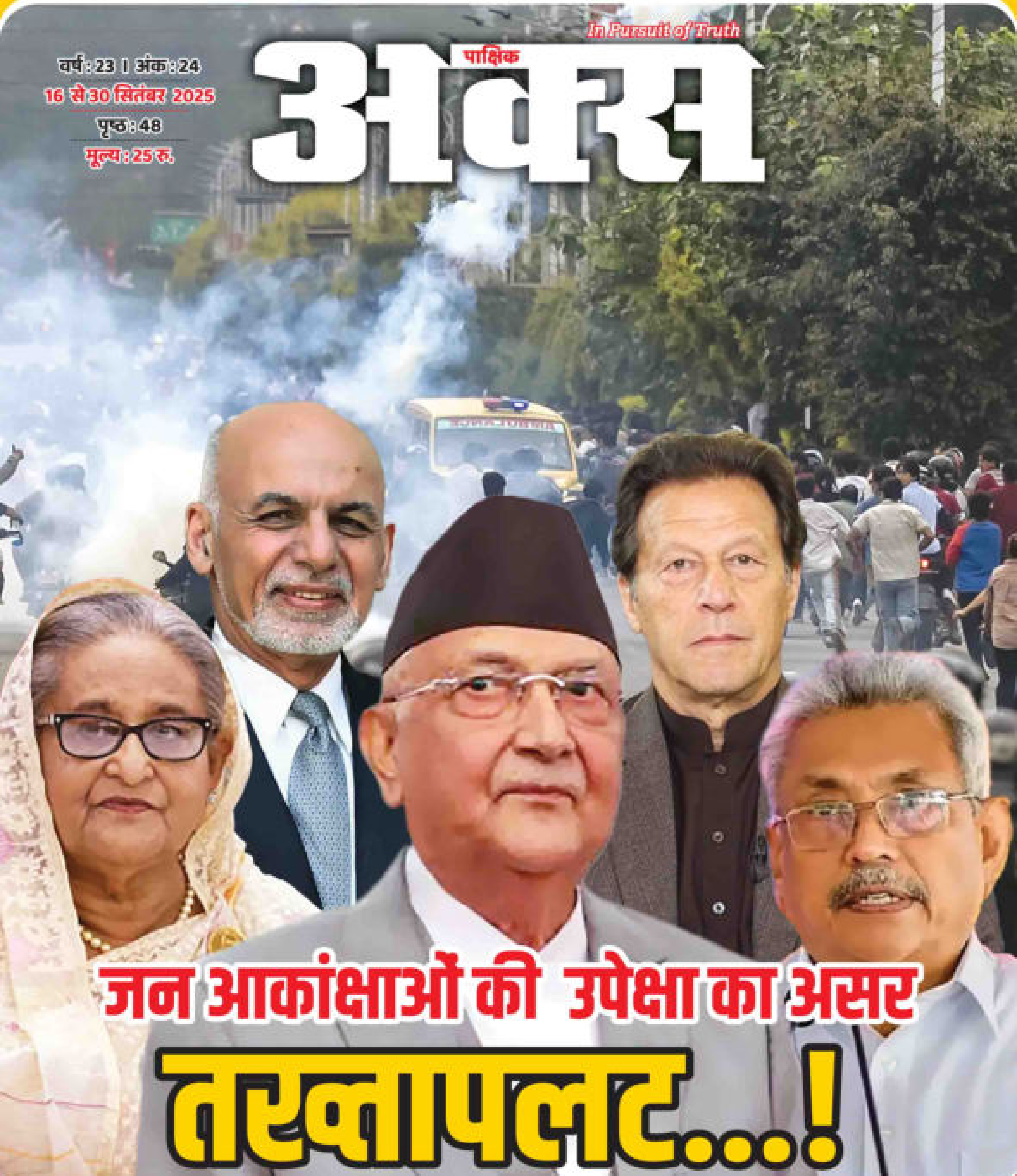

जन आकांक्षाओं की उपेक्षा का असर

तख्तापलट....!

नेपोटिज्म में उलझी सियासत, बेरोजगारी, महंगाई और पीढ़ियों का गुस्सा

4 साल में 4 पड़ोसी देशों में हुए सत्ता परिवर्तन, भारत को लेना होगा सबक

mycem cement

HEIDELBERGCEMENT

mycem power

Trusted German Quality

Over 150 Years

Send 'Hi' 7236955555

इस अंक में

विडंबना

8 | **इधर विकास... उधर खस्ताहाल**

मप्र में एक तरफ सरकार सड़कों का जाल बिछा रही है, वहीं दूसरी तरफ स्थिति यह है कि निर्माण के कुछ महीनों के बाद ही सड़कें खराब हो रही हैं। जिसको देखकर अक्सर लोग कहने को मजबूर हो जाते हैं कि गारंटी पीरियड...

डायरी

10-11 | **संतुलन के आधार...**

मप्र में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और मुख्य सचिव अनुराग जैन आगामी 3 सालों की कार्ययोजना बनाकर अफसरों की जमावट कर रहे हैं। इसके लिए कोशिश यह की जा रही है कि जरूरत और अनुभव के आधार पर...

योजना

20 | **अभी नहीं बदलेंगी...**

मप्र में संभाग, जिला, तहसील और विकासखंड की सीमाओं में परिवर्तन संभवत: मार्च 2027 के बाद ही होगा। इसकी वजह यह है कि तहसील और जिलों की सीमाएं जनगणना के बाद ही तय होगी। बता दें, प्रदेश सरकार ने मार्च, 2024 में प्रशासनिक...

जंगलनामा

22 | **टाइगर स्टेट बनता जा...**

मप्र की पहचान अब टाइगर स्टेट के अलावा लैपर्ड स्टेट, घड़ियाल स्टेट और चीता स्टेट की भी हो गई है, लेकिन प्रदेश में टाइगर, लैपर्ड सहित सभी वन्य प्राणी शिकारियों के निशाने पर हैं। मप्र में पिछले 5 सालों के दौरान 2274 वन्य प्राणियों की हत्याएं हुई हैं। इनमें चीतों के लिए विश्व पटल...

आवरण कथा 24, 25, 26, 27, 28

नेपाल में सोशल मीडिया बैन, भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद के विरोध में शुरू हुए प्रदर्शन के 30 घंटे के भीतर ही प्रधानमंत्री को अपना पद छोड़ना पड़ा, जिसके कारण नेपाल में तख्तापलट हुआ है। लेकिन ऐसे ही हालात कुछ साल पहले भारत के अन्य पड़ोसी देशों में भी पनपे थे, जब सत्ता पर आसीन लोगों को जनाक्रोश के सामने सरेंडर करना पड़ा था। भारत के पड़ोसी देश पिछले 4-5 साल से अस्थिर बने हुए हैं। पहले अफगानिस्तान, श्रीलंका, फिर बांग्लादेश और अब नेपाल में सत्ता परिवर्तन के लिए देशव्यापी प्रदर्शन हो चुके हैं।

35

37

44

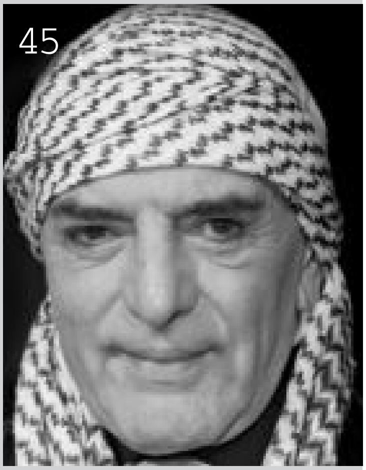
45

राजनीति

30-31 | **जीएसटी में उपहार...**

जीएसटी प्रणाली की लंबे समय तक इसलिए आलोचना की गई कि उसमें राष्ट्रीय स्तर के उचित अपीलीय तंत्र का अभाव है। उद्यमों को अक्सर राज्यों के बीच असंगत निर्णयों का सामना करना पड़ा जिसने अनिश्चितता को बढ़ाया। इस कड़ी में 2025 के अंत तक जीएसटी अपीलीय...

छत्तीसगढ़

34 | **सलवा जुडूम: नक्सलवाद...**

छत्तीसगढ़ की गोंडी भाषा में सलवा जुडूम का अर्थ है शांति मार्च। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को एक नया राज्य बना। नया राज्य बनते ही यहां वर्ष 2001 से 2005 तक नक्सली हिंसा चरम पर थी। नया राज्य बना लेकिन सुरक्षा से जुड़ी नई चुनौतियां आ गईं। बस्तर क्षेत्र में सबसे ज्यादा हिंसा हुई।

बिहार

38 | **सत्ता के लिए कुछ भी कहेंगे**

बिहार के दरभंगा में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणी ने नेताओं के भाषा विवाद को नैतिकता के निचले पायदान पर पहुंचा दिया...

6-7 अंदर की बात
41 महिला जगत
42 अध्यात्म
43 कहानी
44 खेल
45 फिल्म
46 व्यंग्य

पाक्षिक अक्स

वर्ष-23, अंक-24, पृष्ठ-48
16 से 30 सितंबर, 2025

प्रकाशक एवं संपादक : राजेन्द्र आगाल

सम्पादकीय कार्यालय :
प्लाट नम्बर 150, जोन-1 मनोरमा कॉम्पलेक्स,
एफ-03, 04, प्रथम तल, एम.पी. नगर
भोपाल- 462011 (म.प्र.),
टेलीफेक्स - 0755-4017788

email : akshmagazine@gmail.com
Website : www.akshnews.com
RNI NO. HIN/2002/8718 MPBPL/642/2021-23

प्रमुख संवाददाता

भावना सक्सेना-भोपाल, जय मतानी-भोपाल,
हर्ष सक्सेना-भोपाल,
दक्ष दवे-इंदौर, संदीप वर्मा-इंदौर,
विपिन कंधारी-इंदौर, गौरव तिवारी-विदिशा,
ज्योत्सना अनूप यादव-गंजबासौदा, राजेश तिवारी-उज्जैन,
टोनी छाबड़ा-धार, आशीष नेमा-नरसिंहपुर,
अनिल सोडानी-नई दिल्ली, हसमुख जैन-मुंबई,
इंद्र कुमार बिन्नानी-पुणे।

प्रदेश संवाददाता

पारस सरावगी (इंदौर)
09329586555
नवीन रघुवंशी (इंदौर)
09827227000 (इंदौर)
धर्मेन्द्र कथूरिया (जबलपुर)
098276 18400
श्यामसिंह सिकरवार (उज्जैन)
094259 85070
सुभाष सोमानी (रतलाम)
089823 27267
मोहित बंसल (विदिशा)
075666 71111

क्षेत्रीय कार्यालय

नई दिल्ली : ईसी 294 माया इंक्लेव मायापुरी, फोन : 9811017939
जयपुर : सी-37, शांतिपथ, श्याम नगर (राजस्थान) मोबाइल-09829 010331
भिलाई : नेहरू भवन के सामने, सुपेला, रामनगर, भिलाई, मोबाइल 094241 08015
देवास : जय सिंह, देवास मो.-7000526104, 9907353976

स्वात्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक, राजेन्द्र आगाल द्वारा आगाल प्रिंटर्स, प्लाट नं. 150, जोन-1, प्रथम तल, एफ-03, मनोरमा काम्पलेक्स, एम.पी. नगर भोपाल 462011 (म.प्र.), से मुद्रित एवं प्रकाशित

इस अंक में प्रकाशित सामग्री लेखकों के अपने विचार हैं इनसे सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं हैं समस्त विवादों के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।

अपनी बात

भोपाली सिस्टम खराब, फिर इंदौर से क्या ऐतराज?

मशहूर शायर जावेद अख्तर का एक शेर है...

इन चरागों में तेल ही कम था
क्यूं गिला फिर हमें हवा से रहे

उपरोक्त पंक्तियां राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के सर्वेक्षण में मप्र की राजधानी भोपाल के पिछड़ने पर सटीक बैठती हैं। ताल, तलैयां, हरियाली और शासन-प्रशासन की निगरानी के बाद भी भोपाल राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के सर्वेक्षण में क्या पिछड़ा, राजधानी के लोग इंदौर पर उंगली उठाने लगे। दरअसल, स्वच्छता की तरह अब स्वच्छ हवा में भी इंदौर ने देशभर में कीर्तिमान रच दिया। सर्वेक्षण में इंदौर ने 200 में से पूरे 200 अंक हासिल कर देश में पहला स्थान पाया। यह अवॉर्ड उन शहरों को मिलता है, जिन्होंने हवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए ठोस कदम उठाए। 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों की कैटेगरी में इंदौर पिछले साल सातवें स्थान पर था। जबलपुर इस बार दूसरे स्थान पर रहा। सबसे अधिक हैरानी भोपाल की स्थिति को लेकर हुई। जिस भोपाल को अपनी स्वच्छ हवा पर गर्व है, वह पिछले साल की तरह छठवें नंबर पर रहा। भोपाल को कोई अवॉर्ड नहीं मिला। राजधानी को 200 में से 191 नंबर मिले। बता दें कि 2019 में शुरू हुआ एनसीएपी देश का पहला राष्ट्रीय अभियान है, जिसका लक्ष्य 2026 तक पीएम-10 और पीएम-2.5 को 40 प्रतिशत तक कम करना है। अब भोपाल के पिछड़ने की बात करें तो यह तथ्य सामने आया है कि यहां का सिस्टम ही खराब है। शासन-प्रशासन की नाक के नीचे राजधानी के नेताओं और अफसरों ने हवा को स्वच्छ बनाने के प्रयास कम किए। वहीं म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का सही से निष्पादन नहीं किया जा रहा है। शहर का सारा कचरा आदमपुर खंती में डाला जा रहा है, जो शहर के पास स्थित है, जिससे यहां की हवा दूषित हो रही है। जबकि इंदौर में शहर का कचरा दूर ले जाकर निष्पादित किया जाता है। प्राकृतिक रूप से भोपाल भले ही प्रदेश के अन्य शहरों से सुंदर है, लेकिन यहां की हवा में पीएम-10 की मात्रा अधिक है। स्थानीय जनप्रतिनिधि और अधिकारी भले ही राजधानी की हवा को स्वच्छ बनाने के लिए बड़े-बड़े दावे करते हैं, लेकिन हकीकत उससे अलग है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि भोपाल में हवा साफ करने के लिए 6 साल में केंद्र ने 242.56 करोड़ रुपए दिए, इसमें से 195.01 करोड़ रुपए खर्च भी हो गए। नतीजा शून्य रहा। साल 2017-18 में शहर का पीएम-10 स्तर 112 था, जो 2025 में 110 है। यानी करोड़ों खर्च होने के बाद भी हालात वही हैं। पीएम-10 और पीएम-2.5 हवा में तैरते छोटे कण हैं। पीएम-2.5 सूक्ष्म होने से सीधे फेफड़ों में जाकर जमा हो जाते हैं। ये दमा, ब्रोंकाइटिस, हृदय रोग, सिरदर्द और गर्भावस्था में नुकसान कर सकते हैं। वाहनों, उद्योगों, धुआं और धूल से पैदा होने वाले ये कण नुकसानदेह हैं। लेकिन वातानुकूलित कक्षों में बैठने वाले अफसरों का ध्यान शायद ही कभी इस ओर गया होगा। हालांकि अगर पूरे देश की बात करें तो मप्र के शहरों ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में अच्छा प्रदर्शन किया है। 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में मप्र का औसत स्कोर 188.15 रहा। यह 2024 में 177.07 था। इसलिए मप्र बड़े राज्यों में सबसे आगे है। राज्य सरकार ने हवा को साफ करने के लिए कई काम किए हैं। जैसे कि साफ ईंधन का इस्तेमाल, हरियाली बढ़ाना और ट्रैफिक को सही तरीके से चलाना। गौरतलब है कि वन एवं पर्यावरण मंत्रालय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण करता है। इसमें 130 नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम शहरों की हवा की गुणवत्ता देखी जाती है। यह देखा जाता है कि शहर हवा को साफ रखने के लिए क्या काम कर रहे हैं। बताया जाता है कि एक तरफ जहां मप्र के अन्य शहरों में अपने यहां की हवा को स्वच्छ करने के लिए अभियान चलाया, वहीं राजधानी में केवल कागजी घोड़े दौड़ते रहे। जब यह सर्वे चल रहा था, तब मानसून के कारण उखड़ी सड़कों की धूल हवा में इस कदर घुल गई थी कि शहर में धुंध की परत देखने को मिल रही थी। जहां इंदौर में धूल को हवा में मिलने से रोकने के लिए सड़कों पर पानी छिड़का जाता था, वहीं भोपाल में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। ऐसे में भोपालियों को इंदौर को कोसने की अपेक्षा अपने यहां के सिस्टम को सुधारने पर जोर देना चाहिए।

- राजेन्द्र आगाल

पत्र-संपादक के नाम

akshnews.com

बढ़ेगा टाइगर टूरिज्म

मप्र में केंद्र सरकार बाघों के लिए 5500 करोड़ की लागत से अलग कॉरिडोर बनाने जा रही है। यह कॉरिडोर प्रदेश के 4 टाइगर रिजर्वों जबलपुर से बांधवगढ़, कान्हा, पेंच और पन्ना टाइगर रिजर्व को जोड़ा जाएगा। ऐसा होने से प्रदेश के टाइगर टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा।

● **अखिलेश वर्मा,** शिवपुरी (म.प्र.)

घट रही विधायकों की रूचि

हाल ही में खत्म हुए विधानसभा के मानसून सत्र में सिर्फ 3 ही विधायकों ने सवाल पूछे हैं, यह चिंता का विषय है। जबकि प्रदेश में विधायकों की संख्या 230 है। इसमें भाजपा के विधायकों की संख्या 132, कांग्रेस के विधायकों की संख्या 65 और भारत आदिवासी पार्टी का एक विधायक है।

● **मानसी सोनी,** भोपाल (म.प्र.)

मजबूत हो रही कांग्रेस

लोकतंत्र में विपक्ष को मजबूत होना चाहिए। यह बात कांग्रेस को अब समझ आ रही है। कांग्रेस आगामी चुनाव में सत्तापक्ष को घेरने के लिए नए-नए मुद्दे खोज रही है। अब उसके हाथ वोटर लिस्ट का मुद्दा लग गया है, जिसने बिहार की राजनीति को गरमा दिया है। कांग्रेस मजबूत होकर उभर रही है।

● **राघवेंद्र कुमार,** इंदौर (म.प्र.)

भारत को कम न समझें ट्रंप

डोनाल्ड ट्रंप इस समय कई देशों के साथ टैरिफ-टैरिफ खेल रहे हैं। लेकिन शायद वह यह भूल रहे हैं कि भारत विकसित देश के रूप में उभर रहा है। खुद अमेरिकी नेता और अर्थशास्त्री भी भारत के पक्ष में बोल रहे हैं। अमेरिका को अपनी बादशाहत कायम रखने और कारोबार बढ़ाने के लिए बड़े बाजार की जरूरत है। यह बात पूरी दुनिया को पता है कि भारत और चीन दो सबसे बड़ी जनसंख्या यानी उपभोक्ता वाले देश हैं। यही दोनों देश दुनिया की फैक्ट्री भी हैं। चीन तो सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जबकि भारत दुनिया की दूसरी फैक्ट्री बनने की राह पर है। इसका मतलब है कि यह दोनों देश न सिर्फ बड़े उत्पादक हैं, बल्कि सबसे बड़े उपभोक्ता वाले देश भी हैं।

● **नादिया कुरैशी,** नई दिल्ली

मर्यादा भूल रहे नेता

भारत एक लोकतांत्रिक देश है। जहां सत्तापक्ष और विपक्ष जनता के मुद्दों को संसद में उठाते हैं, और उन पर बहस करते हैं। कुछ मुद्दों पर तकरार अनापेक्षित नहीं है, लेकिन उसका मर्यादा की सीमाएं लांघ जाना स्वीकार्य नहीं हो सकता। एक-दूसरे के प्रति आपत्तिजनक भाषा और व्यवहार अब आम हो चला है। नेताओं को यह नहीं भूलना चाहिए कि सारा देश उन्हें देख रहा होता है। नेताओं को यह नहीं भूलना चाहिए कि वे जनता के प्रतिनिधि के तौर पर संसद में बोल रहे होते हैं।

● **सुरजीत शर्मा,** बैतूल (म.प्र.)

शारीरिक बीमारियों को लेकर रहें सचेत

आज के समय में फैटी लिवर एक बड़ी समस्या बनकर उभर रही है। कई लोग फैटी लिवर को मामूली समस्या समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि फैटी लिवर सिर्फ एक बीमारी नहीं बल्कि कई गंभीर बीमारियों की जड़ बन सकता है। जब लिवर में फैट बढ़ता है तो यह धीरे-धीरे शरीर के अन्य अंगों तक भी फैलने लगता है। खून में फैट मिलते ही कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाता है जिससे दिल की नसों में चर्बी जमा होने लगती है और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। लोगों को सतर्क होने की आवश्यकता है।

● **संजय सेन,** रायसेन (म.प्र.)

पाठकों से निवेदन

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं पक्ष या विपक्ष जो भी संभव हो इस पते पर भेजें

अक्स

150 जोन-1, मनोरमा काम्पलेक्स,
एफ-02, 03, एमपी नगर, भोपाल

खाई और ना बढ़ाएं

बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वहां उठे विवाद का मुख्य कारण समस्या भरोसे में कमी है। न्यायालय ने इस प्रक्रिया में भरोसा कायम करने के लिए निर्वाचन आयोग को कई आदेश दिए। इनमें आधार कार्ड को उचित पहचान पत्र मानना तथा जिन लोगों के नाम कटे उनकी ऐसी सूची जारी करना शामिल था, जिसमें नाम काटने का कारण भी बताया गया हो। सुनवाई के दौरान निर्वाचन आयोग को यह आश्वासन देना पड़ा कि दावे और आपत्तियों की समयसीमा पार होने के बाद भी वह ऐसी अर्जियों पर विचार करेगा। अपेक्षित है कि अब जबकि आयोग सारे देश में एसआईआर शुरू करने जा रहा है, तो सर्वोच्च न्यायालय के बिहार से संबंधित आदेशों के साथ-साथ उसकी टिप्पणियों को भी वह आरंभ से ध्यान में रखे। आयोग की अगर सचमुच भरोसे की खाई को पाटने में दिलचस्पी है, तो इस पर अवश्य विचार होना चाहिए कि आयोग को लेकर विपक्षी समूहों में अविश्वास क्यों गहराता जा रहा है और कथित वोट चोरी के आरोपों पर जनमत का एक बड़ा हिस्सा क्यों यकीन करने लगा है? इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के लिए आयोग किस हद तक जिम्मेदार है, इस सवाल पर उसे जरूर आत्म-निरीक्षण करना चाहिए।

आर्थिक या भूल सुधार?

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दो दरें खत्म करने और कुछ वस्तु एवं सेवाओं पर टैक्स में कटौती को भारत सरकार ने अगली पीढ़ी के सुधार और राष्ट्र को दिवाली के ऐतिहासिक उपहार के रूप में विज्ञापित किया है। यह सत्तापक्ष के प्रचार क्षमता का ही संकेत है कि मुख्यधारा चर्चाओं के एक बड़े हिस्से में इसे इसी रूप में लिया भी गया है। मगर क्या यह कदम सचमुच ऐसा आर्थिक सुधार है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था की दिशा और रूप में भारी बदलाव की अपेक्षा की जा सकती है? उल्लेखनीय है कि जीएसटी का विचार जब आया, तब कहा गया था कि इस कर व्यवस्था के तहत सारे देश में सिर्फ एक दर होगी और कर व्यवस्था का पालन पहले की तुलना में आसान हो जाएगा। मगर जब जुलाई 2017 में इसे धूम-धड़ाके से लागू किया गया, तो चार मुख्य दरों के अलावा कुछ अन्य दरें भी लागू हुईं। साथ ही जीएसटी रिटर्न को फाइल करना इतना दुरूह बना दिया गया कि चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की चांदी हो गई। ऊपर से केंद्र ने उपकर (सेस) लगाने जारी रखे, जिसमें राज्यों का कोई हिस्सा नहीं है। हालांकि पेट्रोलियम जीएसटी व्यवस्था में शामिल नहीं है, मगर उत्पादन एवं आम उपभोग का उससे सीधा संबंध है। उस पर केंद्र ने भारी उत्पाद शुल्क लगा रखा है। इन सबकी मार लघु एवं मझौले उद्योगों पर पड़ी। इसीलिए देश में उपभोग घटाने का बड़ा दोष जीएसटी पर गया है।

आरएसएस का अर्थ-चिंतन

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अर्थ समूह की बैठक में वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने लगभग 70 स्लाइड्स के जरिए दिखाया कि देश की आर्थिक प्राथमिकताएं किस हद तक गलत दिशा में हैं। उन्होंने बढ़ती आर्थिक गैर-बराबरी की आलोचना की और भारत में प्रति व्यक्ति आय की निम्न दर की ओर ध्यान खींचा। 91 वर्षीय जोशी ने ग्रोथ केंद्रित आर्थिक विमर्श से बाहर निकलने का आह्वान किया। डी-ग्रोथ की वकालत करते हुए उन्होंने कहा कि सार्वजनिक विमर्श का ध्यान आर्थिक वृद्धि दर से हटाने की जरूरत है। मकसद सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति करना होना चाहिए। जोशी की प्रस्तुति के बाद संघ सरसंघचालक मोहन भागवत ने उनका समर्थन करते हुए कहा- जोशी जी ने सबकुछ कह दिया है। पिछले महीने खुद संघ प्रमुख ने शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की महंगाई पर चिंता जताई थी। कहा था कि शिक्षा और इलाज सामान्य व्यक्ति की पहुंच से बाहर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि ये सेवाएं कुछ शहरों तक सीमित और इतनी महंगी हैं कि इन्हें पाने के लिए वंचित वर्ग को भारी आर्थिक बोझ उठाना पड़ता है। ये तमाम बातें नरेंद्र मोदी सरकार की आर्थिक सफलता के दावे का सिरे से खंडन करती हैं। कहा जा सकता है कि ये भारत की जमीनी माली हालत का उचित वर्णन हैं।

अब इवेंट का वक्त!

प्रधानमंत्री ने सत्ताधारी एनडीए के नेताओं से कहा है कि जीएसटी की दो दरें खत्म करने के फैसले को लेकर अब वे राजनीतिक अभियान चलाएं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एनडीए सांसदों की बैठक में मोदी ने निर्देश दिया कि हर सांसद अपने क्षेत्र में स्थानीय व्यापारियों और दुकानदारों का सम्मेलन आयोजित करे। साथ ही नवरात्रि से दिवाली के बीच स्वदेशी उत्पादों के इस्तेमाल के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने की मुहिम चलाई जाए। इस दौरान गर्व से कहो स्वदेशी है नारा लगाया जाए। एनडीए सांसदों की बैठक के एक दिन पहले अखबारों में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इंटरव्यू छपे, जिसमें उन्होंने कहा कि अब कॉरपोरेट सेक्टर के पास निवेश ना करने का कोई बहाना नहीं है। जीएसटी में कटौती से बाजार में मांग बढ़ेगी। उसे पूरा करने के लिए निजी निवेश तुरंत बढ़ाया जाना चाहिए। इसके पहले प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं कि जीएसटी ढांचे में सुधार से आम घरों, किसानों, युवाओं और मध्य वर्ग पर वित्तीय बोझ घटेगा।

आर-पार की शर्त

डोनाल्ड ट्रंप का भारत के खिलाफ सुर नरम हुआ है। उससे भारत के सरकारी हलकों में उत्साह लौटता दिखा है। मगर अपने गरम मूड के साथ पिछले दिनों ट्रंप ने दोनों देशों के रिश्ते में जो कड़वाहट घोल दी है, उसका असर फिलहाल कायम रहने वाला है। अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक दो टूक वे शर्तें बता चुके हैं, जिन्हें मानकर ही भारत अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता को आगे बढ़ा पाएगा। लुटनिक ने तो यहां तक कहा कि एक-दो महीनों के अंदर भारत माफी मांगकर फिर से बातचीत शुरू करेगा। भारतीय प्रभु वर्ग की राय पर गौर करें, तो वहां बड़ा हिस्सा अमेरिकी अधिकारियों की अमर्यादित भाषा से आहत जरूर है, मगर उसकी ये राय भी रही है कि भारत के पास अमेरिकी खेमे में रहने से बेहतर कोई और विकल्प नहीं है। उधर अमेरिकी प्रभु वर्ग का एक हिस्सा लगातार चीन के खिलाफ अमेरिकी रणनीति में भारत की उपयोगिता पर जोर डालता रहा है। स्पष्टतः भारत-अमेरिका के बीच संबंध सुधरने की मजबूत जमीन बरकरार रही है।

तीन दिन चला मंथन हुआ बेकार

अभी हाल ही में कैबिनेट बैठक के दौरान सरकार ने नगरीय निकाय से संबंधित संशोधन विधेयक को मंजूरी दी है। इसके साथ ही यह विधेयक प्रदेश की राजनीतिक वीथिका के साथ ही प्रशासनिक वीथिका में भी चर्चा का केंद्र बन गया है। राजनीतिक वीथिका में इसलिए चर्चा हो रही है कि इससे जनप्रतिनिधियों को बड़ी सहूलियत दी गई है। वहीं प्रशासनिक वीथिका में चर्चा इसलिए हो रही है कि इस संशोधन विधेयक के प्रावधानों पर तीन दिनों तक मैराथन बैठक हुई। अधिकारियों ने संशोधन विधेयक के एक-एक प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार-विमर्श किया और इसमें किसे रखना चाहिए और किसे हटाना चाहिए, इसका खाका तैयार किया। बताया जाता है कि अधिकारियों ने अपनी टीम के साथ प्रस्ताव के संशोधन को मंजूरी के लिए विधि विभाग को भेजा। संशोधन विधेयक पर तीन दिनों चर्चा करने पर अधिकारियों को उम्मीद थी कि विधि विभाग उनके सुझावों पर गंभीरता से विचार-विमर्श करेगा और उसके बाद संशोधन विधेयक को कैबिनेट में मंजूरी के लिए भेजेगा। लेकिन बताया जाता है कि विधि विभाग ने सीएस और उनके अधिकारियों ने तीन दिनों तक चली मंथन पर पानी फेरते हुए संशोधन विधेयक को जस का तस कैबिनेट में मंजूरी के लिए भेज दिया। जब विधेयक को कैबिनेट से मंजूरी मिली तो इसके लिए माथापच्ची करने वाले अधिकारियों की समझ में नहीं आया कि आखिरकार हमसे तीन दिनों तक मेहनत क्यों करवाई गई?

मंत्री के बोल... खुल गई पोल

चाल, चरित्र और चेहरे वाली पार्टी अपने नेताओं के बड़बोलेपन से इस कदर परेशान है कि उसे समझ में नहीं आ रहा है कि नेताओं को चुप कैसे रखा जाए। सत्ता और संगठन की मशक्कत के बाद भी नेताओं का बड़बोलापन कम नहीं हो रहा है। इस कड़ी में प्रदेश सरकार के एक कैबिनेट मंत्री तो लगातार हदें पार कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि गत दिनों एक खबरची ने माननीय से चर्चा के लिए 25 मिनट का समय देने की मांग की, तो माननीय ने आव देखा न ताव और तपाक से कह दिया कि मैं तो अपनी पत्नी को भी 25 मिनट का समय नहीं देता हूं। मंत्री के ये बोल जिसने भी सुने उनकी मानसिकता की पोल खुल गई। उधर, जानकारों का कहना है कि मंत्रीजी को उनके घर में ही जिस तरह उनके वर्चस्व को चुनौती मिल रही है, उससे वे आहत चल रहे हैं। इसी का परिणाम है कि आए दिन मंत्रीजी मंचों से उटपटांग बयान देते रहते हैं। यहां बता दें कि कभी मुख्यमंत्री बनने का सपना देखने वाले माननीय मंत्री बनने के बाद भी हाशिये वाली स्थिति में हैं। माननीय की न तो सरकार में चल रही है और न ही जिले में। ऐसे में मंत्री का उपरोक्त बयान उनकी परेशानी और नाराजगी को दर्शाता है।

जांच की आंच में गया विभाग

प्रदेश में हाल ही में सरकार ने आईएएस अधिकारियों का जो तबादला किया है, उसमें एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी से एक प्रमुख विभाग वापस लेना चर्चा का विषय बन गया है। जानकारों का कहना है कि आखिरकार ऐसी क्या वजह रही है कि साहब से विभाग लिया गया। इस संदर्भ में जब पड़ताल की गई तो यह तथ्य सामने आया कि उक्त वरिष्ठ अधिकारी ग्वालियर-चंबल अंचल की सहकारी समितियों में हुए घालमेल की गंभीरता से जांच कर रहे थे। और उन्होंने उसे टीएल में भी डाल दिया था। उसके बाद साहब उक्त सहकारी समिति की पोल-पट्टी खोलकर सरकार के सामने रखना चाहते थे। साहब को जांच से रोकने के लिए उक्त सहकारी समिति ने खूब हाथ-पांव मारे लेकिन साहब के सामने उसकी दाल नहीं गली। जब साहब की ईमानदारी के आगे उक्त सहकारी समिति के कर्ताधर्ता की एक नहीं चली तो उन्होंने अपने राजनीतिक रसूख का सहारा लेना शुरू कर दिया। बताया जाता है कि साहब की ईमानदारी और प्रशासनिक व्यवस्था पर उक्त सहकारी समिति इस कदर हावी हुई कि साहब से उक्त विभाग वापस ले लिया गया। इस घटनाक्रम के बाद अफसरों का कहना है कि एक तरफ तो सरकार सुशासन के लिए अफसरों को निर्देशित कर रही है, वहीं दूसरी तरफ स्थिति यह है कि सियासी रसूख के आगे उनकी एक नहीं चल रही है। बताया जाता है कि साहब से विभाग वापस लिए जाने के बाद से उक्त सहकारी समिति के कर्ताधर्ता अपनी हैसियत का बखान करते फिर रहे हैं।

काली कमाई का रिसोर्ट

प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल मढ़ई में एक रिसोर्ट बना है। बताया जा रहा है कि यह रिसोर्ट मप्र के कुछ नौकरशाहों की काली कमाई को सफेद करने का भी जरिया बनेगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश की राजधानी में लाइजिनिंग करने वाले नामचीन लोग यह रिसोर्ट बनाने जा रहे हैं। 'डी' से शुरू होने वाले नाम से बने इस रिसोर्ट की चर्चा प्रदेश की प्रशासनिक वीथिका में जोरों पर है। बताया जाता है कि लाइजनरों ने इस रिसोर्ट को बनाने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश करने का खाका तैयार किया है। संभवतः यह प्रदेश का सबसे बड़ा रिसोर्ट होगा। बताया जाता है कि इस रिसोर्ट में कई पूर्व नौकरशाहों की रकम खपाई जाएगी। यही नहीं रिसोर्ट के आसपास करीब 100 एकड़ जमीन भी खरीदी गई है। इसमें भी बड़ी संख्या में नौकरशाहों की काली कमाई लगाई गई है। मढ़ई में आने वाले एक बड़े ग्रुप को ये रिसोर्ट बनाकर देने से मढ़ई की किस्मत खुल जाएगी। और जमीनों के भाव बहुत ऊंचे होंगे, क्योंकि इस ग्रुप के आने से इस पर्यटन क्षेत्र में पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी और उसको देखते हुए बड़ी संख्या में निवेशक भी इस तरफ आकर्षित होंगे।

ये किस काम के अफसर?

प्रदेश में कई अफसर ऐसे हैं, जिनकी कार्यप्रणाली से न तो जनता और न ही सरकार खुश रहती है। ऐसे ही एक आईपीएस अफसर इन दिनों चर्चा में हैं, जो महाकौशल क्षेत्र के एक संभाग में पुलिस की बड़ी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। साहब के कार्यकाल में 15 करोड़ रुपए के सोने की लूट बैंक से हो जाती है और उन्हें कानोंकान खबर तक नहीं लग पाती है। और तो और वे स्पॉट पर भी नहीं गए। यह वही साहब हैं जो जब बुंदेलखंड के एक जिले में पदस्थ थे तो 4-4 घंटे अपने कमरे की लाल लाइट जलाकर बैठे रहते थे। सूत्रों का कहना है कि साहब अपने आपको तेजतर्रार अधिकारी दिखाने का ढोंग करते हैं लेकिन वे जहां भी पदस्थ रहे हैं, वहां कानून व्यवस्था भगवान भरोसे रही है। वहीं मालवा क्षेत्र के एक जिले के एक कप्तान साहब भी चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। ये साहब भी अपने साथियों के बीच कानून व्यवस्था को लेकर बड़ी-बड़ी डींगे हाकते रहते हैं। लेकिन गत दिनों जब मुख्यमंत्री ने जिले का दौरा किया तो साहब की करनी-धरनी की पोल खुल गई। फिर क्या था, मुख्यमंत्री ने सबके सामने जमकर उन्हें फटकार लगाई और सुधर जाने की हिदायत तक दे डाली।

इधर विकास...उधर खस्ताहाल

मप्र में एक तरफ सरकार सड़कों का जाल बिछा रही है, वहीं दूसरी तरफ स्थिति यह है कि निर्माण के कुछ महीनों के बाद ही सड़कें खराब हो रही हैं। जिसको देखकर अक्सर लोग कहने को मजबूर हो जाते हैं कि गारंटी पीरियड की सड़कों की कोई गारंटी ही नहीं है। राजधानी भोपाल हो या शहर का कोई भी क्षेत्र सड़कों की बदहाली लोगों को परेशान कर रही है। आलम यह है कि सड़क चाहे 3 साल या 5 साल की गारंटी पीरियड वाली हो, सभी की स्थिति एक जैसी है। गौरतलब है कि 30 एमएम मोटी सड़क की गारंटी 3 साल और 30 एमएम से अधिक मोटी सड़क की गारंटी 5 साल की होती है। लेकिन अधिकांश सड़कें गारंटी पीरियड में ही इस तरह खस्ताहाल हो जाती हैं कि उन पर चलना मुश्किल हो जाता है।

उधर, सरकार प्रदेश में लगातार सड़क, ब्रिज आदि के निर्माण पर फोकस किए हुए है। अभी हाल ही में लोक निर्माण विभाग ने उज्जैन में नवीन रेलवे ओवर ब्रिज निर्माण के लिए 371 करोड़ 11 लाख, इंदौर-उज्जैन ग्रीन फील्ड (एक्सेस कंट्रोल) मार्ग के लिए 2,935 करोड़ 15 लाख और नर्मदापुरम-टिमरनी मार्ग के लिए 972 करोड़ 16 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी है। नर्मदापुरम से टिमरनी तक 972 करोड़ की लागत से एक नई मॉडर्न सड़क बनने वाली है। इस सड़क का निर्माण हाइब्रिड अन्युटी मॉडल योजना के अंतर्गत किया जाएगा। इसके निर्माण में 972 करोड़ 16 लाख रुपए का खर्च आने वाला है। राज्य की मोहन कैबिनेट में इस निर्माण की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही मोहन सरकार के द्वारा इंदौर-उज्जैन ग्रीन फील्ड एक्सेस कंट्रोल रोड पर फोरलेन पेल्ड शोल्डर रोड और दोनों लेंस सर्विस रोड के साथ हाइब्रिड अन्युटी मॉडल के अंतर्गत निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए 1370 करोड़ 50 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई थी जिसे रद्द करके अब इसकी लागत 2935 करोड़ 15 लाख रुपए कर दी गई। यह सड़क बेहद मॉडर्न होगी, साथ ही साथ यहां कई अन्य व्यवस्थाएं भी की जाएंगी। वहीं आगामी सिहंस्थ-2028 के मद्देनजर उज्जैन शहर में हरिफाटक रेलवे क्रॉसिंग पर फोरलेन और हरिफाटक चौराहे से नीलकंठ द्वार तक 980 मीटर लंबाई के नवीन रेलवे ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 371 करोड़ 11 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति सिहंस्थ मद अंतर्गत प्रदान की गई है।

मप्र में सड़कों का निर्माण किस तरह किया जा रहा है, इसका नजारा राजधानी भोपाल में ही देखा जा सकता है। यहां जहां लिंक रोड नं.-1 और लिंक रोड नं.-2 के साथ मंत्रालय और मुख्यमंत्री आवास को जाने वाली सड़कों की गुणवत्ता ऐसी रहती है कि ये सालभर मेंटेन नजर आती हैं। जबकि भोपाल के आम लोग जहां निवास करते हैं, वहां की सड़कें निर्माण के कुछ महीने बाद ही जर्जर होने लगती हैं। मानसून में तो राजधानी की सड़कों पर चलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब सड़कों का निर्माण होता है तो उस समय इनकी क्वालिटी का आंकलन क्यों नहीं होता है। जानकारों का कहना है कि पहले जब सड़कों का निर्माण होता था तो कोई गारंटी पीरियड नहीं होता था। आज आलम यह है कि निर्माण के चंद दिनों में सड़क जवाब देने के साथ, गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। इन सड़कों पर चलना, लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। गौरतलब है कि विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निर्मित सड़कें ठेकेदार द्वारा विभाग को हैंडओवर करने की अवधि से 3 साल या 5 साल की गारंटी होती है, इस अवधि में सड़क के क्षतिग्रस्त होने पर संबंधित ठेकेदार को उस सड़क की मरम्मत करनी होती है। इसके लिए संबंधित ठेकेदार की कुल भुगतान की करीब 5 प्रतिशत राशि अमानत के रूप में विभाग के पास जमा रहती है, जो सड़क की गारंटी अवधि समाप्त होने के पश्चात ठेकेदार को अमानत राशि वापस की जाती है। लेकिन गारंटी पीरियड के दौरान ही सड़कें खराब हो जाती हैं तो उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं होता है।

मप्र में सड़कों और पुल-पुलियाओं का निर्माण पूरी तरह ठेकेदारों के भरोसे होता है। न तो लोक निर्माण विभाग के अधिकारी और न ही स्थानीय जिला प्रशासन इस ओर ध्यान देता है। इसका ही परिणाम है कि सड़कों का निर्माण गुणवत्ताहीन होता है, जो बमुश्किल एक साल टिक पाती हैं।

● **नवीन रघुवंशी**

90 नहीं 119 डिग्री का निकला ब्रिज

मप्र ही नहीं बल्कि पूरे देश में ख्यात हो चुके भोपाल के ऐशबाग क्षेत्र स्थित 90 डिग्री फ्लाईओवर ब्रिज को लेकर महत्वपूर्ण रिपोर्ट पेश की गई। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ के समक्ष मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के प्रोफेसर ने जांच रिपोर्ट दाखिल की। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि ब्रिज का मोड़ 90 डिग्री नहीं, बल्कि 118 से 119 डिग्री के बीच है। याचिकाकर्ता मेसर्स पुनीत चड्ढा की ओर से दायर याचिका में आरोप लगाया गया था कि उनकी कंपनी को बिना सुनवाई का अवसर दिए सरकार ने ब्लैकलिस्ट कर दिया। याचिका में कहा गया कि फ्लाईओवर निर्माण का ठेका 2021-22 में कंपनी को मिला था और कार्य सरकारी एजेंसी द्वारा जारी जीएडी (जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग) के आधार पर किया गया। बाद में 2023 और 2024 में जीएडी में संशोधन भी किया गया। गौरतलब है कि ब्रिज में 90 डिग्री का मोड़ होने की खबरें सामने आने के बाद सरकार ने पांच सदस्यीय जांच समिति गठित की थी। समिति ने पाया कि मोड़ वाले हिस्से के नीचे से रेलवे ट्रैक गुजरता है और राज्य सरकार तथा रेलवे विभाग के बीच समन्वय की कमी रही। साथ ही, ब्रिज के खंभे भी निर्धारित दूरी पर नहीं लगाए गए थे। हाईकोर्ट ने प्रोफेसर को ब्रिज की तकनीकी जांच का जिम्मा सौंपा था और इसके लिए याचिकाकर्ता को एक लाख रुपए फीस देने के निर्देश दिए थे। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि याचिकाकर्ता का दावा सही पाया जाता है तो वह फीस की राशि वसूलने का हकदार होगा।

अब मतदाता सीधे चुनेंगे अध्यक्ष

मप्र में नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष का चुनाव अब पार्षद नहीं सीधे मतदाता करेंगे। सरकार पार्षदों के माध्यम से चुनाव की व्यवस्था को समाप्त करके प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव की व्यवस्था लागू करने जा रही है। इसके लिए अधिनियम में संशोधन अध्यादेश के माध्यम से किया जाएगा, जिसको गत दिनों मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई।

नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा इस संदर्भ में कैबिनेट में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इसके प्रभावी होने से वर्तमान अध्यक्षों को बड़ी राहत मिलेगी। उनके विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव ही नहीं आ पाएंगे। प्रदेश के कुछ नगरीय निकायों में अध्यक्षों के विरूद्ध पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव दे दिए हैं या फिर इसकी तैयारी है। अध्यक्षों का कहना है कि उनके ऊपर दबाव बनाने के लिए इस तरह के प्रयास हो रहे हैं। इससे विकास के कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। इसे देखते हुए पहले अविश्वास प्रस्ताव लाने की अवधि तीन से बढ़ाकर साढ़े चार वर्ष करने पर विचार किया गया था लेकिन मुख्य सचिव अनुराग जैन ने इसे अव्यवहारिक बताते हुए लौटा दिया था। इसके बाद नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने अधिनियम की धारा-47 को फिर से अस्तित्व में लाने के लिए संशोधन का प्रस्ताव बनाया, जिसे वरिष्ठ सचिव समिति की सहमति से विधि एवं विधायी विभाग भेजा गया था। विभाग ने इस पर सहमति जताई, जिसके बाद इसे कैबिनेट की अनुमति के लिए प्रस्तुत किया गया, जिसे मंजूरी दे दी गई। प्रविधान अध्यादेश के माध्यम से लागू होंगे। इसके बाद अविश्वास प्रस्ताव औचित्यहीन हो जाएंगे क्योंकि फिर तीन चौथाई पार्षदों द्वारा अध्यक्ष के प्रति अविश्वास व्यक्त करने पर प्रस्ताव राज्य निर्वाचन आयोग के पास जाएगा और फिर वो खाली कुर्सी-भरी कुर्सी का चुनाव कराएगा, जिसमें गेंद पार्षद नहीं मतदाताओं के पाले में होगी।

मप्र सरकार ने नगरीय निकायों के मामले में अहम फैसला लिया है और नगर पालिका (संशोधन) अध्यादेश-2025 लागू कर दिया है। इस अध्यादेश के लागू होने के साथ ही अब नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्षों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना मुश्किल होगा। दरअसल, नगरीय निकायों में काबिज अध्यक्षों के खिलाफ प्रस्ताव लाने की अवधि को साढ़े चार साल कर दिया गया है। गौरतलब है कि प्रदेश में करीब 80 प्रतिशत नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद पर भाजपा या उसके समर्थक काबिज हैं। कई नगर पालिका और नगर परिषदों में भाजपा के पार्षद ही अपने अध्यक्षों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उन्हें पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहे थे। इससे सरकार के साथ ही भाजपा संगठन भी परेशान था, लेकिन सरकार ने मप्र नगर पालिका (संशोधन) अध्यादेश-2025 लागू कर एक तीर से कई निशाने साधे हैं।

जानकारों का कहना है कि इस अध्यादेश के जरिए सरकार ने एक तरफ जहां पार्षदों के पर कतर दिए, वहीं नगर पालिका और परिषद अध्यक्षों की कुर्सी पर मंडरा रहे संकट को टाल दिया है। बचे हुए कार्यकाल में वे पार्षदों के दबाव में आए बगैर काम कर सकेंगे।

साथ ही यह अध्यादेश लागू होने के बाद अब सरकार और भाजपा संगठन को भी बार-बार अपने नगर पालिका व परिषद अध्यक्षों की कुर्सी बचाने के लिए कवायद नहीं करना पड़ेगी। यही वजह है कि मप्र नगर पालिका (संशोधन) अध्यादेश-2025 को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के दूसरे ही दिन ही सरकार ने इसे लागू कर दिया है। गौरतलब है कि पिछले साल कई अध्यक्षों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। नर्मदापुरम नगर पालिका अध्यक्ष भाजपा की नीतू यादव का 2 साल का कार्यकाल (11 अगस्त, 2024) पूरा होने से पहले ही उन्हें पद से हटाने के लिए 21 पार्षदों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोलते हुए अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए थे। नगर पालिका में कुल 33 पार्षद है। टीकमगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष कांग्रेस के अब्दुल गफ्फार को हटाने के लिए विशेष सम्मेलन की तारीख तय हो गई थी। यहां 19 पार्षदों ने 20 अगस्त, 2024 को अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। दमोह नगर पालिका अध्यक्ष कांग्रेस की मंजू राय को पद से हटाने की तैयारी थी। मामला कलेक्टर के पास पहुंच गया था, लेकिन वोटिंग से पहले नया अध्यादेश आने से उन्हें राहत मिल गई थी। मऊगंज नगर परिषद अध्यक्ष भाजपा के बृजवासी पटेल नए अध्यादेश में तीन साल के बाद अविश्वास प्रस्ताव लाने के नियम से बच गए थे। 15 में से 12 पार्षद अध्यक्ष के खिलाफ थे। गुना जिले की चाचौड़ा नगर परिषद अध्यक्ष भाजपा की सुनीता नाटानी के विरोध में 15 में से 13 पार्षद और कुंभराज नगर परिषद अध्यक्ष शारदा साहू के विरोध में भी 15 में से 13 पार्षद थे, लेकिन दोनों ही जगह अविश्वास प्रस्ताव पर आगे की कार्रवाई रोक दी गई थी।

● **प्रवीण सक्सेना**

2027 से होगा लागू

अब नगर पालिका परिषद और नगर परिषदों के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होगा। यानी आगामी आम चुनाव वर्ष 2027 से मतदाता सीधे अपने वोट से अध्यक्ष का चयन करेंगे। वर्ष 2022 तक नगर पालिका और परिषदों में अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से ही होता था, लेकिन बाद में इसे बदलकर अप्रत्यक्ष प्रणाली लागू कर दी गई थी। इसमें पार्षदों के मतों से अध्यक्ष चुना जाता था। इस व्यवस्था में राजनीतिक जोड़-तोड़ और अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। जनता का सीधा जनादेश ही लोकतंत्र की असली ताकत है। नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्षों को बार-बार अविश्वास प्रस्तावों से बचाने के लिए उनके प्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था लागू करने का कैबिनेट ने निर्णय लिया है। इसी दृष्टि से नगर पालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2025 को मंजूरी दी गई है। इसके तहत मप्र नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 19, 20(2), 32 से 35, 43, 45, 47, 55, 63 और 328 सहित कई धाराओं में संशोधन किया जाएगा।

संतुलन के आधार पर अफसरों की जमावट

मप्र में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और मुख्य सचिव अनुराग जैन आगामी 3 सालों की कार्ययोजना बनाकर अफसरों की जमावट कर रहे हैं। इसके लिए कोशिश यह की जा रही है कि जरूरत और अनुभव के आधार पर अधिकारियों को जिम्मेदारी दी जाए। इसकी झलक गत दिनों 14 आईएएस अधिकारियों के तबादले में देखने को मिली। मुख्यमंत्री ने संतुलन के आधार पर अफसरों को पदस्थ करवाया। 14 आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर में इंदौर, जबलपुर, कटनी, बड़वानी, आगर-मालवा 5 जिलों के कलेक्टर बदले हैं। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह उज्जैन आयुक्त और जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना जनसंपर्क आयुक्त बने हैं। वहीं, जनसंपर्क आयुक्त डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े को इंदौर संभाग का आयुक्त बनाया गया है। इस सूची में मुख्यमंत्री की प्रशासनिक क्षमता दिखी हैं।

जनसंपर्क आयुक्त व मुख्यमंत्री के विश्वस्त अधिकारियों में शामिल सुदाम पंढरीनाथ खाड़े को इंदौर का नया संभागायुक्त बनाया गया है।

मुख्यमंत्री और इंदौर के प्रभारी मंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर में अपनी पसंद के अधिकारियों की पदस्थापना की है। खाड़े के अलावा इंदौर नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा को शहर का नया कलेक्टर बनाया गया है। इनके अलावा कटनी के कलेक्टर दिलीप कुमार यादव को इंदौर नगर निगम का आयुक्त व मेट्रो रेल कंपनी का अपर प्रबंध संचालक बनाया गया है। ये दोनों अधिकारी मुख्यमंत्री की पसंद के अधिकारियों में शामिल हैं। इंदौर के मौजूदा कलेक्टर आशीष सिंह को उज्जैन का नया संभागायुक्त बनाया गया है। इसके अलावा उनके पास सिंहस्थ मेला अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार बना रहेगा।

सक्सेना की काबिलियत जगजाहिर

जबलपुर के कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना को

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी सह आयुक्त जनसंपर्क तथा माध्यम के प्रबंध संचालक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। सक्सेना उज्जैन के हैं। जब मुख्यमंत्री ने पहले प्रशासनिक सर्जरी की थी तब उन्हें जबलपुर का कलेक्टर बनाया गया था। ये सरल, सहज होने के साथ ही नवाचार को प्राथमिकता देते हैं। इन्होंने जबलपुर में निजी स्कूलों पर नकेल कसी। भोपाल में एडीएम रहते सक्सेना ने अवैध प्लॉटिंग करने वाले बिल्डरों के खिलाफ मोर्चा खोलकर अपनी प्रशासनिक क्षमता का प्रदर्शन किया था। उसके बाद से ही उनकी काबिलियत का लोहा प्रशासनिक वीथिका में माना जाने लगा।

सिंहस्थ की जिम्मेदारी आशीष सिंह को

इंदौर के कलेक्टर आशीष सिंह को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के गृह संभाग उज्जैन का संभागायुक्त बनाया गया है। सरकार उन्हें पहले

ही 2028 में होने वाले सिंहस्थ मेले का अधिकारी नियुक्त कर चुकी है। उज्जैन के नए संभागायुक्त आशीष सिंह को सिंहस्थ मेला अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। कुछ दिन पहले जब उन्होंने यह प्रभार संभाला था, तब उन्होंने श्री महाकाल मंदिर, श्री चिंतामन गणेश मंदिर, श्री कालभैरव मंदिर और श्री हरसिद्धि माता मंदिर के दर्शन भी किए थे। इस दौरान उन्होंने कहा था कि सिंहस्थ महापर्व 2028 में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विकास कार्यों को समय पर और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करना उनकी प्राथमिकता है। सिंहस्थ के माध्यम से उज्जैन और मप्र का नाम विश्व स्तर पर स्थापित करना मेरा सपना है।

2016 बैच के अधिकारी बने कलेक्टर

2016 बैच के अधिकारियों को कलेक्टर बनाया गया है। इनमें मुख्य सचिव अनुराग जैन के कार्यालय में उपसचिव के पद पर कार्यरत आशीष तिवारी को कटनी कलेक्टर, उज्जैन जिला पंचायत की सीईओ जैती सिंह को बड़वानी कलेक्टर, जबलपुर नगर निगम आयुक्त प्रीति यादव को आगर मालवा का कलेक्टर बनाया है। वहीं लंबे समय से छुट्टी पर चल रही बड़वानी कलेक्टर गुंचा सनोबर को मप्र शासन में उपसचिव पदस्थ किया है। वहीं 2013 बैच के आईएएस आगर मालवा के कलेक्टर राघवेंद्र सिंह को जबलपुर का नया कलेक्टर बनाया गया है। डॉ. परीक्षित संजयराव झाड़े को इंदौर विकास प्राधिकरण का नया सीईओ बनाया गया है। ये वर्तमान में नगरीय विकास विभाग के अपर आयुक्त हैं। आईडीए के मौजूदा सीईओ आरपी अहिरवार को जबलपुर नगर निगम का आयुक्त बनाया गया है।

रॉकेट बना सीएमओ

मुख्यमंत्री सचिवालय इन दिनों अपनी त्वरित कार्यवाही के कारण चर्चा का केंद्र बना हुआ है।

जिस तेजी से सीएमओ में काम और फाइलें निपटाई जा रही हैं, उसको देखकर अफसर कहने लगे हैं कि सीएमओ तो रॉकेट बन गया है। दरअसल, जबसे नीरज मंडलोई अपर मुख्य सचिव बनकर सीएमओ में पदस्थ हुए हैं, वे सभी अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर काम कर रहे हैं और करवा रहे हैं। बताया जा रहा है कि सीएमओ में अब पर्याप्त अधिकारी हैं। इसका परिणाम यह देखने को मिल रहा है कि विभागों द्वारा सचिवालय को जो फाइलें भेजी जाती हैं, उन्हें उसी दिन पूरी कर वापस भेज दिया जाता है।

50 आईपीएस इधर से उधर

चंदेल भोपाल ग्रामीण डीआईजी बने

राज्य में 50 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। इस लिस्ट में 16 जिलों के एसपी और 7 रेंज के डीआईजी समेत 18 डीआईजी का नाम शामिल है। रतलाम के डीआईजी मनोज कुमार सिंह को डीआईजी लोकायुक्त बना दिया गया है। राजेश सिंह चंदेल, जो रीवा के डीआईजी थे, उन्हें अब भोपाल ग्रामीण के डीआईजी पद पर नियुक्त किया गया है। रेल डीआईजी मोनिका शुक्ला को भोपाल में बतौर अतिरिक्त पुलिस आयुक्त क्राइम नियुक्त किया गया है।

विवादों के बाद भी बने एसपी

कुछ आईपीएस अफसर ऐसे हैं, जिनको एसपी बनाए जाने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। 2012 बैच के शिवदयाल जो ग्वालियर 14वीं वाहिनी विसबल सेनानी थे, उन्हें झाबुआ का एसपी बनाया गया है। ये अपने अब तक के कार्यकाल में काफी विवादित रहे हैं। वहीं 2012 बैच के कुमार प्रतीक, जो 23वीं वाहिनी विसबल भोपाल में सेनानी के पद पर थे, इन्हें इंदौर (जोन-2) का पुलिस उपायुक्त बनाया गया है। इनका भी विवादों से पुराना नाता है। इनके खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही थीं। शिकायतों की भरमार के बाद भी इन्हें फ्रंटलाइन में लाया गया है। वहीं रामशरण प्रजापति को भोपाल ग्रामीण का एसपी बनाया गया है। सुनने में ये आया है कि साहब पारिवारिक उलझनों से ग्रसित हैं। क्योंकि लक्ष्मी का वास उनके पास बना रहने से पारिवारिक कलह चलता रहता है। इस कारण वे हमेशा चर्चा में रहते हैं। इन सबके बावजूद भी उन्हें फील्ड पोस्टिंग दे दी गई है। वहीं एक आईपीएस के अलीराजपुर एसपी रहते हुए सिक्का कांड प्रमुख था। वहीं तत्कालीन एसपी राजेश व्यास की शिकायतों के चलते हुए उन्हें भी स्वतंत्र जिले से हटाकर इंदौर में पोस्टिंग दी गई है। इसी तरीके से एक विवादित महिला आईपीएस ऑफिस को भी दोबारा से कप्तान बनाकर भेजा है।

अच्छे काम वाले भी हटे

इस तबादले में कई ऐसे अफसरों के भी तबादले हुए जो अच्छा काम कर रहे थे। इनमें झाबुआ एसपी पद्मविलोचन शुक्ला का नाम है। ये अपनी पदस्थापना के समय से ही अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन इन्हें डेढ़ साल के अंदर ही हटा दिया गया। वहीं 2012 बैच के निश्चल झारिया एसपी बैतूल के रूप में अच्छा काम कर रहे थे, जिन्हें सेनानी 5वीं वाहिनी विसबल मुरैना पदस्थ कर दिया गया है। उनकी जगह पर श्योपुर एसपी वीरेंद्र जैन को बैतूल में पदस्थ किया गया है। वहीं हरदा एसपी अभिनव चौकसे को करणी सेना के आंदोलन के कारण हटाया गया है, जबकि वे बड़े जवाबदार अफसरों में शुमार हैं।

16 एसएएस बने आईएएस

मप्र कैडर के 16 राज्य प्रशासनिक सेवा (एसएएस) अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) में पदोन्नत किया गया है। इनमें वे अधिकारी भी शामिल हैं जो विभागीय जांच के चलते पिछले सालों में प्रमोशन से वंचित रह गए थे। जांच में क्लीनचिट मिलने के बाद नारायण प्रसाद नामदेव और कैलाश बुंदेला को भी अब आईएएस बनने का अवसर मिल गया है। वहीं, उज्जैन नगर निगम के पूर्व कमिश्नर आशीष पाठक को भी आईएएस में पदोन्नति दी गई है। जिन आईएएस अफसरों को 2023 बैच के लिए हुई डीपीसी में आईएएस बनने का मौका मिला है। उसमें जो 8 अफसर शामिल हैं, उनमें नारायण प्रसाद नामदेव, डॉ. कैलाश बुंदेला, नंदा भलावे कुशरे, अनिल कुमार डामोर, सविता झानिया, सारिका भूरिया, कमल सोलंकी और जितेंद्र सिंह चौहान शामिल हैं। 2024 की डीपीसी के लिए जिन राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों का नाम चुना गया है, उसमें उज्जैन में पदस्थ अपर कलेक्टर संतोष टैगोर और पूर्व निगमायुक्त उज्जैन आशीष पाठक का नाम शामिल है। जो अधिकारी आईएएस बने उनमें संतोष कुमार टैगोर, निशा डामोर, राकेश कुशरे, शैली कनाश, रोहन सक्सेना, कविता बाटला, सपना अनुराग जैन और आशीष कुमार पाठक आदि शामिल हैं।

सिया में नियमानुसार अनुमति

सिया में जिन अनुमतियों को लेकर विवाद की स्थिति निर्मित की गई है, वे नियमानुसार दी गई हैं। दरअसल, राज्य मूल्यांकन समिति के अप्रूवल के बाद ही अनुमति दी गई है। दरअसल, किसी कारोबारी को जब तक सिया का अनुमति पत्र नहीं मिलता है, तब तक वह बैंक से लोन नहीं ले सकता है। सिया में फाइलें लटकने के कारण कारोबारियों में नाराजगी थी। इससे सरकार की छवि भी खराब हो रही थी। यह सब जानते हुए भी सिया अध्यक्ष द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह मामले को खींचा गया है, उससे सरकार के साथ ही ब्यूरोक्रेसी में भी नाराजगी है।

ठप हो गया ई-ऑफिस

मप्र में सरकारी कामकाज को पारदर्शी और तेजी से करने के लिए मंत्रालय में ई-ऑफिस व्यवस्था करीब 8 महीने पहले शुरू की गई थी। इस व्यवस्था से सारे काम धड़ाधड़ हो रहे थे। लेकिन गत दिनों उस समय अधिकारियों के होश उड़ गए, जब ई-ऑफिस व्यवस्था ठप हो गई। व्यवस्था ठप होते ही अधिकारी हाथ पर हाथ धरे दिनभर बैठे रहे। दरअसल, ई-ऑफिस व्यवस्था का संचालन एनआईसी दिल्ली से होता है। इसका सर्वर भी वहीं लगा हुआ है। ऐसे में व्यवस्था रुकने के बाद सारे ऑनलाइन काम अटक गए और तब जाकर अधिकारियों की समझ में आया कि जितनी बड़ी तकनीक उतनी ही बड़ी यह समस्या है। दरअसल, सूत्रों का कहना है कि शनिवार और रविवार दो दिनों में ई-ऑफिस व्यवस्था के मेंटेनेंस के लिए शटडाउन मांगा गया था। लेकिन जब सोमवार को अधिकारियों ने मंत्रालय पहुंचकर काम करना शुरू किया तो ई-ऑफिस शटडाउन मिला। इससे पूरी व्यवस्था की कलई खुल गई।

● राजेन्द्र आगाल

शिकायतों के बाद हटाए गए दीपक सिंह

प्रदेश के सबसे संपन्न और कमाऊ जिले इंदौर में संभागायुक्त के पद पर बैठे 2007 बैच के आईएएस अधिकारी दीपक सिंह को राज्य निर्वाचन आयोग का सचिव बनाया गया है। बताया जाता है कि जबसे दीपक सिंह की पदस्थापना इंदौर संभागायुक्त के पद पर हुई थी, तभी से वे विवादों में चल रहे थे। सूत्रों का कहना है कि उन पर उगाही करने के आरोप लगते रहे हैं। बताया जाता है कि सरकार ने यह कदम उनके खिलाफ मिली शिकायतों पर उठाया है। गौरतलब है कि दीपक सिंह के कार्यकाल में इंदौर संभाग में कई ऐसी अप्रिय घटनाएं भी घटित हुईं, जिससे वे सरकार के निशाने पर थे। जिसका परिणाम यह हुआ कि उन्हें लूपलाइन समझे जाने वाले राज्य निर्वाचन आयोग में पदस्थ कर दिया गया। वहीं, राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव अभिषेक सिंह को गृह विभाग में सचिव बनाया गया है। ये लंबे समय से नई पदस्थापना की तलाश में थे।

हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल मिश्रा को सीधे फोन करने और अपने एक नजदीकी रिश्तेदार के माध्यम से अप्रोच करने के मामले में विधायक संजय पाठक के खिलाफ अदालत की अवमानना का केस चल सकता है। पाठक के वकील अंशुमान सिंह ने भी केस लड़ने से इनकार कर दिया है। पाठक की इस हरकत के बाद वकीलों का एक धड़ा उनसे नाराज बताया जा रहा है। बता दें कि जस्टिस विशाल मिश्रा ने 1 सितंबर को अपने आदेश में लिखा था कि भाजपा विधायक ने उन्हें फोन कर प्रभावित करने की कोशिश की, इसलिए वे खुद को केस से अलग कर रहे हैं। ये याचिका पाठक के परिवार से जुड़ी तीन कंपनियों पर 443 करोड़ रुपए की पेनाल्टी से जुड़ी है। हालांकि, पाठक इस पूरे मामले में अब तक चुप्पी साधे हुए हैं।

संजय पाठक जिन कंपनियों से जुड़े हैं, उनका केस वकील के तौर पर अंशुमान सिंह लड़ रहे थे। 1 सितंबर को जस्टिस विशाल मिश्रा के इस केस से हटने के बाद अंशुमान सिंह ने भी पाठक के परिवार की कंपनियों की पैरवी करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कोर्ट में इसके लिए एप्लिकेशन दी है। उनका तर्क है कि जब उन्हें ये पता चला कि उनके क्लाइंट ने हाईकोर्ट को प्रभावित करने की कोशिश की, तो ऐसे में उन्होंने इस केस से खुद को दूर करने का फैसला कर लिया है। पाठक के एडवोकेट अंशुमान सिंह का कहना है कि यदि कोई वकील खुद को किसी केस से अलग करता है तो उसे हाईकोर्ट में लिखित एप्लिकेशन देना पड़ती है। वही मैंने दी है।

एडवोकेट अंशुमान सिंह ने बताया- एप्लिकेशन में मैंने लिखा कि आनंद माइनिंग कॉर्पोरेशन और निर्मला मिनरल्स, जिन दो कंपनियों के केस की मैं पैरवी कर रहा था, उनके किसी रिलेटिव ने जस्टिस मिश्रा को कॉल किया। इस बात का जस्टिस मिश्रा ने 1 सितंबर के आदेश में जिक्र किया। इसकी वजह से मैं ये केस छोड़ रहा हूं और मैंने इस बारे में अपने क्लाइंट को बता दिया है। एडवोकेट अंशुमान सिंह ने ये भी कहा कि उन्हें नहीं पता कि जिन दो कंपनियों की वो पैरवी कर रहे थे, उसमें विधायक संजय पाठक का कितना शेयर है? उनका संजय पाठक से सीधा सरोकार नहीं है। वो कई सारी कंपनियों के केस लड़ते हैं, ऐसे में हर केस के क्लाइंट का किससे क्या रिलेशन है, इस बात की जांच नहीं करेंगे।

हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस वेदप्रकाश शर्मा का कहना है कि संबंधित विधायक का ये आचरण अमर्यादित और विधि के मापदंडों के विरूद्ध है। साथ ही ये न्यायालय की अवमानना भी है। वे कहते हैं कि दो तरह की अवमानना होती है, सिविल और क्रिमिनल। तकनीकी तौर पर ये आपराधिक अवमानना की श्रेणी में आता है, क्योंकि ये न्याय प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने की कोशिश है। विधायिका में बैठे लोगों से ऐसे आचरण की अपेक्षा नहीं की जाती। जिन्हें विधायक की जिम्मेदारी सौंपी गई है, उनसे अनुकरणीय उदाहरण की अपेक्षा की जाती है। मप्र के पूर्व एडिशनल एडवोकेट जनरल अजय गुप्ता का कहना है कि किसी राजनेता का इस तरह से सीधे हाईकोर्ट के जस्टिस को अप्रोच करना न्यायिक प्रणाली में हस्तक्षेप है। ये उद्दंडता है। इस गलती के लिए विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। गुप्ता कहते हैं कि यदि एक्शन नहीं हुआ तो न्यायिक प्रणाली में हस्तक्षेप करने वालों के हौंसले बढ़ते जाएंगे। मेरा सवाल ये है कि क्या हम आगे के लिए छोड़ रहे हैं? मेरे हिसाब से इस बात को लेकर रजिस्ट्रार के माध्यम से पुलिस में शिकायत होनी चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा पर आरोप हैं कि उनके घर से पैसे बरामद हुए। ये बातें बढ़ती चली जाएंगी।

अवमानना की जद में संजय पाठक

443 करोड़ की पेनाल्टी 1400 करोड़ के पार

विधायक संजय पाठक द्वारा जस्टिस को फोन करने से शुरू हुए विवाद का मूल केस संजय पाठक के परिवार से जुड़ी 3 कंपनियों पर मप्र सरकार द्वारा लगाई गई 443 करोड़ रुपए की पेनाल्टी है। कटनी के रहने वाले आशुतोष मनु दीक्षित ने सबसे पहले ये शिकायत ईओडब्ल्यू में की थी। इसके बाद जांच कमेटी बनी। सरकार ने 443 करोड़ की पेनाल्टी लगाई। पेनाल्टी लगाने का आधार ये है कि 2017 से पहले मैनुअल ट्रांजिट परमिट जारी होते थे। ये उसी हिसाब से होते थे, जितने हिस्से की पर्यावरणीय अनुमति होती थी। लेकिन पाठक के परिवार की कंपनियों ने मंजूरी से बहुत ज्यादा आयरन-ओर का खनन किया। इसके लिए राज्य सरकार से एक्स्ट्रा ट्रांजिट परमिट भी लिए।

मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम से निवेदन किया था कि उनका तबादला मप्र से बाहर कर दिया जाए। उन्होंने इस पत्र में लिखा था कि उनकी बड़ी बेटी अगले वर्ष से जिला अदालत और हाईकोर्ट की इंदौर पीठ में वकालत की शुरुआत करेगी। जब उनकी बेटी प्रैक्टिस शुरू करेगी, तब वे मप्र में पदस्थ नहीं रहना चाहते। जस्टिस श्रीधरन को 7 अप्रैल 2016 में हाईकोर्ट में न्यायाधीश बनाया गया था। इंदौर पीठ में सेवाएं देने के बाद वे मुख्यपीठ जबलपुर में भी पदस्थ रहे। जस्टिस श्रीधरन ने 23 जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को उक्त निवेदन का पत्र भेजा था। तब सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उनके इस पत्र को न्याय व्यवस्था के लिए बेहतर बताते हुए उन्हें प्रदेश के बाहर पदस्थ करने की अनुशंसा की थी। आशुतोष मनु दीक्षित का कहना है कि ये पूरा एक्शन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के तहत ही हुआ है। पाठक को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत मिलने के आसार कम हैं। ऐसे में पाठक को हर हाल में ये पेनाल्टी जमा करनी होगी। हालांकि, पाठक के परिवार से जुड़ी तीनों खदानों में खनन का काम चल रहा है। सरकार की ओर से कोई अधिकारी इसे शासन स्तर का मामला बताकर किसी भी तरह का कमेंट करने से बच रहा है।

● सुनील सिंह

आदिवासियों का अपना बनाने की जंग

मप्र की राजनीति पर अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग (एससी, एसटी) के प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है। इसलिए राजनीतिक पार्टियों का फोकस इस वर्ग को साधने पर रहता है। इसको देखते हुए कांग्रेस ने अभी से एससी, एसटी वर्ग को साधने की कोशिश शुरू कर दी है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने सत्ता में वापसी के लिए नई चाल चल दी है। कांग्रेस आदिवासियों पर अपना एक क्षत्र राज जमाना चाहती है। इसके लिए विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा है कि मैं गर्व से कहता हूं कि हम आदिवासी हैं, हिंदू नहीं।

गौरतलब है कि मप्र में कांग्रेस और भाजपा के बीच सत्ता की जंग में आदिवासी समुदाय की भूमिका हमेशा से महत्वपूर्ण रही है। यह समुदाय जिसके साथ चलता है, सत्ता उसी को मिलती है। पिछले दो दशक से आदिवासी समुदाय भाजपा के साथ है, अलबत्ता 2018 में कांग्रेस की ओर आदिवासी समाज का झुकाव होने से कमलनाथ को सरकार में आने का मौका जरूर मिल गया था। यही वजह है कि वर्ष 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले शुरू हो रही जनगणना को लेकर कांग्रेस सक्रिय हो गई है। कांग्रेस ने आदिवासी समुदाय से अपील की है कि जनगणना में धर्म के कॉलम में वह स्वयं को हिंदू न बताएं। इधर, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसे हिंदुओं का अपमान बताया है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के गर्व से कहो हम आदिवासी हैं, हिंदू नहीं, वाले बयान के बाद प्रदेश का सियासी माहौल गरमा गया है। भाजपा के आदिवासी नेताओं ने सिंघार के बयान को आदिवासी विरोधी बताया है। उन्होंने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयानों को आधार बनाकर कहा कि कांग्रेस की संस्कृति ही सनातन धर्म के विरोध की रही है। अब जनगणना के बहाने कांग्रेस हिंदू ही नहीं, बल्कि समाज का बंटवारा करना चाहती है। यह बयान हिंदू समाज के साथ ही आदिवासी समुदाय को भी कमजोर बनाने की साजिश है।

आदिवासी वर्ग को साधने के लिए भाजपा और कांग्रेस में शह-मात का खेल शुरू हो गया है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को किसी एसटी आरक्षित सीट पर जीत नहीं मिली थी। उमंग सिंघार का बयान ऐसे समय पर आया है, जब सुप्रीम कोर्ट में लंबित ओबीसी आरक्षण के मामले में कांग्रेस ने सरकार का साथ देकर एक तरह से अपने हथियार डाल दिए हैं। उसने ओबीसी आरक्षण के मामले में सफलता और असफलता का अनुमान लगाए बिना यह कदम उठाकर बड़ा जोखिम लिया है। जनगणना में आदिवासी समुदाय को अलग से पहचान दिलाने की कांग्रेस की यह कोशिश भी नुकसान का कारण बन सकती है। कांग्रेस के पास आदिवासी समुदाय के बीच जाकर बताने के लिए फिलहाल कुछ खास नहीं है, वहीं द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद तक पहुंचाने का श्रेय भाजपा अपने खाते में रखती है। साथ ही पेसा एक्ट जैसी कवायद भी भाजपा सरकार कर चुकी है। देश के विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा के अनुषांगिक संगठन आदिवासी समुदायों के बीच मतांतरण रोकने के साथ उनके कल्याण के लिए कार्यक्रमों को लगातार जारी रखे हुए हैं। संघ की कोशिश है कि रामायण और महाभारत काल के तमाम उदाहरण के माध्यम से आदिवासियों को उनके हिंदू होने का बोध कराते हुए मुख्यधारा में लाया जाए। इधर कांग्रेस के बयान इन कोशिशों के लिए चुनौती खड़ी करते हैं।

आदिवासी वर्ग पर भाजपा का फोकस

मप्र में वर्ष 2028 के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। अब लगभग तीन साल का समय शेष है। इसमें दोनों पार्टियों का पूरा फोकस आदिवासी वर्ग को साधने पर है। भाजपा आदिवासी वर्ग के कल्याण की योजनाएं बनाने और उनके क्रियान्वयन पर दिखाई पड़ रहा है। कई राज्यों में सत्ता का फैसला करने वाले आदिवासी समुदाय को लेकर भाजपा की सक्रियता मप्र की सियासत की दिशा भी बदलने वाली है। दरअसल, मप्र में 21 प्रतिशत आदिवासी हैं, जो विधानसभा की करीब 82 सीटों पर प्रभाव रखते हैं। प्रदेश में भाजपा की सत्ता बरकरार रखनी है, तो इस वर्ग को साथ लेना जरूरी है। विकास के मुद्दे पर भाजपा कमजोर न पड़े, इसके लिए गरीब कल्याण की योजनाओं को आदिवासी क्षेत्रों पर फोकस करते हुए गढ़ा जा रहा है।

जनजातीय समाज जिस प्रकार से प्रकृति की, सूर्य की, गाय की, फसल की पूजा करता है, वह शैली सकल हिंदू समाज की पूजा पद्धति में नाना प्रकार से परिलक्षित होती है। हमारे लगभग सभी कस्बों, ग्रामों, नगरों के प्रारंभ में मिलने वाले खेड़ापति मंदिर जनजातीय देव परंपरा का ही एक अंग है। जनजातीय देव जैसे बड़ादेव, बुढ़ादेव, घुटालदेव, भैरमदेव, डोकरादेव, चिकटदेव, लोधादेव, पाटदेव, सियानदेव, ठाकुरदेव आदि देवता आज वनवासी समाज के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य सभी जाति, समुदाय, वर्गों में भी पूजनीय देव माने जाते हैं। जनजातीय समाज और शेष हिंदू समाज की देवी पूजा तो और भी अधिक परस्पर समान है। घाटमुंडिन देवी, दंतेश्वरी देवी, मावलीदेवी, गोदनामाता, आमादेवी, तैलंगदेवी, कंकाली माता, लोहराजमाता, सातवाहीन माता, लोहड़ीगुड़िन माता, दुलारीमाता, शीतलादई माता, घाटमुंडिन माता, परदेशी माता, हिंगलाजिन माता, बुढ़िमाता, करमकोटिन माता, महिषासुन मर्दिनी, कोट गढ़िन, लालबाई, फूलबाई, सतीमाता, काजली माता, महामाया देवी, परीमाता, अंबामाई, महालया देवी, जलदेवी, समलाया माता, बीजासनी माई, वामका माता, रोझड़ी माता, पीपला माता, बड़माता आदि देवियां वनवासी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामों, कस्बों, उपनगरीय व नगरीय क्षेत्रों में भी सभी हिंदू समाजों द्वारा प्रमुखता से पूजी जाती हैं। जनजातीय देव परंपरा का एक भाग ये भी है कि ये हनुमानजी, गणेशजी, भेरुबाबा, गोगादेव, सिंगाजी, रामदेवजी आदि के भी पूजक होते गए व इन्हें पूजने के साथ-साथ इन्हें अपने प्राकृतिक प्रतीकों में मिलाते, घोलते चले गए। जनजातीय समाज की विभिन्न जातियों व अंतर्वर्गों ने इन देवताओं को परस्पर बांट लिया व इन्हें विभिन्न प्रकार के अलग-अलग वनीय वृक्षों पर स्थापित करते गए।

● **जितेंद्र तिवारी**

मैदानी अफसरों की तय होगी प्राथमिकता

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव दशहरे के बाद प्रदेश के सभी कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षक, आईजी और कमिश्नरों के साथ कॉन्फ्रेंस करेंगे। सरकार में यह पहली कलेक्टर-कमिश्नर, एसपी-आईजी कॉन्फ्रेंस होगी। दशहरे के बाद होने वाली कलेक्टर-कमिश्नर कॉफ्रेंस में मैदानी अफसरों की परफॉर्मेंस का आंकलन किया जाएगा। साथ ही आगामी वर्षों की कार्ययोजना और विजन डॉक्यूमेंट पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। कॉन्फ्रेंस में राज्य के सभी वरिष्ठ अफसर शामिल होंगे। कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में कलेक्टर, एसपी, कमिश्नर, आईजी और पुलिस कमिश्नर भाग लेंगे। खासतौर पर आगामी कार्ययोजना मांगी जाएगी। इसके बाद मैदानी अफसरों के लिए आगामी 3 साल के लिए प्राथमिकता तय की जाएगी।

दरअसल, मुख्य सचिव अनुराग जैन के सेवा विस्तार के बाद यह कॉन्फ्रेंस हो रही है। इस कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में सरकार का फोकस विजन 2047 डॉक्यूमेंट के साथ अगले तीन साल की कार्ययोजना पर रहेगा। प्रदेश के आला अधिकारियों को तीन साल के प्राथमिकता वाले कार्यों और परियोजनाओं की जानकारी दी जाएगी और उन पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए जाएंगे। बताया जाता है कि पहले यह कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस 19-20 सितंबर को प्रस्तावित थी, लेकिन नवरात्रि और कानून-व्यवस्था के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने अब इसे 2 अक्टूबर यानी दशहरे के बाद करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कैबिनेट बैठक से पूर्व अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अपने उद्बोधन में कहा था कि देश को शीघ्र ही एक बड़ा तोहफा मिलेगा। नई पीढ़ी के जीएसटी सुधार किसानों, एमएसएमई, मध्यम वर्ग, महिलाओं और युवाओं के जीवन को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है। यह आम आदमी के जीवन को सुविधा और समृद्धि देने वाले उपहार हैं। इस बार दीपावली स्वदेशी से समृद्धि के संकल्प के साथ मनाई जाएगी। स्वदेशी से आत्मनिर्भरता के दीप हर घर में प्रज्ज्वलित होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कैबिनेट के सभी सदस्यों से आग्रह किया कि वे जीएसटी सुधारों की जानकारी और उनके लाभों को जन-जन तक पहुंचाएं। इसके लिए स्वदेशी आंदोलन भी चलाया जाएगा।

मोहन सरकार ने दो माह पूर्व कलेक्टरों के कामकाज की रैंकिंग करने का निर्णय लिया था, जिस पर एमपीएसईडीसी कार्य कर रहा है। इसके लिए पैरामीटर्स तय किए गए थे, जिनमें कुछ बदलाव करते हुए रिपोर्ट तैयार की जा रही है। अक्टूबर में होने वाली कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में कलेक्टरों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाएगी। अत: कलेक्टरों को शासन के प्राथमिकता वाले पैरामीटर्स पर फोकस कर कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। जानकारी के अनुसार मोहन यादव सरकार 400 से ज्यादा पैरामीटर्स के आधार पर कलेक्टरों की परफॉर्मेंस का आंकलन करा रही है। यह रेटिंग सरकार की प्राथमिकताओं पर आधारित होगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मई में सभी कलेक्टरों को चौंकाते हुए कहा था कि उनके पास सबकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट है, लेकिन इस बार वे इसे सार्वजनिक नहीं करेंगे। सरकार अब खुद जिलों की ग्रेडिंग कराएगी ताकि सही रिपोर्ट मिल सके। सरकार कलेक्टरों के ट्रांसफर पर कंट्रोल करने के बाद अब उनके काम की रेटिंग करा रही है। योजनाओं को लागू करने के लिए परफॉर्मेंस इंडिकेटर तय किए गए हैं। डायनामिक पैरामीटर भी रेटिंग तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अभी कुछ और पैरामीटर भी बढ़ सकते हैं। सभी विभागों की योजनाओं के पैरामीटर इंडिकेटर और डायनामिक पैरामीटर के आधार पर परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाने का काम किया जाएगा। हर विभाग से उनसे संबंधित योजनाओं के पैरामीटर की जानकारी बुलाई जाती है। सारे विभागों के पोर्टल कनेक्टेड हैं, इसलिए इसके आधार पर रिपोर्ट मिल रही है। इसके बाद सभी योजनाओं के एवरेज के आधार पर रिपोर्ट बनाने का काम हो रहा है। यह शुरुआती दौर है, इसलिए अभी कलेक्टरों को इसकी जिलेवार रिपोर्ट सामूहिक तौर पर नहीं दी गई है। कलेक्टरों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट में एक खास बात यह भी है कि इसमें योजनाओं के पैरामीटर के साथ शासन की प्राथमिकता को भी ध्यान में रखा जाएगा।

● अरविंद नारद

मंत्री करेंगे अपने-अपने विभागों की समीक्षा

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि वे कॉन्फ्रेंस से पहले अपने-अपने विभागों की विस्तृत समीक्षा करें, ताकि जिन क्षेत्रों में प्रदर्शन कमजोर है, वहां सुधार लाया जा सके। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री आने वाले दिनों में मंत्रियों से वन-टू-वन करने वाले हैं। मप्र के मंत्री-विधायकों ने दिसंबर 2023 में सरकार बनने के बाद 20 महीने में क्या काम किए, इसका हिसाब मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव लेंगे। वह मंत्रियों के साथ वन-टू-वन बैठक करेंगे और विभागवार उनके कामकाज की समीक्षा करेंगे। इसी के आधार पर मंत्रियों के प्रदर्शन का आंकलन किया जाएगा। मंत्रिमंडल के अगले विस्तार में इसी के आधार पर मंत्रियों का भविष्य भी तय होगा। डॉ. मोहन यादव द्वारा अक्टूबर में मंत्रियों के साथ बैठकों का दौर शुरू करने की तैयारी है। बता दें, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पहले भी मंत्रियों के कार्य प्रदर्शन की एक रिपोर्ट तैयार कराई थी, जो केंद्रीय नेतृत्व को भेजी गई। हाल ही में भोपाल में भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष को भी यही रिपोर्ट दिखाई गई थी। गांव में रात्रि विश्राम और चौपाल की जानकारी भी ली जाएगी। मुख्यमंत्री मंत्रियों से यह भी पूछेंगे कि उन्होंने कितने गांवों में रात्रि विश्राम किया और चौपाल लगाई। वे प्रभार के जिलों में प्रतिमाह दौरा कर रहे हैं या नहीं। यह भी देखा जाएगा कि मंत्रियों का अपने प्रभार के जिलों में अधिकारियों के साथ तालमेल कैसा है। पार्टी के दृष्टिकोण से यह भी देखा जाएगा कि संगठन के कामकाज में उनकी सहभागिता कैसी है। केंद्र से मिले अभियानों को सफल बनाने में कितने मंत्रियों का प्रदर्शन अच्छा रहा। इसके अलावा मंत्रियों से आमजन व पार्टी कार्यकर्ता की संतुष्टि के बारे में भी जानकारी लेकर इस पर चर्चा की जाएगी।

भगवा रंग में नहीं रंगे महाराज समर्थक

कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए अधिकांश नेता अभी तक भगवा रंग में नहीं रंग पाए हैं। इसका असर यदा-कदा देखने को मिलता है जब नेता अपने आप को उपेक्षित बताते हैं।

भाजपा में शामिल होने के बाद महाराज यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया तो पूरी तरह भाजपाई हो गए हैं, लेकिन उनके समर्थक अभी भी अपने को उपेक्षित बता रहे हैं। खासकर वे नेता जो मंत्री बन गए हैं या पदाधिकारी बने हैं। जबकि भाजपा सिंधिया और उनके समर्थकों को पूरा महत्व दे रही है। वर्ष 2020 में तत्कालीन शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट में आधी संख्या ज्योतिरादित्य समर्थक नेताओं की थी। उन्हें प्राथमिकता देने के फेर में जातिगत, क्षेत्रीय और सांगठनिक समीकरणों को दरकिनार कर दिया गया था। उपचुनाव में भी सभी को टिकट दिया गया था। वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा सरकार बनी तो भी डॉ. मोहन यादव की कैबिनेट में सिंधिया खेमे के कुछ मंत्री शामिल किए गए।

मप्र की सरकार में भले ही कांग्रेस से आए नेताओं को मंत्री पद मिल गया हो, लेकिन भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं की उपेक्षा के चलते अब वे पार्टी से दूरी बनाने लगे हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने समर्थकों सहित भाजपा में शामिल हुए साढ़े पांच साल हो चुके हैं, लेकिन प्रदेश में अंदरूनी तौर पर सरकार में उनका रवैया गठबंधन के सहयोगी जैसा दिखाई पड़ रहा है। सत्ता और संगठन का दावा रहा है कि कहीं कोई समस्या नहीं है, लेकिन कैबिनेट बैठक से लेकर प्रशासनिक जिम्मेदारियों में ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी मंत्रियों के हाव-भाव अन्य मंत्रियों से अलग दिखाई देते हैं। गोविंद सिंह राजपूत विवादों में घिरे ही रहते हैं। बर्खास्त परिवहन आरक्षक सौरभ शर्मा के सैकड़ों करोड़ रुपए के घोटाले से लेकर बेनामी संपत्ति के उनके कई मामले सामने आए। बचाव की मुद्रा में भाजपा को इन मुद्दों पर कई बार नीचा देखना पड़ा। दूसरी तरफ ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर हैं, जो आए दिन सरकार को संकट में डालते रहते हैं।

मप्र सरकार में शामिल सिंधिया समर्थक मंत्रियों में से कोई अपने विवादों के कारण तो कोई अपने बयानों से भाजपा की परेशानी बढ़ा रहा है। मोहन सरकार में फिलहाल सिंधिया के करीबी तीन मंत्रियों में गोविंद सिंह राजपूत और प्रद्युम्न सिंह तोमर सरकार की मुसीबत बढ़ा रहे हैं जबकि तुलसी सिलावट समरस दिखाई दे रहे हैं। 9 सितंबर को ही कैबिनेट की बैठक में प्रद्युम्न सिंह ने आरोप लगाया कि ग्वालियर के साथ न्याय नहीं हो पा रहा है। कलेक्टर-कमिश्नर उनकी सुन नहीं रहे हैं। प्रद्युम्न सिंह ग्वालियर से विधायक हैं। ऐसे में उनकी पीड़ा लोकप्रियता के लिहाज से चर्चा में भले आ जाए, लेकिन राजनीतिक और प्रशासनिक कसौटी पर बड़े सवाल खड़े करती है। ग्वालियर के साथ न्याय नहीं हो पा रहा है, यह कहना प्रद्युम्न सिंह की राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव नहीं दर्शाता? उनके पास ऊर्जा विभाग की पूरी जिम्मेदारी है, लेकिन ऐसे बयान उनकी कार्यक्षमता और दूरदर्शिता पर सवाल खड़े करते हैं। मंत्रिपरिषद में सभी मंत्रियों को समान अधिकार दिए गए हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को समझा जाए तो मुख्यमंत्री भी कोई विशेषाधिकार नहीं रखते हैं। बस वे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मुखिया हैं। ऐसे में प्रद्युम्न सिंह जो दुखड़ा रो रहे हैं, वह उनकी मौजूदगी के संदर्भ में विचारणीय है। यदि मंत्री रहते हुए भी जनहित का काम नहीं करवा पा रहे हैं, तो उनकी प्रशासनिक क्षमता पर प्रश्न चिह्न खड़ा होता है। बाबूलाल गौर तो मंत्री होते हुए भी मुख्य सचिव को अपनी बैठक में बुला लिया करते थे, फिर प्रद्युम्न सिंह के सामने क्या संकट है।

ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थकों को समरस बनाने के चक्कर में भाजपा संगठन में खटास, अब इस कदर पुरानी बात हो चुकी है कि इसे व्यवहार में लाना समर्पित कार्यकर्ताओं के लिए मजबूरी बन गई है। यदि सरकार में मंत्री शिकायती लहजा नहीं छोड़ेंगे, तो यह आगे मुख्यमंत्री के लिए खासी चुनौती बन सकता है। दरअसल, अभी भी भाजपा और ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थकों के बीच दरार है। कैबिनेट बैठक में प्रद्युम्न सिंह का यह कहना खेमेबाजों की राजनीति को स्पष्ट करता है। बात बैठक तक ही सीमित नहीं है, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल या मप्र के दौरे पर आते हैं, तो उनके तीनों समर्थक मंत्री उनके काफिले में शामिल रहते ही हैं। ऐसा लगता है कि ज्योतिरादित्य कैबिनेट अलग चल रही है। इसके कई राजनीतिक मायने भी निकाले जा सकते हैं।

● **डॉ. जय सिंह सेंधव**

सिंधिया की सत्ता-संगठन से भी केमिस्ट्री नहीं

ज्योतिरादित्य सिंधिया और भाजपा संगठन के बीच भी बहुत अच्छी केमेस्ट्री नहीं है। विजयपुर विधानसभा उपचुनाव में यह दरार स्पष्ट दिखाई दे चुकी है। भाजपा कांग्रेस के तत्कालीन विधायक रामनिवास रावत को तोड़कर लाई और उन्हें उपचुनाव लड़ाया तो भी उन्हें चुनाव नहीं जिता पाई। इसकी वजह यह बताई गई कि ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव प्रचार के लिए नहीं आए। उधर, ज्योतिरादित्य ने इसका जवाब यह कहकर दिया कि उन्हें तो बुलाया ही नहीं गया। खैर, ऐसे एक नहीं अनेक किस्से हैं, जिसमें यह दिखाई पड़ता है कि 5 साल पहले कमलनाथ सरकार को गिराने के लिए भाजपा ने जो प्रयोग किया था, वह विचारधारा के स्तर पर अब भी सफल नहीं हो पाया है। केवल सिलावट को छोड़ दिया जाए, तो बाकी सभी ज्योतिरादित्य समर्थक मंत्री भगवा रंग में रंग नहीं पाए हैं। कैबिनेट में भी तोमर की पीड़ा को देखकर यही लगता है। सरकार की भागीदारी में खींची हुई लकीर का बार-बार उभरना, संगठन में भी ऐसी ही दरार के चिह्न दिखाता है। प्रदेश अध्यक्ष के मनोनयन से पहले जिला अध्यक्षों के नाम तय करने में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थकों ने अपना खासा दबाव बनाया था, जिसके चलते भाजपा के न केवल पुराने निष्ठावान कार्यकर्ताओं को मायूसी हाथ लगी थी, बल्कि कई दिग्गजों को भी अपने क्षेत्र में समझौता करना पड़ा था।

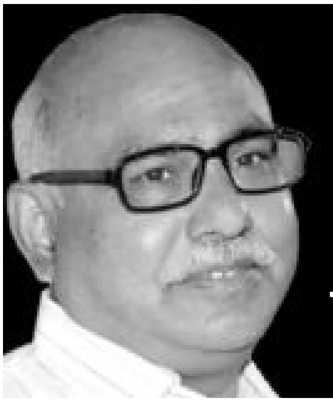

मप्र में इन दिनों भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों का फोकस अपने संगठन को गढ़ने और उसे मजबूत करने पर है। भाजपा में जहां जिला कार्यकारिणी के गठन का दौर चल रहा है, वहीं कांग्रेस भी जिलों में संगठन को मजबूत बनाने में जुटी हुई है।

संगठन गढ़ने पर फोकस

मप्र में कांग्रेस जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के बाद उठे बगावती लहर को देखते हुए भाजपा सतर्क हो गई है। इसलिए पार्टी संगठन विस्तार के लिए फूंक-फूंककर कदम बढ़ा रही है। इसका परिणाम यह देखने को मिल रहा है कि आलाकमान से मिली हरी झंडी के बाद 26 दिनों में अभी तक 15 जिलों में की कार्यकारिणी घोषित हो पाई है। जिलों की कार्यकारिणी का गठन नहीं हो पाने के कारण प्रदेश कार्यकारिणी का गठन भी अटका हुआ है।

जानकारी के अनुसार, सभी जिलों की कार्यकारिणी के गठन के बाद ही भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी का गठन होगा। इस कारण प्रदेश भाजपा फिलहाल संगठन विस्तार में उलझी हुई है। सात महीने बाद जिलों की कार्यकारिणी घोषित करने की प्रक्रिया शुरू तो हो गई है, लेकिन इसकी रफ्तार ज्यादा धीमी है। पिछले 20 से 25 दिन में 62 में से सिर्फ 15 जिलों की कार्यकारिणी ही घोषित हो पाई है। भाजपा को अभी 50 जिलों की कार्यकारिणी घोषित करना है। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती संगठन विस्तार है। इसमें जिला कार्यकारिणी और प्रदेश कार्यकारिणी की जमावट अगले विधानसभा चुनाव को देखते हुए करने की जिम्मेदारी भी है।

प्रदेश अध्यक्ष ने 10 से 15 अगस्त के बीच प्रदेश के सभी जिलों में दो-दो ऑब्जर्वर जिला कार्यकारिणी के गठन के पहले भेजे थे। ऑब्जर्वर ने 13 से 16 अगस्त के बीच अपनी रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष को सौंप दी थी। इसके बाद भी जिला कार्यकारिणी के गठन की प्रक्रिया सितंबर में शुरू हो पाई है। अभी स्थिति यह है कि एक-एक जिलों की कार्यकारिणी घोषित की जा रही है। जबकि सभी जिलों से कार्यकारिणी के लिए उपयुक्त नामों की लिस्ट 13 से 16 अगस्त के बीच प्रदेश कार्यालय में आ चुकी है। गौरतलब है कि भाजपा की जिला कार्यकारिणी का गठन पिछले सात महीने से अटका हुआ है। जिला अध्यक्षों की घोषणा जनवरी में हो गई थी। जिला कार्यकारिणी के गठन की प्रक्रिया अब शुरू हो पाई है। उसमें भी समय लग रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष 31 अगस्त को भोपाल प्रवास पर आए थे। वे 1 सितंबर को प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, प्रदेश प्रभारी डॉ. महेंद्र सिंह और प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद से मिले। इस दौरान उन्होंने प्रदेश संगठन विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर चर्चा की थी। उनके दौरे के बाद जिला कार्यकारिणी के गठन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। अब तक 15 जिलों की कार्यकारिणी ही घोषित हो पाई है।

मप्र में भाजपा का संगठन काफी मजबूत है। ग्राम स्तर तक ढांचा बना हुआ है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस संगठन की कमजोरी दूर करने पर सर्वाधिक ध्यान दे रही है। इसके तहत अब प्रत्येक जिले में संगठन को मजबूत किया जा रहा है। इसके तहत कांग्रेस जिलाध्यक्षों को 40 दिनों में जिला कार्यकारिणी का गठन करने का निर्देश दिया गया है। लेकिन जिला कार्यकारिणी के गठन से पहले बूथ, वार्ड और ब्लॉक स्तर पर इकाइयां गठित करना है।

मप्र में चुनाव का सिलसिला 2027 से प्रारंभ होगा। सबसे पहले नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायतराज संस्थाओं के चुनाव होंगे। नगरीय निकाय के चुनाव दलीय आधार पर होते हैं और प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए माहौल बनाने के साथ दलों की स्थिति का आंकलन करने के लिहाज से महत्वपूर्ण होते हैं। कांग्रेस ने पिछले चुनावों से सबक लेते हुए सबसे पहले संगठन को सशक्त बनाने का लक्ष्य रखते हुए वर्ष 2025 को संगठन वर्ष के तौर पर मनाने का निर्णय लिया। इसके तहत पार्टी का पूरा फोकस संगठन को गढ़ने पर है। जिलाध्यक्षों के पदभार ग्रहण के बाद अब जिला कमेटी के गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ा दी गई है। दिल्ली से प्राप्त निर्देशों के अनुसार अध्यक्ष को एक माह के भीतर अपनी नई टीम तैयार करनी होगी।

कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि इसके लिए 13 से 26 सितंबर के बीच अलग-अलग स्थानों पर जिला समन्वय समिति की बैठकें आयोजित की जाएंगी। बैठकों में जिला कार्यकारिणी के गठन, मतदाता सूची के सत्यापन और जिला कार्यालय की स्थापना जैसे संगठनात्मक मुद्दों पर विचार किया जाएगा। इसी दौरान ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति पर भी चर्चा होगी। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक कार्यकारिणी में सभी विधानसभा क्षेत्रों

कई जिलों में नहीं बन पा रहा समन्वय

भाजपा ने जिला कार्यकारिणी की नियुक्तियों का श्रीगणेश तो किया, लेकिन अभी कई जिले बाकी हैं। सूत्रों के मुताबिक इसकी अलग-अलग वजह बताई जा रही है। ग्वालियर, इंदौर व सागर जैसे जिलों में जिला कार्यकारिणी के गठन में पार्टी नेताओं के प्रभाव के चलते देरी होना बताया जा रहा है। कई और जिलों में इसी तरह की स्थिति है। जिला कार्यकारिणी के अलावा जिलों के अंदर भी भाजपा में कई स्तर पर नियुक्तियां होनी हैं, जिसका खाका तैयार किया जा रहा है। उधर, भाजपा में प्रादेशिक स्तर पर की जाने वाली नियुक्तियों को लेकर एक दौर का मंथन पूरा हो चुका है, लेकिन यह अंतिम नहीं है। अभी अलग-अलग नामों पर विभिन्न स्तर पर मंथन होना है। कुछ नामों पर शीर्ष नेतृत्व से भी राय ली जा सकती है। उसके बाद इन नामों को हरी झंडी दी जाएगी। उसके पहले संभागीय स्तर पर नियुक्तियां शुरू होनी है। असंतुष्ट नेताओं को साधने पर भी फोकस है। भाजपा के लिए इस बार प्रदेश कार्यकारिणी का गठन करना भी आसान नहीं होगा। प्रदेश कार्यकारिणी से सांसद, विधायकों की जिम्मेदारियां कम की जाएंगी। संगठनात्मक नियुक्तियों में एक व्यक्ति एक पद के फॉर्मूले का भी ध्यान रखा जाना है। इसके अलावा सबसे अहम है अगले विधानसभा और लोकसभा चुनाव की तैयारियां। अगले चुनाव को देखते हुए भाजपा संगठन का विस्तार कर रही है। ऐसे में स्थानीय नेता और जमीनी कार्यकर्ताओं को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हर क्षेत्र से कार्यकर्ताओं को शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं। अनुमान है कि लगभग 40 दिनों में जिला कार्यकारिणी के गठन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। पार्टी के निर्देशों के अनुसार पहले बूथ, वार्ड और ब्लॉक स्तर पर संगठन खड़ा किया जाएगा, उसके बाद शहर कार्यकारिणी का गठन होगा।

सूत्रों के अनुसार जिला कार्यकारिणी के गठन में किसी एक व्यक्ति या क्षेत्र का दबदबा नहीं रहने दिया जाएगा। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से 20-20 कार्यकर्ताओं का चयन किया जाएगा। इन्हीं में से उपाध्यक्ष, महासचिव, सहसचिव, कोषाध्यक्ष और मीडिया व इंटरनेट मीडिया विभाग के अध्यक्ष नियुक्त किए जाएंगे। साथ ही सभी इकाइयों में अनुसूचित जाति-जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं को अनिवार्य रूप से प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस ने जिला कार्यकारिणी के गठन के लिए जो दिशा-निर्देश दिए हैं, उसके अनुसार इसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के साथ-साथ महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाएगा। जिले में जनसंख्या के अनुपात में इनकी हिस्सेदारी तय की जाएगी। युवा कांग्रेस सहित अन्य संगठनों के पदाधिकारियों को भी अवसर दिया जाएगा।

जिला कार्यकारिणी के गठन के लिए नई रणनीति बनाई गई है। कार्यकारिणी में वे कार्यकर्ता जो नियमित रूप से पार्टी का काम संभालते हैं, कार्यालय में उपस्थित रहते हैं और संगठनात्मक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाते हैं उन्हें प्राथमिकता से जगह दी जाएगी। इसके साथ ही उन कार्यकर्ताओं को भी शामिल किया जाएगा, जो कार्यकर्ता निगम, विधानसभा और लोकसभा चुनावों में बूथ स्तर पर सक्रिय रहे हों और कांग्रेस के धरना-प्रदर्शनों में सहभागिता निभाई हो। कार्यकारिणी में प्राथमिकता उन कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दी जाएगी, जिन्होंने अधिक सक्रिय सदस्य जोड़े हैं। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक कार्यकारिणी में वही नेता और कार्यकर्ता शामिल किए जाएंगे जो संगठनात्मक गतिविधियों में सक्रिय हैं।

वहीं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और भाजपा संगठन पर राजनीतिक नियुक्तियां करने और मंत्रिमंडल विस्तार का लगातार दबाव बढ़ रहा है। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ मिलकर मंत्रियों के अब तक के कार्यकाल की रिपोर्ट का आंकलन करेंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री जल्द ही मंत्रियों के साथ वन-टू-वन चर्चा करेंगे। सूत्रों का कहना है कि खराब प्रदर्शन वाले मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है, वहीं दूसरे विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है।

विधायकों की रिपोर्ट तैयार

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जिस तरह से मंत्रियों के कामकाज पर नजर बनाए हुए हैं, उससे मंत्रिमंडल विस्तार के संकेत मिल रहे हैं। इसमें मंत्रियों को विभागवार कामकाज की जानकारी प्रस्तुत करने के लिए भी कहा गया है। इसी तरह मुख्यमंत्री विधायकों का कामकाज भी देखेंगे। विधायकों को चार साल का रोडमैप बनाने के लिए कहा गया था। उन्होंने अपनी विधायक निधि का जनकल्याण में कितना उपयोग किया, इसकी रिपोर्ट भी तैयार की गई है। यह भी मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान कुछ मंत्रियों के विभाग भी बदले जाएंगे। यह मुख्यमंत्री की अब तक की विभागीय समीक्षा के आधार पर तय होगा। वहीं मुख्यमंत्री का भार भी कम किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक दर्जन से अधिक विभाग अपने पास रखे हैं, जिनमें सामान्य प्रशासन, गृह, जेल, वन, खनिज, जनसंपर्क, उद्योग, विमानन, लोक सेवा प्रबंधन और प्रवासी भारतीय जैसे महत्वपूर्ण विभाग शामिल हैं। इनमें से कुछ विभाग अन्य मंत्रियों को दिए जाएंगे।

दरअसल, पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार हो गया है, तो मप्र में भी इस बात की चर्चा शुरू हो गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मंत्रियों के प्रदर्शन के आधार पर मंत्रिमंडल विस्तार कर सकते हैं। इसमें क्षेत्रीय संतुलन साधने के हिसाब से कुछ पूर्व मंत्रियों को फिर मौका दिया जा सकता है। उनके अलावा कांग्रेस से भाजपा में आए छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा सीट से विधायक कमलेश शाह भी प्रतीक्षारत हैं। रामनिवास रावत के मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देने के बाद मोहन कैबिनेट में मुख्यमंत्री सहित 31 मंत्री हैं। नियम के अनुसार 35 मंत्री हो सकते हैं। मोहन यादव ने दिसंबर 2023 में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और अब 20 महीने पूरे हो चुके हैं। अब तक दो बार मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है। बताया जा रहा हैं कि मोहन यादव कैबिनेट का तीसरा विस्तार जल्द हो सकता है। कई मौजूदा मंत्रियों की छुट्टी तय मानी जा रही है। यह वे मंत्री हैं जो या तो संघ के समर्थन से वंचित हैं, या फिर कार्य के प्रदर्शन में कमजोर माने जा रहे हैं।

सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री केवल मंत्री ही नहीं बल्कि विधायकों के कामकाज का भी आंकलन करना चाहते हैं। मप्र के मंत्री-विधायकों ने दिसंबर 2023 में सरकार बनने के बाद 20 महीने में क्या काम किए, इसका हिसाब मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव लेंगे। वह मंत्रियों के साथ वन-टू-वन बैठक करेंगे और विभागवार उनके कामकाज की समीक्षा करेंगे। इसी के आधार पर मंत्रियों के प्रदर्शन का आंकलन किया जाएगा। मंत्रिमंडल के अगले विस्तार में इसी के आधार पर मंत्रियों का भविष्य भी तय होगा। डॉ. मोहन यादव द्वारा अक्टूबर में मंत्रियों के साथ बैठकों का दौर शुरू करने की तैयारी है। बता दें, डॉ. मोहन यादव ने पहले भी मंत्रियों के कार्य प्रदर्शन की एक रिपोर्ट तैयार कराई थी, जो केंद्रीय नेतृत्व को भेजी गई। हाल ही में भोपाल में भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष को भी यही रिपोर्ट दिखाई गई थी। गांव में रात्रि विश्राम और चौपाल की जानकारी भी ली जाएगी मुख्यमंत्री मंत्रियों से यह भी पूछेंगे कि उन्होंने कितने गांवों में रात्रि विश्राम किया और चौपाल लगाई। प्रभार के जिलों में प्रतिमाह दौरा कर रहे हैं या नहीं। यह भी देखा जाएगा कि मंत्रियों का अपने प्रभार के जिलों में अधिकारियों के साथ तालमेल कैसा है। पार्टी के दृष्टिकोण से यह भी देखा जाएगा कि संगठन के कामकाज में उनकी सहभागिता कैसी है। केंद्र से मिले अभियानों को सफल बनाने में कितने मंत्रियों का प्रदर्शन अच्छा रहा। इसके अलावा मंत्रियों से आमजन व पार्टी कार्यकर्ता की संतुष्टि के बारे में भी जानकारी लेकर इस पर चर्चा की जाएगी।

● श्याम सिंह सिकरवार

जीएसटी से चमकेगी श्रमिकों की किस्मत

केंद्र सरकार ने जीएसटी की दरों में जो बदलाव किया है, उससे मप्र के श्रमिकों की किस्मत बदलने वाली है। खासकर बीड़ी और तेंदूपत्ता श्रमिकों की। जानकारी के अनुसार, जीएसटी से मप्र के 30,000 हजार से अधिक तेंदूपत्ता संग्राहकों के साथ ही बीड़ी निर्माण में लगे छोटे श्रमिकों को बड़े स्तर पर रोजगार मिलने वाला है। साथ ही मप्र का बीड़ी कारोबार एक बार फिर से अपनी चमक बिखेरेगा। गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी रिफॉर्म को लेकर कई उत्पादों पर राहत दी गई है। इसी कड़ी में तंबाकू निर्मित उत्पादों में बीड़ी और तेंदूपत्ता पर जीएसटी कम करने की घोषणा की गई है। इस घोषणा के बाद चर्चा होने लगी है कि देश के कई राज्यों में गरीब तबका बीड़ी बनाकर पेट पाल रहा है और सरकार की राहत से उसे फायदा मिलेगा। जानकारों की मानें तो सरकार ने बीड़ी उद्योग से जुड़े मजदूर से लेकर उद्योगपतियों के साथ एक तरह से छलावा किया है, क्योंकि सरकार ने बीड़ी और तेंदूपत्ता पर जितना टैक्स कम किया है लगभग उतना ही टैक्स तंबाकू पर बढ़ा दिया है। जबकि तंबाकू बीड़ी उद्योग के लिए कच्चा माल होती है। ऐसी स्थिति में बीड़ी उद्योग को जो राहत दी गई है, वह एक तरह से छलावा है।

केंद्र सरकार ने जीएसटी रिफॉर्म के अंतर्गत तंबाकू निर्मित उत्पादों पर टैक्स बढ़ाने का काम किया है। जिनमें सिगरेट, पान मसाला और जर्दा जैसे उत्पादों पर अब 40 प्रतिशत जीएसटी देना होगा, लेकिन दूसरी तरफ सरकार ने बीड़ी जैसे तंबाकू उत्पाद के लिए राहत देने का काम किया है। सरकार ने बीड़ी पर 28 प्रतिशत जीएसटी घटाकर अब 18 प्रतिशत कर दी है। वहीं तेंदूपत्ता पर 18 से 5 प्रतिशत जीएसटी कर दी है। इस फैसले को बीड़ी उद्योग के लिए बड़ी राहत और संजीवनी माना जा रहा है। लेकिन जानकारों का कहना है कि सरकार ने आंकड़ों की बाजीगरी की है। बीड़ी और तेंदूपत्ता पर जीएसटी घटाना स्वागत योग्य कदम है लेकिन दोनों पर जो जीएसटी कम की गई, तंबाकू पर उतनी ही जीएसटी बढ़ा दी गई। एक तरह से सरकार ने एक हाथ से देने और एक हाथ से लेने का काम किया है। सरकार ने तंबाकू पर जीएसटी 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दी है, जबकि बीड़ी के लिए तंबाकू भी कच्चा माल होती है।

बीड़ी को छोड़कर दूसरे तंबाकू उत्पादों पर जीएसटी 40 प्रतिशत किए जाने के बाद तंबाकू उत्पादों से जुड़े उद्योगों में हैरानी है। कई लोग इसे गलतफहमी मानकर चल रहे थे, लेकिन सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि बीड़ी और तेंदूपत्ता पर जीएसटी घटा दिया गया है, जो 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। इधर, दूसरे उत्पादों को मिली राहत 22 सितंबर से लागू होने जा रही है। लेकिन तंबाकू उत्पादों में बीड़ी को मिली राहत 1 जनवरी 2026 से लागू होगी। इस राहत का फायदा बीड़ी उद्योग के सबसे निचले तबके के व्यक्ति बीड़ी मजदूर को मिलेगा या फिर उद्योगपति को इसको लेकर अटकलों का दौर चल रहा है। लेकिन इस उद्योग से जुड़े लोग सरकार के फैसले की कहीं सराहना कर रहे हैं, तो बीड़ी मजदूरों से जुड़े लोग सरकार के फैसले को छलावा बता रहे हैं। बीड़ी उद्योगपति शैलेंद्र जैन ने बताया कि हमने बीड़ी उद्योग को लेकर मुख्यमंत्री से आग्रह किया था कि सबसे ज्यादा तेंदूपत्ता मप्र, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में होता है लेकिन सबसे ज्यादा बीड़ी बंगाल में बन रही है। इन विसंगतियों को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री संवेदनशील हैं। साथ ही अभी केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिया है कि जीएसटी में बीड़ी सबसे ऊंचे स्लैब पर थी उसे 10 प्रतिशत कम कर दिया है। इससे बीड़ी उद्योग और उससे जुड़े मजदूरों को फायदा होगा। कम्युनिस्ट और मजदूर नेता कामरेड अजीत जैन कहते हैं कि सरकार ने जीएसटी हटाया है, हम उसका स्वागत करते हैं, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। देश की तमाम विपक्षी पार्टियां कच्चे माल पर 12 से 18 प्रतिशत जीएसटी का विरोध कर रहीं थीं, अब ये उसे 5 प्रतिशत पर ले आए हैं, यह स्वागत योग्य है। लेकिन ग्रास रूट पर इसका लाभ मिलेगा यह संदिग्ध है। क्योंकि पूंजीवादी समाज में जो राहत मिलती है, वो औद्योगिक पूंजी में परिवर्तित हो जाती है। उपभोक्ता या आश्रितों को इसका कोई फायदा नहीं मिलता है।

केंद्र सरकार द्वारा 2017 में जब जीएसटी लागू किया गया था तब बीड़ी पर सेस लगाया गया था। यह एक तरह का उपकर होता है, जो किसी विशेष उद्देश्य से लगाया जाता है। इसके तहत प्रति हजार बीड़ी पर 5 रुपए सेस लगता था। जिसका उपयोग बीड़ी मजदूरों के लिए चलाई जाने वाली कल्याणकारी योजनाओं में किया जाता था लेकिन वित्तीय वर्ष 2022-23 में केंद्र की मोदी सरकार द्वारा 44 श्रम कानून को खत्म कर दिया गया और उसके तहत बीड़ी सेस अधिनियम 1976 भी खत्म हो गया। इसके खत्म हो जाने से बीड़ी मजदूरों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाएं बदहाल हो गईं।

● धर्मेंद्र कथूरिया

एमआरपी का वैज्ञानिक और कानूनी आधार नहीं

कामरेड अजीत जैन कहते हैं कि उदाहरण के तौर पर एमआरपी का हथियार तमाम उत्पादकों के लिए वरदहस्त है। किसी भी उत्पाद पर कितनी एमआरपी डाली जाती है और कैसे डाली जाती है, इसका कोई वैज्ञानिक और कानूनी आधार नहीं है। बीड़ी और तेंदूपत्ता पर जीएसटी हटाया गया है, यह स्वागत योग्य है लेकिन बीड़ी मजदूर और जनता को इसका फायदा मिलना संदिग्ध है। कामरेड अजीत जैन इस फैसले पर सरकार की नीयत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि बीड़ी और तेंदूपत्ता पर जीएसटी घटा दिया लेकिन तंबाकू पर 18 से 40 प्रतिशत कर दिया। सरकार ने इस हाथ से लेकर उस हाथ दे दिया है। यदि वाकई देश के करोड़ों बीड़ी श्रमिक और उपभोक्ताओं के हितों की केंद्र और राज्य सरकार को चिंता है, तो तंबाकू भी बीड़ी के लिए कच्चा माल है। इस पर भी जीएसटी घटना चाहिए, लेकिन उस पर बढ़ा दिया है। तंबाकू को कच्चा माल मानकर उस पर जीएसटी घटाएंगे, तो मजदूर और जनता को भी लाभ मिलेगा।

खाद के लिए अन्नदाता हलाकान

मप्र में किसानों को प्राकृतिक नुकसान का डर दिखाकर हर साल फसलों का बीमा कराया जाता है, लेकिन विडंबना यह है कि किसानों की फसल जब खराब होती है तो वास्तविक नुकसान की भरपाई होना तो दूर प्रीमियम की राशि से भी कम क्लेम मिलता है। फसल बीमा योजना की खामियां मप्र विधानसभा में कृषि कल्याण विभाग द्वारा पेश की गई रिपोर्ट में भी उजागर हुई हैं। जानकारों का कहना है कि कंपनी, नेता और अधिकारियों की तिकड़ी ने फसल बीमा योजना को किसानों से ठगी का जरिया बना दिया है। वहीं 11 अगस्त को सरकार ने मप्र के करीब 14 लाख किसानों के खाते में करीब 1300 करोड़ की बीमा राशि जमा की है। लेकिन अधिकांश किसानों को नुकसान से काफी कम प्रीमियम मिला है। इसके बाद से किसान इस मुद्दे को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

सूत्रों का कहना है कि सरकार ने किसानों के लिए जिस फसल बीमा योजना को शुरू किया है, उसे बीमा कंपनियों ने अधिकारियों और नेताओं के साथ मिलकर अन्नदाता के शोषण का जरिया बना लिया है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीमा कंपनियां अधिकारियों और नेताओं को 30-40 प्रतिशत कमीशन दे रही हैं। इसके एवज में किसानों को बीमा का पूरा लाभ नहीं दिया जा रहा है। इस कारण प्रदेश में फसल बीमा योजना किसानों के लिए बेमानी साबित हो रही है। प्रीमियम वसूली और क्लेम में बीमा कंपनियों की भूमिका सवालों के घेरे में है। मप्र विधानसभा में कृषि कल्याण विभाग की वर्ष 2023-24 और 2024-25 की रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें फसल बीमा योजना की खामियां उजागर हुई हैं। रिपोर्ट से पता चला है कि बीमा कंपनियों ने किसानों से प्रीमियम तो करोड़ों में वसूला, लेकिन जब क्लेम देने की बारी आई तो किसानों को उनके नुकसान की एक चौथाई भरपाई भी नहीं मिली। खरीफ और रबी सीजन के दौरान 3.57 करोड़ किसानों से कुल 1304 करोड़ रुपए प्रीमियम लिया गया, जबकि राज्य और केंद्र सरकार की हिस्सेदारी मिलाकर यह आंकड़ा 3510 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इसके बावजूद बीमा कंपनियों ने केवल 22.23 लाख किसानों को 764 करोड़ रुपए का क्लेम ही दिया।

रिपोर्ट बताती है कि खंडवा, खरगौन, बुरहानपुर समेत कई जिलों में किसानों को उनके वास्तविक नुकसान की भरपाई नहीं की गई। उदाहरण के लिए, एक किसान को दो हेक्टेयर में सोयाबीन की फसल खराब होने पर सिर्फ 1447 रुपए क्लेम दिया गया। जब उसने केंद्र की हेल्पलाइन 14447 पर शिकायत की तो संशोधित क्लेम 52 हजार रुपए तक बढ़ा दिया गया। इसी तरह, अनिल नामक किसान को पहले केवल 91 रुपए मिले थे, जबकि शिकायत के बाद 16 हजार रुपए का भुगतान किया गया। ये मामले साफ दर्शाते हैं कि बीमा कंपनियां मनमानी कर रही हैं और किसानों को मजबूरी में न्याय के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है। कई किसानों ने बताया कि उन्होंने बीमा के लिए बैंक से प्रीमियम कटवाया था, लेकिन जब फसल नष्ट हुई तो क्लेम नाममात्र का मिला। जैसे कि आत्माराम पटेल ने रबी सीजन में 1601 रुपए प्रीमियम भरा और फसल पूरी तरह खराब हो गई, फिर भी उन्हें सिर्फ 1859 रुपए क्लेम मिला। वहीं, सतीश खोर का कहना है कि उनकी दो हेक्टेयर फसल खराब हुई, बैंक ने एक हजार रुपए प्रीमियम काटा, लेकिन बदले में मात्र 1844 रुपए मिले। सतीश ने नाराजगी जताते हुए कहा कि वे यह क्लेम राशि सरकार को लौटाएंगे क्योंकि इससे उनका कोई भला नहीं हुआ।

उपभोक्ता आयोग में अधिवक्ता दिनेश यादव ने कहा कि फसलों का आंकलन जमीनी स्तर पर पटवारी हल्के के जरिए होना चाहिए। पटवारी स्तर पर क्रॉप कटिंग से ही वास्तविक उत्पादन का पता चलता है। लेकिन वर्तमान में सैटेलाइट आधारित सर्वे कराया जा रहा है, जिसमें त्रुटियां काफी हैं। सैटेलाइट से फसल नुकसान का सही आंकलन संभव नहीं है और यह केंद्र सरकार की स्वीकृत पद्धति भी नहीं है। ऐसे में किसानों को प्रीमियम का लाभ सही तरीके से नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार को इस व्यवस्था में सुधार कर, जमीन पर सर्वे की प्रक्रिया को फिर से लागू करना चाहिए। सीहोर जिले के धबोटी गांव के रहने वाले किसान हरिओम वर्मा का कहना है कि पिछले 3 साल से सोयाबीन की फसल बर्बाद हो रही है। बीते साल तो एक एकड़ में एक क्विंटल भी नहीं निकला। फसल बीमा के पैसे हर साल खाते से कटते रहे, उम्मीद थी नुकसान की भरपाई फसल बीमा से होगी, लेकिन जो पैसा मिला वो ऊंट के मुंह में जीरे जैसा है।

● **विकास दुबे**

कटाई की लागत भी नहीं निकली

फसल के नुकसान और प्रशासन की अनदेखी से मुकेश मीणा के चेहरे पर उदासी है। मुकेश ने बताया कि 14 एकड़ जमीन है। पिछले साल सोयाबीन बोया था, बारिश और रोग के कारण फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। कटाई की लागत भी नहीं निकल पाई। पिछले 3 साल से इसी तरह फसल बर्बाद हो रही है। पिछले साल तो बारिश की वजह से पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। फसल बीमा के प्रीमियम के तौर पर बीमा वालों ने 4400 रुपए भी काट लिए थे। अब 3 साल बाद बीमा की राशि आई है। वो भी मात्र 3171 रुपए, इतने में तो एक क्विंटल सोयाबीन भी नहीं आ सकती। गौरीशंकर वर्मा बताते हैं कि साल 2022 से सोयाबीन की फसल को नुकसान हो रहा है। एक एकड़ में 5-6 क्विंटल सोयाबीन होता है, लेकिन पैदावार लगातार कम हो रही है। साल 2022 में तो एक एकड़ में 1 क्विंटल पैदावार हुई थी। इसके अगले साल 2023 में 2 क्विंटल और 2024 में 3 क्विंटल पैदावार हुई। गौरीशंकर बताते हैं कि जुताई, बुआई, खाद और कीटनाशक का इस्तेमाल करने के बाद हजारों रुपए की लागत आती है। बीमा कंपनी भी कुछ पैसा काटती है। जब फसल बर्बाद होती है तो सही क्लेम नहीं मिलता। पिछले 3 सालों की फसल बीमा का जो क्लेम मिला है उससे एक बोरी डीएपी खाद भी नहीं खरीद सकते।

1982 में भी बना था पुनर्गठन आयोग

मप्र में संभाग, जिलों, तहसीलों और जनपदों की सीमाओं के पुनर्गठन की प्रक्रिया 43 साल पहले भी की जा चुकी है। इसके लिए 1982 में प्रशासनिक पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था। आयोग ने 1985 में अनुशंसा रिपोर्ट राज्य शासन को सौंपी थी। इस रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश में 1990 के दशक में नए जिलों का गठन हुआ था। संभाग, जिलों, तहसीलों, जनपदों की सीमा फिर से परिभाषित करने की प्रक्रिया मप्र भू-राजस्व संहिता-1959 में उल्लेखित है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 1 जनवरी 2024 को प्रदेश में संभाग और जिलों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करने की घोषणा की। 27 फरवरी 2024 को मोहन कैबिनेट ने मप्र प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग के गठन को मंजूरी दी। 12 मार्च 2024 को मप्र प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग के गठन के संबंध में नोटिफिकेशन जारी हुआ। 9 सितंबर 2024 को रिटायर्ड आईएएस मनोज श्रीवास्तव और 18 अक्टूबर को रिटायर्ड आईएएस मुकेश शुक्ला आयोग के सदस्य नियुक्त किए गए। मनोज श्रीवास्तव ने दिसंबर में सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया। फरवरी में रिटायर्ड आईएएस एसएन मिश्रा आयोग के सदस्य बनाए गए।

मप्र में संभाग, जिला, तहसील और विकासखंड की सीमाओं में परिवर्तन संभवत: मार्च 2027 के बाद ही होगा। इसकी वजह यह है कि तहसील और जिलों की सीमाएं जनगणना के बाद ही तय होगी। बता दें, प्रदेश सरकार ने मार्च, 2024 में प्रशासनिक इकाइयों की सीमा में परिवर्तन के लिए आयोग बनाने का निर्णय लिया था। लेकिन जिलों-तहसीलों की सीमाओं के पुनर्गठन की चाल धीमी है। गौरतलब है कि जाति जनगणना के साथ ही भारत की 16वीं जनगणना 2027 में की जाएगी। जनगणना दो चरणों में होगी। जनगणना का सीधा असर मप्र में जिला, तहसील समेत अन्य प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं के पुनर्गठन पर पड़ेगा। मप्र में प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं के पुनर्गठन की प्रक्रिया जारी है। इसके लिए सरकार ने मप्र प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग का गठन किया है। चूंकि आयोग को प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन के संबंध में अभी लंबी एक्सरसाइज करना बाकी है, इसलिए अब प्रदेश में मार्च, 2027 तक किसी भी सूरत में प्रशासनिक इकाइयों की सीमाएं नहीं बदली जा सकेंगी।

मप्र में नए संभाग, जिले और तहसील बनाए जाने को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। 31 दिसंबर 2025 के बाद किसी भी नए संभाग, जिले और तहसील की सीमाओं में बदलाव नहीं किया जा सकेगा। जनगणना कार्य निदेशालय और राज्य सरकार के अलग-अलग विभागों के बीच समन्वय के लिए सरकार के द्वारा जनगणना समन्वय समिति का गठन किया जा चुका है। इस समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव हैं। गृह, विज्ञान प्रौद्योगिकी, नगरीय विकास एवं आवास, सामान्य प्रशासन विभाग, वित्त एवं पंचायत ग्रामीण विकास, जनजातीय कार्य, राजस्व, स्कूल शिक्षा, जनसंपर्क और निर्देश एनआईसी को सदस्य बनाया गया है। राज्य में जनगणना का काम दो चरणों में पूरा होना है। पहले चरण में मकान में रहने वाले लोगों की लिस्ट और मकानों की संख्या का काम अप्रैल 2026 से सितंबर 2026 के बीच होगा। ये काम शासन को 30 दिन के भीतर पूरा करना होगा। इसके बाद दूसरे चरण की गणना 9 से 28 फरवरी 2027 के बीच होगी। जनगणना समिति की बैठक का आयोजन 31 दिसंबर को किया गया है। बैठक में जनगणना के काम में लगने वाले कर्मचारियों, मास्टर ट्रेनर, फील्ड ट्रेनर और फील्ड स्टाफ की उपलब्धा और प्रशिक्षण से संबंधित कार्यक्रम सुनिश्चित किया जाएगा।

दरअसल, केंद्र सरकार ने सभी विभागों को 31 दिसंबर, 2025 से पहले नगर निगमों, राजस्व गांवों, तहसीलों, जिलों की सीमाओं में कोई भी प्रस्तावित बदलाव करने के निर्देश जारी किए हैं। जनगणना 2027 के लिए प्रशासनिक इकाइयों की सीमाएं 31 दिसंबर, 2025 को फ्रीज कर दी जाएंगी। राज्यों से यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि जनगणना के दौरान यानी 1 जनवरी 2026 और 31 मार्च 2027 के बीच प्रशासनिक यूनिट की सीमाओं में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। राज्यों को मौजूदा सीमाओं में किसी भी बदलाव की सूचना जनगणना निदेशालयों और भारत के महापंजीयक को 31 दिसंबर 2025 तक देना होगी। मप्र सरकार ने प्रदेश में संभाग, जिला, तहसील समेत अन्य प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं के पुनर्गठन को लेकर मप्र प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग का गठन किया है। आयोग के गठन के संबंध में 12 मार्च 2024 को अधिसूचना जारी हुई थी। आयोग को प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन के संबंध में सरकार को अनुशंसा करना है, लेकिन आयोग ने अब तक ऐसी कोई रिपोर्ट राज्य शासन को नहीं सौंपी है। इसीलिए सरकार ने गत अप्रैल में आयोग का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया है।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार, आयोग के सदस्य वर्तमान में जिलों का दौरा कर रहे हैं। बारिश के कारण दो महीने से यह कार्य प्रभावित हुआ है। आयोग सभी जिलों के प्रवास के दौरान जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और आम नागरिकों से मिले सुझावों के आधार पर प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन के संबंध में रिपोर्ट तैयार करेगा। इस पूरी कवायद में आयोग को लंबा वक्त लगेगा। आयोग की अनुशंसा रिपोर्ट पर अंतिम निर्णय सरकार लेगी। इसमें आयोग की कोई भूमिका नहीं होगी। चूंकि 31 दिसंबर 2025 को प्रशासनिक इकाइयों की सीमाएं मार्च 2027 तक के लिए फ्रीज कर दी जाएंगी, इसलिए इस दौरान प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं के नए सिरे से निर्धारण के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की जा सकेगी।

प्रदेश में सागर जिले की बीना व खुरई तहसील, उज्जैन जिले के नागदा, मंदसौर जिले के गरोठ, रतलाम जिले के जावरा, शिवपुरी जिले के पिछोर, देवास जिले के बागली, सोनकच्छ व खातेगांव, गुना जिले के चाचौड़ा, विदिशा जिले के गंजबासौदा, सिवनी जिले के लखनादौन आदि को जिला बनाने की मांग समय-समय पर जोर पकड़ती रहती है। पिछले साल जुलाई से सितंबर के बीच जब खुरई और बीना को जिला बनाने की मांग को लेकर सियासत तेज हुई, तो मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने डैमेज कंट्रोल करने के लिए 9 सितंबर 2024 को रिटायर्ड आईएएस मनोज श्रीवास्तव को अचानक प्रशासनिक आयोग का सदस्य नियुक्त करते हुए कहा था कि अब इस संबंध में आगे की कार्रवाई आयोग करेगा।

● **बृजेश साहू**

6,500 करोड़ का तंबाकू चबाता है मप्र

नशीले पदार्थों का सेवन हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ही नहीं बल्कि खतरनाक भी है। इसके बावजूद मप्र में हजारों करोड़ रुपए गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट और शराब समेत अन्य नशे के साधनों में खर्च किए जा रहे हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि वर्तमान में प्रदेश में 1.6 प्रतिशत महिलाएं शराब पीती हैं जबकि 10.4 प्रतिशत महिलाएं किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करती हैं।

नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानि एनएफएचएस-4 की रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2015-16 तक शहरों में 0.7 प्रतिशत महिलाएं शहरी महिलाएं शराब का सेवन करती थीं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी संख्या 1.5 प्रतिशत थी। बता दें कि एनएफएचएस-4 की रिपोर्ट साल 2015-16 के डाटा पर आधारित थी। वहीं एनएफएचएस-5 की रिपोर्ट में महिलाओं के बीच शराब का सेवन शहरी इलाकों में घटा है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में वृद्धि हुई है। शहरी क्षेत्रों में 0.6 प्रतिशत महिलाएं और ग्रामीण क्षेत्रों में 2.1 प्रतिशत महिलाएं शराब का नियमित सेवन करती हैं।

स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा साल 2017 में जारी रिपोर्ट में बताया गया कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिमाह खपत की जाने वाली सिगरेट की औसत संख्या में वृद्धि हुई है, जबकि शहरी क्षेत्रों में मामूली गिरावट देखी गई है। मतलब बीड़ी के प्रति लोगों की पसंद तो कम हो रही है, लेकिन सिगरेट तथा तंबाकू-गुटखा के प्रति लोगों का रुझान बढ़ रहा है। एनएफएचएस 5 के आंकड़ों की बात करें तो मप्र में 0.1 प्रतिशत शहरी और इतनी ही ग्रामीण महिलाएं सिगरेट का सेवन करती हैं। जबकि 0.2 प्रतिशत महिलाएं बीड़ी का सेवन करती हैं। वहीं 14.6 प्रतिशत शहरी पुरुष और 12.5 ग्रामीण सिगरेट का सेवन करते हैं।

गुटखा और तंबाकू खाने वालों के मामले में मप्र टॉप पर है। यानि गुटखा-तंबाकू और पान मसाला पर प्रदेश में सबसे अधिक खर्च हो रहा है। शहरी क्षेत्र में गुटखा और तंबाकू पर प्रति व्यक्ति 735 रुपए खर्च हो रहे हैं जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 792 रुपए। यदि ग्रामीण और शहरी मप्र की बात करें तो दोनों ही मामलों में सूबे के लोग गुटखा-तंबाकू पर देश में सबसे अधिक पैसा खर्च कर रहे हैं। यानि मप्र में 8 करोड़ जनसंख्या के हिसाब से गुटखा और तंबाकू पर ही हर साल 6500 करोड़ रुपए खर्च होते हैं।

बीड़ी के मामले में राजस्थान देश में टॉप पर है, जबकि मप्र आठवें नंबर है। मप्र के ग्रामीण क्षेत्रों में बीड़ी पर औसत वार्षिक प्रति व्यक्ति व्यय 210 रुपए है। जबकि राजस्थान में बीड़ी पर सबसे अधिक औसत वार्षिक प्रति व्यक्ति व्यय 438 रुपए दर्ज किया गया है। वहीं शहरी क्षेत्रों में मप्र में बीड़ी पर प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक व्यय 88 रुपए है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में सिगरेट पर प्रति व्यक्ति व्यय 42 रुपए है। सिगरेट के मामले में मिजोरम में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति खपत सबसे अधिक 1,313 रुपए है। वहीं शहरी क्षेत्र में औसत वार्षिक प्रति व्यक्ति व्यय 177 रुपए है, जबकि सिक्किम में सिगरेट पर सबसे अधिक व्यय 1,719 रुपए हुआ। एक अनुमान के मुताबिक मप्र में बीड़ी-सिगरेट पर हर साल 2000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जा रहे हैं।

मप्र के ग्रामीण क्षेत्रों में देशी शराब और ताड़ी पर प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक व्यय 523 रुपए था, जो देश में 10वें स्थान पर था। जबकि सबसे अधिक व्यय छत्तीसगढ़ में 1,053 रुपए बताया गया है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में देशी शराब और ताड़ी का औसत वार्षिक प्रति व्यक्ति व्यय 225 रुपए था। जबकि इस मामले में सबसे अधिक खर्च मणिपुर में 694 रुपए बताया गया है। इसी प्रकार मप्र में ग्रामीण विदेशी शराब और बीयर पर औसत वार्षिक प्रति व्यक्ति व्यय 378 रुपए था, जबकि इस मामले में सबसे अधिक व्यय तेलंगाना में 3,061 रुपए बताया गया है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में विदेशी शराब और बीयर पर औसत वार्षिक प्रति व्यक्ति व्यय 765 रुपए था, जबकि देश में शहरी क्षेत्रों में सबसे अधिक व्यय सिक्किम में 4,232 रुपए बताया गया है।

● हर्ष सक्सेना

लोगों में ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस का खतरा

एम्स में डेंटल स्पेशलिस्ट डॉ. अंशुल राय ने बताया कि मप्र में महिला और पुरुष दांत और मुंह की स्क्रीनिंग कराने के मामले में काफी पीछे हैं। एनएफएचएस रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 1000 पुरुषों में 1 प्रतिशत और महिलाओं में 0.7 प्रतिशत महिला ही ओरल टेस्ट कराते हैं। अंशुल राय ने बताया कि तंबाकू-गुटखा खाने वाले अधिकतर रोगियों का मुंह खुलना बंद हो जाता है। इस बीमारी को ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस कहते हैं। ऐसे मरीज खाना भी नहीं खा पाते हैं। बता दें कि डॉ. अंशुल राय और उनकी टीम 10 सालों से तंबाकू-गुटखा खाने वालों में ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस पर शोध कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले डॉ. अंशुल राय ने सिंगापुर में इस विषय पर अपना रिसर्च पेपर भी पेश किया है। इस रिसर्च में तंबाकू-गुटखा खाने वाले 100 मरीजों को शामिल किया था। इनमें अधिकतर लोग बीते 10 सालों से तंबाकू-गुटखा का सेवन कर रहे थे। इनमें ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस के लक्षण पाए गए। इनके मुंह में 3 उंगलियां भी नहीं जाती थी। बाद में आगे चलकर इनमें से 8 से 10 मरीजों को मुंह का कैंसर हो गया। डॉ. राय ने बताया कि ओएसएफ एक खतरनाक बीमारी है, लेकिन समय रहते उपचार कराने पर बचने की संभावना होती है। इसे प्री-कैंसर स्टेज भी कहा जाता है।

टाइगर स्टेट बनता जा रहा शिकारी स्टेट

हाथियों की नाइट पार्टी से थर्राए 4 जिले

अनूपपुर जिले में 4 हाथियों का आतंक अब ग्रामीणों के साथ वन विभाग के लिए भी सिरदर्द बन गया है। हाथियों का समूह पिछले कई दिनों से इस क्षेत्र में सक्रिय बना हुआ है। बुढार रेंज के खोह बीट के जंगल में दिनभर आराम करने के बाद हाथियों ने कई गांवों में उत्पात मचाया है। औढेरा के जंगल में पहुंचने के बाद एक बार फिर रात में हाथियों ने 8 ग्रामीणों के मकान में तोड़फोड़ कर 9 किसानों के खेतों में लगी विभिन्न तरह की फसलों को अपना आहार बना लिया। 4 हाथियों का समूह अनूपपुर, डिंडोरी, उमरिया और शहडोल जिले में मानो नाइट पार्टी कर रहा है। रातभर घूमकर ये हाथी फसलें, अनाज चट कर जाते हैं और फिर घरों को तोड़ते हुए गुजर जाते हैं। इस वजह से इन जिलों के कई गांवों में लोग रात को सोने से डरने लगे हैं। गत दिनों शहडोल जिले के बुढार रेंज अंतर्गत दिनभर विश्राम करने के बाद शाम होते ही हाथियों ने बंधवाटोला निवासी प्रेम नारायण सिंह, संतोष सिंह, रामशोभित सिंह, भैयालाल सिंह के घरों को तोड़ डाला और अनाज भी चट कर गए।

मप्र की पहचान अब टाइगर स्टेट के अलावा लैपर्ड स्टेट, घड़ियाल स्टेट और चीता स्टेट की भी हो गई है, लेकिन प्रदेश में टाइगर, लैपर्ड सहित सभी वन्य प्राणी शिकारियों के निशाने पर हैं। मप्र में पिछले 5 सालों के दौरान 2274 वन्य प्राणियों की हत्याएं हुई हैं। इनमें चीतों के लिए विश्व पटल पर उभरे श्योपुर जिले में भी 4 वन्य प्राणियों को मारने की घटनाएं हो चुकी हैं। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पिछले साढ़े तीन सालों में 68 वन्य प्राणियों को शिकारियों ने अपना निशाना बनाया है। चौंकाने वाली यह जानकारी विधानसभा में सरकार द्वारा दिए गए एक सवाल के जवाब में सामने आई है। प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पिछले वर्षों में बड़ी संख्या में बाघों की मौत हुई है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 1 जनवरी, 2022 से जुलाई, 2025 तक (43 महीने में) 40 बाघों ने दम तोड़ा है। इनमें बाघ शावक भी शामिल हैं। इस तरह बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में औसत हर महीने एक बाघ की मौत हो रही है।

मप्र विधानसभा में कांग्रेस विधायक फुंदेलाल मार्को और पंकज उपाध्याय के सवाल पर सरकार ने जो जानकारी दी, उसने वन्य प्राणियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सरकार के जवाब से पता चला है कि अपनी समृद्ध जैव विविधता और टाइगर्स की संख्या की वजह से देशभर में प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में शिकारी जमकर सक्रिय हैं। हालात यह हैं कि पिछले साढ़े तीन साल के दौरान बांधवगढ़ में 68 वन्य प्राणियों को शिकारियों ने अपना निशाना बनाया है। इसमें 2 बाघों और तेंदुए का भी करंट लगाकर शिकार किया गया। जबकि 5 बाघों की मौत का कारण ही ज्ञात नहीं हो सका। पिछले साढ़े तीन सालों में बांधवगढ़ में करीबन 36 बाघों की मौत हुई है। यानी हर साल करीबन 12 बाघों की मौत हुई है। बांधवगढ़ में इस दौरान कुल 108 वन्य जीवों की मौत हुई है, सरकार ने माना है कि इसमें से 68 वन्य प्राणियों का शिकार हुआ है। इनमें 10 हाथी भी शामिल हैं, जिनकी पिछले साल जहरीला कोदो खाने से मौत हुई थी। शिकारी सिर्फ प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व तक सीमित नहीं हैं। प्रदेशभर में वन्य जीवों का शिकार किया जा रहा है। सरकार द्वारा विधानसभा में दी गई जानकारी से खुलासा हुआ है कि पिछले 5 सालों के दौरान प्रदेशभर में वन्य प्राणियों की हत्याएं हुई हैं। सरकार ने बताया कि 2020 से अभी तक प्रदेश में 2274 वन्य प्राणियों की हत्याएं हुई हैं। पिछले साल अक्टूबर में 11 जंगली हाथियों की अचानक मौत के बाद बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व देशभर में सुर्खियों में रहा था। कांग्रेस विधायक फुंदेलाल मार्को ने विधानसभा में पूछा था कि 1 जनवरी, 2022 से प्रश्न दिनांक (जुलाई, 2025) तक उमरिया जिले के अंतर्गत बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में कितने वन्य प्राणियों की किन कारणों से मृत्यु हुई? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत इस अवधि में कितने प्रकरण दर्ज हुए हैं।

वन राज्यमंत्री दिलीप अहिरवार ने सवाल के लिखित जवाब में सदन को बताया कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 1 जनवरी, 2022 से जुलाई, 2025 तक 40 बाघों की मृत्यु हुई है। सदन को दिए गए जवाब में अधिकतर बाघों की मौत का मुख्य कारण आपसी संघर्ष बताया गया है। इसके अलावा कुछ बाघों की मौत बिजली का करंट लगने और बीमारी के कारण बताई गई है। यह भी बताया गया कि कुछ बाघों की मृत्यु का कारण अज्ञात है। बांधवगढ़ में वर्ष 2022 में 9, 2023 में 13, 2024 में 14 और 2025 (जून तक) 4 बाघों की मौत हुई है। वन राज्यमंत्री अहिरवार ने बताया कि इस अवधि में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 17 तेंदुओं की भी मृत्यु हुई है। अधिकतर तेंदुओं की मौत का कारण बाघ-तेंदुए का आपसी संघर्ष बताया गया है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 1 जनवरी 2022 से जुलाई 2025 तक 14 जंगली हाथियों की मौत की जानकारी दी गई है। इसके अलावा भालू, चीतल, गौर आदि की मौत की जानकारी भी लिखित जवाब में दी गई है। कई सालों से मप्र में वन्य प्राणी संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे एक कार्यकर्ता ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि शिकार पूरी तरह बंद हो जाने की बात कही जा रही है पर ऐसा सच में होना संभव नहीं लगता। कोर एरिया में बाघ काफी हद तक सुरक्षित रहते हैं पर कई बार बफर क्षेत्र में जाने पर छोटे जानवरों के लिए लगाए इलेक्ट्रिक ट्रैप या जहर के शिकार हो जाते हैं। बांधवगढ़ में अब 160 से अधिक बाघ हैं, इसी तरह पेंच और कान्हा में भी बाघों कि बढ़ती संख्या के बीच टेरिटरी बनाने या शिकार के लिए बाघ सुरक्षित क्षेत्रों से बाहर निकल जाते हैं और दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं।

प्रदेश में शिकार की घटनाओं को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। कांग्रेस विधायक फुंदेलाल मार्को ने कहा कि प्रदेश में बाघों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन प्रदेश में शिकार की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। जंगलों में इंसानी दखल बढ़ रहा है। तेजी से अवैध रूप से जंगल काटे जा रहे हैं। सरकार सिर्फ कार्रवाई के नाम पर रस्मअदायगी कर रही है। उधर प्रदेश में शिकार के प्रकरणों को देखते हुए वन राज्यमंत्री दिलीप अहिरवार ने कहा कि प्रदेश में वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए लगातार निगरानी की जाती है। खासतौर से टाइगर रिजर्व में शिकारियों पर सख्ती से लगाम लगाई गई है। पिछले साल बांधवगढ़ में हाथियों की मौत के मामले में जांच कमेटी गठित की गई थी। उनके सुझाव के आधार पर सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं।

● **लोकेश शर्मा**

विकास के लिए पृथक बुंदेलखंड राज्य

बदल जाएगी बुंदेलखंड की तस्वीर

अलग बुंदेलखंड राज्य बनने से सबसे पहले, जल संसाधन प्रबंधन में सुधार होगा। बुंदेलखंड में केन-बेतवा लिंक परियोजना जैसी योजनाएं हैं, लेकिन बड़े राज्यों की वजह से देरी हो रही है। अलग राज्य में यह परियोजना तेजी से पूरी हो सकती है, जिससे 10 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित हो सकेगी और सूखे की समस्या 50-60 प्रतिशत कम हो जाएगी। कृषि उत्पादन बढ़ने से जीडीपी में 20-30 प्रतिशत की वृद्धि संभव है। दूसरा, औद्योगिक विकास। बुंदेलखंड में हीरा, ग्रेनाइट और अन्य खनिज संसाधन प्रचुर हैं। पन्ना जिले में हीरे की खदानें हैं, जो सालाना 100 करोड़ रुपए का राजस्व दे सकती हैं, लेकिन वर्तमान में इसका लाभ बड़े राज्यों को मिल रहा है। अलग राज्य में औद्योगिक कॉरिडोर विकसित हो सकते हैं, जिससे 5-10 लाख नौकरियां सृजित होंगी और बेरोजगारी दर 10 प्रतिशत से नीचे आ सकती है। तीसरा, सांस्कृतिक और पर्यटन विकास। ओरछा, खजुराहो और कालिंजर जैसे ऐतिहासिक स्थल यहां हैं, लेकिन पर्यटन राजस्व मात्र 500-700 करोड़ रुपए सालाना है। अलग राज्य में इनका बेहतर प्रचार और विकास हो सकेगा, जिससे पर्यटन से 2,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न हो सकता है। चौथा, प्रशासनिक दक्षता। वर्तमान में बुंदेलखंड के जिलों को लखनऊ या भोपाल से निर्देश मिलते हैं, जो 400-500 किमी दूर हैं।

भारत की आजादी के बाद से ही विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग राज्य बनाने की मांग उठती रही है, जो विकास, प्रशासनिक सुविधा और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने के उद्देश्य से होती है। बुंदेलखंड क्षेत्र, जो उप्र और मप्र के बीच फैला हुआ है, भी ऐसी ही एक मांग का केंद्र रहा है। बुंदेलखंड क्रांति दल के रूप में हम लंबे समय से पृथक बुंदेलखंड राज्य की स्थापना के लिए संघर्षरत हैं। बुंदेलखंड को अलग राज्य का दर्जा मिलना न केवल न्यायोचित है, बल्कि क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय विकास के लिए अनिवार्य है।

बुंदेलखंड विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष व सिने स्टार राजा बुंदेला का कहना है कि बुंदेलों के विकास के लिए अलग बुंदेलखंड राज्य जरूरी है। समय आ गया है कि लोग एक होकर अलग बुंदेलखंड राज्य की मांग करें। उन्होंने कहा कि हर बार हमें सिर्फ छला गया, लेकिन अब ना तो हम छले जाएंगे और ना ही ठगे जाएंगे। पृथक बुंदेलखंड राज्य आंदोलन केवल एक मांग नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों के न्याय और विकास का सवाल है। आंकड़े स्पष्ट हैं कि वर्तमान व्यवस्था में बुंदेलखंड पिछड़ता जा रहा है, जबकि अलग राज्य बनने से यह क्षेत्र आत्मनिर्भर और समृद्ध हो सकता है। हम बुंदेलखंड क्रांति दल के माध्यम से इस संघर्ष को जारी रखेंगे और केंद्र सरकार से अपील करते हैं कि इस मांग को स्वीकार किया जाए। बुंदेलखंड की जनता का धैर्य अब जवाब दे रहा है-समय है एक नए राज्य के उदय का।

अलग बुंदेलखंड की मांग करने वालों का कहना है कि बुंदेलखंड क्षेत्र को उप्र व मप्र से मुक्त कराकर पृथक राज्य निर्माण की मांग क्षेत्रीय संकीर्णता से ग्रसित भावावेश नहीं वरन यथार्थ एवं ठोस तर्कों पर आधारित लोकहितकारी व राष्ट्रहित कारी चिर चिंतन का परिणाम है। पृथक बुंदेलखंड राज्य निर्माण की भावना कोरी कल्पना नहीं है। बुंदेलखंडियों के उत्कर्ष हेतु पृथक बुंदेलखंड राज्य निर्माण की मांग एक जनआंदोलन हैं एवं यथार्थ में राजनीतिक स्टंट बिल्कुल नहीं है। बल्कि सर्वथा सम्भाव्य सफल होने वाला पुण्य प्रयास है। भारत संघ व संविधान की जिन व्यवस्थाओं के अंतर्गत एवं औचित्य के आधार पर देश की आजादी के बाद कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ व तेलंगाना राज्य बने। बुंदेलखंड राज्य की मांग उपरोक्त सभी राज्यों से पुरानी होने के बावजूद भी अपने अस्तित्व के लिए जूझ रहा है।

बुंदेलखंड एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध क्षेत्र है, जो उप्र के सात जिलों (झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट) और मप्र के सात जिलों (दतिया, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, सागर, दमोह और पन्ना) से मिलकर बनता है। कुल मिलाकर यह क्षेत्र लगभग 70,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक में फैला है और यहां की आबादी करीब 1.8 करोड़ है (जनगणना 2011 के अनुसार, जो अब बढ़कर अनुमानित 2 करोड़ से अधिक हो चुकी है)। लेकिन इस क्षेत्र की वास्तविकता बेहद कष्टप्रद है। यहां की मुख्य समस्याएं सूखा, गरीबी, बेरोजगारी, पलायन और अपर्याप्त विकास हैं, जो उप्र और मप्र जैसे बड़े राज्यों की उपेक्षा का परिणाम हैं।

आंकड़ों से देखें तो बुंदेलखंड भारत के सबसे पिछड़े क्षेत्रों में से एक है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-5, 2019-21) के अनुसार, बुंदेलखंड के जिलों में गरीबी दर 40-50 प्रतिशत तक है, जबकि राष्ट्रीय औसत 21.9 प्रतिशत है। उदाहरण के लिए, बांदा जिले में 45 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा से नीचे है, और महोबा में यह आंकड़ा 48 प्रतिशत तक पहुंचता है। कृषि यहां की अर्थव्यवस्था का आधार है, लेकिन लगातार सूखे के कारण फसल उत्पादन प्रभावित होता है। केंद्रीय जल आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, बुंदेलखंड में औसत वार्षिक वर्षा मात्र 800-900 मिमी है, जो राष्ट्रीय औसत (1,200 मिमी) से काफी कम है। परिणामस्वरूप, 2004-2008 के बीच यहां लगातार सूखे पड़े, जिससे 50 लाख से अधिक किसान प्रभावित हुए और हजारों किसानों ने आत्महत्या की। बेरोजगारी की दर भी चिंताजनक है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) के 2023 के आंकड़ों के अनुसार, बुंदेलखंड में बेरोजगारी दर 15-20 प्रतिशत है, जबकि राष्ट्रीय औसत 7-8 प्रतिशत है। इससे मजबूरन पलायन हो रहा है। एक अनुमान के अनुसार, हर साल 5-7 लाख लोग बुंदेलखंड से दिल्ली, मुंबई और अन्य शहरों की ओर पलायन करते हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी स्थिति दयनीय है। एनएफएचएस-5 के अनुसार, यहां कुपोषण दर 40 प्रतिशत से अधिक है, और साक्षरता दर मात्र 60-65 प्रतिशत है, जबकि राष्ट्रीय औसत 74 प्रतिशत है।

● **सिद्धार्थ पांडे**

जन आकांक्षाओं की उपेक्षा का असर तख्तापलट...!

नेपाल में सोशल मीडिया बैन, भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद के विरोध में शुरू हुए प्रदर्शन के 30 घंटे के भीतर ही प्रधानमंत्री को अपना पद छोड़ना पड़ा, जिसके कारण नेपाल में तख्तापलट हुआ है। लेकिन ऐसे ही हालात कुछ साल पहले भारत के अन्य पड़ोसी देशों में भी पनपे थे, जब सत्ता पर आसीन लोगों को जनाक्रोश के सामने सरेंडर करना पड़ा था। भारत के पड़ोसी देश पिछले 4-5 साल से अस्थिर बने हुए हैं। पहले अफगानिस्तान, श्रीलंका, फिर बांग्लादेश और अब नेपाल में सत्ता परिवर्तन के लिए देशव्यापी प्रदर्शन हो चुके हैं।

● **राजेंद्र आगाल**

विश्व में सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र दक्षिण एशिया को माना जाता है। लेकिन पिछले 4–5 सालों में भारत के पड़ोसी देशों में जिस तरह आम जनता ने अपनी सरकारों के खिलाफ विद्रोह कर तख्तापलट करवाया है, उसकी सबसे बड़ी वजह जन आकांक्षाओं की उपेक्षा है। चाहे अफगानिस्तान हो या फिर श्रीलंका, बांग्लादेश हो या नेपाल, सभी देशों में तख्तापलट की लगभग एक सी वजह है, वह है– नेपोटिज्म में उलझी सियासत, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और पीढ़ियों का गुस्सा। जिस तरह भारत के चारों तरफ स्थित देशों में सियासी उत्पात मचा हुआ है, उससे भारत को सबक लेने की जरूरत है। हालांकि भारत विभिन्न भाषा, संस्कृति, संप्रदाय और संस्कारों का देश है। इसलिए यहां पूरे देश में एक समान आंदोलन होने की संभावना नगण्य है। लेकिन जिस तरह नेपाल में तख्तापलट हुआ है, वह भारत के लिए सतर्कता बरतने का संदेश है। जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

पिछले एक दशक से जहां विश्व के कई देशों में आपसी संघर्ष चल रहा है, वहीं कुछ देश सीमा विवाद में उलझे हुए हैं। वहीं कई देश ऐसे हैं, जहां सत्ता के खिलाफ भड़का आक्रोश तख्तापलट में बदल गया है। अभी हाल ही में भारत के पड़ोसी देश नेपाल में तख्तापलट हुआ है। इसी तरह का तख्तापलट श्रीलंका, बांग्लादेश, यूक्रेन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, ट्यूनेशिया, मिस्र, सूडान, माली, नाइजर, जॉर्जिया, किर्गिस्तान, बोलीविया, थाईलैंड में भी हुआ। इन सभी देशों में हुए जनआंदोलनों का परिणाम तख्तापलट के रूप में हुआ और सबसे हैरानी की बात यह कि तख्तापलट के बाद जो भी नई सरकार बनी वो पूरी तरह अमेरिका की पिट्ठू सरकार थी। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि नेपाल में हुए तख्तापलट के पीछे क्या किसी दूसरे मुल्क का हाथ है। नेपाल में सत्ता के खिलाफ जेन-जी में जिस तरह का आक्रोश दिखा, वैसा आक्रोश शायद ही किसी अन्य देश में देखने को मिला। नेपाल में हुए इन हिंसक विरोध प्रदर्शनों में अब तक 51 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 21 प्रदर्शनकारी शामिल हैं। वहीं 1300 से ज्यादा लोग घायल हुए। इतना ही नहीं, हिंसा के दौरान विभिन्न जेलों से 13 हजार से ज्यादा कैदी भाग गए थे। नेपाल में हुए हिंसक प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने काफी उत्पात मचाया। संसद भवन से लेकर सुप्रीम कोर्ट को आग के हवाले कर दिया। जेन-जी की इस क्रांति के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली को पद से इस्तीफा देना पड़ा। केपी शर्मा ओली सेना के हेलीकॉप्टर में बैठकर अज्ञात जगह चले गए। केपी शर्मा ओली के बारे में कहा जा रहा है कि ओली और उनके करीबी नेता देश छोड़कर भाग गए हैं।

नेपाल में तख्तापलट

नेपाल में 4 सितंबर को सोशल मीडिया पर बैन लगाया गया। सोशल मीडिया पर बैन के खिलाफ लाखों युवा सड़कों पर उतरे और जमकर प्रदर्शन किया। सोशल मीडिया पर बैन हटाने की मांग से शुरू हुआ युवाओं का प्रदर्शन ओली सरकार की कुर्सी तक जा पहुंचा। हालांकि सोशल मीडिया से बैन हटा लिया गया है, लेकिन युवाओं के भारी बवाल के बीच ओली को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और नेपाल में तख्तापलट हो गया। नेपाल में क्रांति को कई लोग रूस की क्रांति की झलक बता रहे हैं लेकिन कई लोग इसे एक नेतृत्वविहीन और अनियंत्रित भीड़ का आंदोलन मान रहे हैं। ट्यूनेशिया और बांग्लादेश में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। 10-20 हजार लोगों की भीड़ आंदोलन की शक्ल में आती है और सरकारी प्रतिष्ठानों को घेर लेती है। स्थिति से निपटने के लिए सेना सक्रिय होती है और कई युवा मारे जाते हैं। इन मौतों के बाद युवाओं का गुस्सा बढ़ता है और आंदोलन उग्र हो जाता है।

युवाओं की यह भीड़ सत्ताधारियों की तलाश में सबकुछ तबाह करने पर तुल जाती है। सेना इस भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पाती। इस बीच बड़े नेताओं के इस्तीफे का सिलसिला शुरू होता है और सेना इन्हें बचाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देती है। भीड़ की यह टेंडेंसी बिलकुल वैसी ही है जैसे बांग्लादेश और ट्यूनेशिया में देखी गई थी। इन सभी देशों में हुए जनआंदोलनों का परिणाम तख्तापलट के रूप में हुआ और सब से हैरानी की बात यह कि तख्तापलट के बाद जो भी नई सरकार बनी वो पूरी तरह अमेरिका कि पिट्ठू सरकार थी।

श्रीलंका में 2022 में इसी तरह का जनसैलाब उमड़ा और इस जनसैलाब ने तख्तापलट कर दिया। अमेरिका ने आर्थिक संकट से जूझते श्रीलंका की नई सरकार को 5.75 मिलियन डॉलर की मानवीय सहायता भेजी। बांग्लादेश में 2024 में जनआंदोलन के बाद बनी सरकार को अमेरिका ने समर्थन दिया। यूक्रेन में 2014 में हुए तख्तापलट के बाद अमेरिका ने नई सरकार को समर्थन दिया, जिसमें सैन्य सहायता और आर्थिक पैकेज शामिल थे। ट्यूनेशिया (2011), मिस्र (2013), सूडान (2019) और बोलीविया (2019) में अमेरिका ने नई सरकार को आर्थिक और सैन्य सहायता दी।

चीन से नजदीकी पड़ी भारी

नेपाल में जनआंदोलन के पीछे एक बड़ा कारण यह भी है कि नेपाल में केपी शर्मा ओली सरकार ने चीन से नजदीकी बढ़ाई जो अमेरिका को खटक रही थी। अमेरिकी साम्राज्यवादी मीडिया ने ओली सरकार के खिलाफ अफवाहें, फेक न्यूज फैलाना शुरू किया। इस प्रोपगेंडा के

नेपाल में 3 दिन में अरबों की सरकारी संपत्ति स्वाहा

नेपाल में जेन-जी प्रोटेस्ट ने विद्रोह का रूप लेकर ओली सरकार का तख्तापलट कर दिया है। यह प्रोटेस्ट 3 दिनों के भीतर इतना भड़का कि नेताओं को देश छोड़कर भागना पड़ा। ऐसा ही पिछले साल बांग्लादेश और श्रीलंका में हुआ। नेपाल में इन दिनों का मौसम ऐसा होता है, जब पर्यटकों की भीड़ उमड़ती है। त्योहारों के कारण बड़ी संख्या में प्रवासी भी छुट्टियां मनाने के लिए देश लौटते हैं। इस दौरान होने वाली कमाई देश की अर्थव्यवस्था का बड़ा आधार होती है। लेकिन जेन-जी के हालिया आंदोलन ने इसे बुरी तरह नुकसान पहुंचाया है। हिंसा, तोड़फोड़ और आगजनी के कारण अरबों की क्षति हो चुकी है और तकरीबन 10 हजार लोगों का रोजगार छिन चुका हुआ। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि नेपाल को इस आंदोलन की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस वितीय वर्ष में नेपाल की विकास दर एक फीसदी से नीचे रह सकती है। खुदरा विक्रेताओं से लेकर होटलों, एयरलाइंस से लेकर परिवहन संचालकों तक हर व्यवसाय पर इसकी मार का असर साफ दिख रहा है। दरबार स्क्वायर, पोखरा, भैरहवा और चितवन जैसे अन्य लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में सामान्य से कहीं ज्यादा सन्नाटा छाया हुआ है। कैलाश मानसरोवर यात्रा करने वालों की संख्या भी घटने के आसार हैं। हर तरफ क्षतिग्रस्त होटल, धुएं से काली पड़ी इमारतें, जले वाहन एक आम नजारा बन चुके हैं। नेपाली उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष बीरेंद्र राज पांडे ने कहा, मौजूदा स्थिति से उबरने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। अच्छी बात यह है कि कई उद्यमियों ने इससे उबरने का आत्मविश्वास दिखाया है।

सुशीला कार्की ने संभाली नेपाल में शांति की कमान

नेपाल में प्रदर्शन, भारी हिंसा और केपी शर्मा ओली के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अब धीरे-धीरे शांति बहाल हो रही है। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की ने देश की नई प्रधानमंत्री के तौर पर पद को संभाल लिया है। नेपाल में हुए इन हिंसक विरोध प्रदर्शनों में अब तक 51 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 21 प्रदर्शनकारी शामिल हैं। 1300 से ज्यादा लोग घायल हुए। इतना ही नहीं, हिंसा के दौरान विभिन्न जेलों से 13 हजार से ज्यादा कैदी भाग गए थे। पद संभालने के बाद कार्की ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा है कि मैंने जिन हालातों में सत्ता संभाली है, वो सामान्य नहीं हैं। 27 घंटे तक पूरा नेपाल जला है, फिर जाकर ये अंतरिम सरकार बनी है। उन्होंने सीधा-सीधा कहा कि मेरी उम्र अब सत्ता का रसास्वादन की नहीं है। देश की परिस्थितियां अलग हैं, जिसमें देश की सुरक्षा और जो नुकसान हुआ है, उसे संभालने की जरूरत है। ये मुश्किल काम है और सबका सहयोग चाहिए होगा। नेपाल में कार्यवाहक सरकार के गठन के बाद प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने अपने मंत्रिमंडल में तीन मंत्रियों को शामिल किया है। कुलमन घीसिंग, ओम प्रकाश आर्यल और रामेश्वर खनल ने मंत्री पद की शपथ ली है। कुलमन घीसिंग को ऊर्जा, शहरी विकास और भौतिक अवसंरचना मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया है। ओम प्रकाश आर्यल, विधि एवं गृह मंत्रालय और रामेश्वर खनल, वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभालेंगे।

खिलाफ ओली सरकार ने 4 सितंबर को फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स (ट्विटर), यूट्यूब, वॉट्सऐप सहित 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नेपाल में प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद नई युवा पीढ़ी जेन-जी सोशल मीडिया पर लगे प्रतिबंध और भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर उतर गई। नेपाल में सोशल मीडिया बैन को लेकर शुरू हुए प्रदर्शन की आग आज से नहीं, बल्कि काफी समय से धधक रही थी। सोशल मीडिया तो महज बहाना है, लोगों में आक्रोश दरअसल सरकार की नीतियों और कामकाज को लेकर ही था, जो सोशल मीडिया के माध्यम से उजागर हो रहा था और सरकार को नागवार गुजर रहा था। नेपाल में सोशल मीडिया पर सरकार की करतूतों को उजागर करने का जिम्मा उठा रखा था जेन-जी ने। जेन-जी, यानी जेनेरशन-जी यानी वह युवा पीढ़ी जो मिलेनियल्स के बाद आती है। 1997 से 2012 के बीच जन्में लोग जेन-जी कहे जाते हैं, जिनका बचपन और युवावस्था स्मार्टफोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया और डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ ही बीता है। यह वह जेनेरशन है जो दुनियाभर की खबरों, फैशन, विचारों और ट्रेंड्स से तुरंत जुड़ जाती है। वह जनरेशन जो सामाजिक मुद्दों पर जागरूक है, और सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे विश्व से कनेक्टेड है। यह वह जेनेरशन है जो आज बढ़ते क्लाइमेट चेंज पर चिंतित है, जिस क्लाइमेट चेंज की कोई चिंता सरकार को नहीं है। यह वह जेनेरशन है जो एलजीबीटीक्यू+ के राइट्स के लिए सड़कों पर उतर पड़ती है। यह वह जेनेरशन है जो समाज में समानता की बात करती है जबकि राजनीतिक पार्टियां सत्ता पाने के लिए समाज में असमानता और विभाजन की गहरी खाईयां खोदती है।

4 सितंबर को जब नेपाल की ओली सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन लगाया तो देशभर में हिंसा की आग भड़क उठी। सोशल मीडिया बैन के खिलाफ भड़का गुस्सा बेकाबू हुआ तो प्रदर्शनकारी युवाओं की भीड़ ने राष्ट्रपति भवन और राजनीतिक पार्टियों के दफ्तर फूंक डाले। नेताओं को दौड़ा-दौड़ा कर कूटा। वित्त मंत्री बिष्णु पौडेल को तो प्रदर्शनकारियों ने नंगाकर पानी में दौड़ा-दौड़ा कर लातघूसों से पीटा, जिसके वीडियो वायरल हुए। बेकाबू भीड़ को नियंत्रित करने में सेना की कार्रवाई में 20 से ज्यादा युवा मारे गए और 600 से ज्यादा घायल हुए। इसके बाद तो सत्ता में ओली सरकार का टिका रहना मुश्किल ही था। गृहमंत्री के बाद

हसीना ने भारत में ली शरण

पिछले साल बांग्लादेश में भी छात्रों ने आंदोलन किया था, जो बाद में हिंसक हो गया था। शेख हसीना की सरकार गिर गई। प्रदर्शनकारियों ने ढाका स्थित उनके सरकारी आवास पर धावा बोल दिया और उन्हें किसी तरह जान बचाकर देश छोड़कर भागना पड़ा। 5 अगस्त 2024 को छात्र आंदोलन और सेना हस्तक्षेप के बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना सेना के विमान में सवार होकर भारत के हिंडन एयरपोर्ट पहुंची थीं और भारत में शरण ली।

गोटाबाया ने 3 देशों में ली शरण

2022 में श्रीलंका में आर्थिक संकट इस कदर बढ़ गया कि लोगों को सरकार के विरोध में सड़क पर उतरना पड़ा। जल्द ही विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गए, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने श्रीलंका के संसद भवन और पीएम हाउस में घुसकर लूटपाट मचाई थी। इसके बाद राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे इस्तीफा देकर मालदीव भाग गए और फिर वहां से सिंगापुर। श्रीलंका में भारी विरोध और जान को खतरे को देखते हुए वे हड़बड़ी में भागे थे। हालांकि बाद में थाईलैंड गए और आखिर में राजधानी कोलंबो वापस लौट आए।

अबू धाबी में हैं गनी

अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी हुई तो देश पर तालिबान ने कब्जा कर लिया। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी तालिबान के काबुल पर कब्जे के दिन यानी 15 अगस्त 2021 को हड़बड़ी में राष्ट्रपति भवन छोड़कर विमान से भाग निकले। पहले वे ताजिकिस्तान पहुंचे। वहां से उज्बेकिस्तान गए और बाद में यूएई ने उन्हें मानवीय आधार पर शरण दी। गनी के साथ उनकी पत्नी, कुछ सुरक्षा अधिकारी और करीबी सहयोगी थे। उस वक्त मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया था कि अशरफ गनी भारी मात्रा में नकदी और कीमती सामान लेकर भागे थे।

2 साल से जेल में हैं इमरान

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को अल कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में 9 मई 2023 को गिरफ्तार किया। इमरान की गिरफ्तारी के बाद पूरे पाकिस्तान में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए। इमरान खान को 17 जनवरी, 2025 को अल कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में 14 साल कैद की सजा सुनाई गई, जबकि पत्नी बुशरा बीबी को 7 साल की सजा हुई। इमरान पर 150 से अधिक आपराधिक केस दर्ज हैं। उन्होंने पार्टी को आगामी उप-चुनावों में भाग नहीं लेने का फैसला किया है, क्योंकि चुनाव प्रक्रिया अन्यायपूर्ण है और इसमें हिस्सा लेने से अवैध अयोग्यताओं को कानूनी वैधता मिल जाएगी।

एक-एक कर सभी मंत्रियों ने पद से इस्तीफा दे दिया। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की हालत पतली हो गई और अंततः उन्हें भी काठमांडू छोड़कर भागते देखा गया। दरअसल नेपाल की ओली सरकार युवा वर्ग की अभिव्यक्ति की आजादी छीनने की कोशिश में थी। उसने सोचा कि सोशल मीडिया पर काबू पाकर वह अपने कारनामे छुपा लेंगे और जेन-जी को काबू में कर लेंगे। मगर जेन-जी के लिए सोशल मीडिया उसके खाने-पीने और सांस लेने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। नतीजा युवाओं के आक्रोश ने पूरी सरकार ही ध्वस्त कर दी। संसद और सुप्रीम कोर्ट को आग के हवाले कर लोकतंत्र के परखच्चे उड़ा दिए।

बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार

नेपाल की जनता बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार से त्रस्त है। ऐसे में सरकार के खिलाफ पहले से ही आक्रोश पनप रहा था। दरअसल जेन-जी की सोच, काम करने का तरीका और मनोरंजन सबकुछ तेज है। ये जेनेरशन ज्यादा प्रेक्टिकल है और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहती है। आज इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स और स्नैपचैट जैसे प्लेटफॉर्म पर यही जेनेरशन छाई हुई है। ये लोग दुनियाभर के ट्रेंड्स से जुड़कर चलना चाहते हैं। चाहे वह करियर हो या लाइफस्टाइल। ये अपने फैसले खुद लेते हैं और काफी लिबरल हैं। जेन-जी पारम्परिक सरकारी नौकरी या खेती किसानी से हटकर स्टार्टअप, फ्रीलांसिंग, आईटी, क्रिएटिव इंडस्ट्री की तरफ जा रहे हैं। विदेशों में शिक्षा और नौकरी के अवसर तलाशना भी नेपाल के जेन-जी की बड़ी प्रवृत्ति है। नेपाल की लोकतंत्र संघीय व्यवस्था और संविधान की बहस में जेन-जी का बड़ा रोल है। युवा मतदाता सोशल मीडिया के जरिये नेताओं को चुनौती देते हैं, ट्रेंड्स बनाते हैं और आंदोलन खड़े करने में आगे रहते हैं। हाल ही में स्थानीय चुनावों में युवाओं की सक्रियता से नए, युवा और स्वतंत्र उम्मीदवारों को जीत हासिल हुई। गौरतलब है कि नेपाल में इंटरनेट और स्मार्टफोन का प्रसार पिछले एक दशक में बहुत तेजी से हुआ है और यहां का युवा वर्ग इसके माध्यम से राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर अपनी राय खुलकर जाहिर करता है। ऐसे में सोशल मीडिया पर बैन लगाकर सरकार ने जलते तवे पर पैर रख दिया।

नेपाल में सरकार और नेताओं के भ्रष्टाचार के खिलाफ जेन-जी के विद्रोह का तात्कालिक कारण भले ही सोशल मीडिया पर प्रतिबंध हो, मगर इसके पीछे एक बड़ी वजह रेमिटेंस पर निर्भर अर्थव्यवस्था भी है। नेपाल बहुत हद तक देश से बाहर रहकर काम कर रहे अपने नागरिकों की कमाई पर निर्भर है। यहां न तो युवाओं के लिए नौकरियां हैं और न ही दूसरे अवसर।

भारत में हर तीसरा सांसद राजनीतिक परिवार से

भारत की राजनीति में वंशवाद का दबदबा लगातार बढ़ता जा रहा है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के मुताबिक, संसद और विधानसभाओं में बड़ी संख्या में ऐसे प्रतिनिधि हैं जो राजनीतिक परिवारों से आते हैं। यह स्थिति साफ करती है कि लोकतंत्र के मंच पर भी परिवारवादी राजनीति गहरी जड़ें जमा चुकी हैं। रिपोर्ट के अनुसार, लोकसभा में 31 प्रतिशत सांसद ऐसे हैं जो वंशवादी पृष्ठभूमि से आते हैं, जबकि राज्यों की विधानसभाओं में यह आंकड़ा 20 प्रतिशत है। इसका मतलब है कि राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश पर स्थापित राजनीतिक परिवारों का कड़ा नियंत्रण बना हुआ है। वहीं, राज्यों की राजनीति में बाहरी लोगों के लिए थोड़ी जगह जरूर है। बड़े और काडर आधारित राज्यों जैसे तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में वंशवाद का प्रतिशत अपेक्षाकृत कम है। यहां वंशवादी जनप्रतिनिधियों की संख्या क्रमशः 15 प्रतिशत और 9 प्रतिशत है। इसके उलट छोटे राज्यों जैसे झारखंड (28 प्रतिशत) और हिमाचल प्रदेश (27 प्रतिशत) में यह प्रभाव कहीं ज्यादा है। इससे यह भी साबित होता है कि मजबूत संगठनात्मक ढांचे वाली पार्टियां वंशवाद को रोकने में अधिक सक्षम होती हैं। रिपोर्ट का सबसे चौंकाने वाला पहलू महिलाओं को लेकर है। वंशवादी पृष्ठभूमि से आने वाली महिला नेताओं का प्रतिशत 47 प्रतिशत है, जबकि पुरुषों में यह केवल 18 प्रतिशत है। झारखंड में 73 प्रतिशत और महाराष्ट्र में 69 प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधि अपने परिवार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रही हैं।

अपनी आकांक्षाओं की आग में सुलग रहे जेन-जी को इंटरनेट मीडिया का बड़ा सहारा है, जिसके माध्यम से उनकी कुछ कमाई हो जाती है। यह पीढ़ी इंटरनेट के साथ पढ़ी-बढ़ी है। फेसबुक और वॉट्सऐप जैसे ऐप लोगों के जीवन में बहुत अहम हैं। ये ऐप युवाओं को रोजगार और आर्थिक अवसरों के अभाव के खिलाफ गुस्सा निकालने का मंच भी मुहैया करते हैं। इस के अलावा नेपाल के बहुत से नागरिक भारत के अलावा खाड़ी देशों और मलेशिया में काम करते हैं। फेसबुक और वॉट्सऐप के जरिये लोग अपने परिवार से संपर्क में रहते हैं। इसके अलावा इंटरनेट आधारित ऐसे ऐप भी हैं जिनके जरिये नेपाली अपने परिवार को पैसे भेजते हैं। ऐसे में सरकार द्वारा सोशल मीडिया पर प्रतिबंध ने स्थिति को विस्फोटक बना दिया।

8 प्रतिशत आबादी दूसरे देशों में

गौरतलब है कि नेपाल की 8 प्रतिशत से अधिक आबादी दूसरे देशों में काम कर रही है और वहां से वह जो पैसे भेजते हैं, उसका देश की जीडीपी में योगदान 33 प्रतिशत से अधिक है। टोंगा, तजाकिस्तान और लेबनान के बाद किसी देश की जीडीपी में रेमिटेंस की यह चौथी बड़ी हिस्सेदारी है। देश में रोजगार के अवसर न होने की वजह से ही लोग बाहर काम कर रहे हैं। पिछले एक दशक में नेपाली युवाओं का शिक्षा और रोजगार के लिए विदेश में पलायन तेज हुआ है। लगभग 2200 नेपाली प्रतिदिन खाड़ी देश और मलेशिया जा रहे हैं। एक आंकड़े के अनुसार, 40 लाख नेपाली नागरिक भारत सहित विदेशों में काम कर रहे हैं। वे बाहर के देशों की चकाचौंध से प्रभावित हैं। और अपने देश की गरीबी का कारण सरकार की गलत नीतियों, कामकाज और भ्रष्टाचार को मानते हैं। सरकार परियोजनाओं का

बहाना लेकर अपने खजाने को खाली बताती है जबकि लोगों को जमीन पर सरकार की कोई परियोजना उतरती दिखाई नहीं देती है। इसके अलावा आक्रोश का एक और कारण है। नेपाल में अभी तीन प्रमुख दल हैं। ये तीनों पार्टियां आपस में तालमेल कर सरकार बना लेती हैं। इससे इन्हीं दलों से जुड़े लोगों को सरकारी टेंडर या योजनाओं का फायदा मिलता है। इन सब चीजों ने तनाव भड़काने में भूमिका निभाई है। जेन-जी के विद्रोह ने यह तो तय कर दिया है कि यह पीढ़ी अन्याय को अपनी नियति के रूप में स्वीकार करने को हरगिज तैयार नहीं है। यह पीढ़ी दुनियाभर में अब खुलकर सरकारों को चुनौती दे रही है। नेपाल से इंडोनेशिया, श्रीलंका से बांग्लादेश तक एशिया के युवा असमानता और अन्याय के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। जेन-जी का गुस्सा अब केवल चिंगारी नहीं बल्कि एक ऐसी आग बन चुका है जो सरकारों को हिला रही है, नेस्तनाबूद कर रही है। फिलहाल नेपाल के युवाओं ने वहां की सरकार को उखाड़ फेंका है। अब वहां नए सवेरे की उम्मीद है। नई सरकार कब बनेगी और कितनी स्थिर होगी यह अभी भविष्य के गर्भ में है। मगर यह तय है कि नई सरकार जेन-जी के सहयोग और उसकी राय से बनेगी।

पाकिस्तान में चार बार तख्तापलट

पाकिस्तान में 1947 से ही सेना का हस्तक्षेप सत्ता में रहा है। पाकिस्तान ने एक, दो नहीं बल्कि चार बार तख्तापलट का दंश झेला है। पहला तख्तापलट 1953-54 में हुआ। इसके बाद 1958 में सत्ता बदली जब पाकिस्तानी राष्ट्रपति मेजर जनरल इस्कंदर अली मिर्जा ने पाकिस्तान की संविधान सभा और तत्कालीन फिरोज खान नून की सरकार को बर्खास्त किया था। फिर आया 1977 का दौर। तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो पर भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग के आरोप लगे। चुनावों में धांधली के विवाद के बीच सेना प्रमुख जिया उल हक ने तख्तापलट किया। 1999 में फिर वही कहानी दोहराई गई जब सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ ने सैन्य तख्तापलट कर नवाज शरीफ को सत्ता से बेदखल किया था।

बांग्लादेश में अमेरिका पर आरोप

भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश भी 2024 में इसी तरह की आग में जल उठा था। शेख हसीना की सरकार पर भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और दमन के आरोप थे। जुलाई 2024 में सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत कोटा प्रणाली के खिलाफ छात्र आंदोलन शुरू हुआ। जल्दी ही यह आंदोलन व्यापक हो गया। सड़कों पर उतरे लाखों युवाओं ने शेख हसीना के खिलाफ नारे लगाए और देखते ही देखते बांग्लादेश में तख्तापलट की घटना घटी। बता दें कि बांग्लादेश में तख्तापलट की घटना से अमेरिका पर आरोप लगा था। शेख हसीना के बेटे ने तख्तापलट के लिए अमेरिका पर शक जताया था।

श्रीलंका-अफगानिस्तान में तख्तापलट

इसके अलावा साल 2022 में श्रीलंका में भी तख्तापलट की घटना देखी गई। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था चरम संकट में थी। ईंधन, दवा, भोजन की भारी किल्लत थी। श्रीलंका ऋणों के बोझ तले दबा था। लोगों का मानना था कि राजपक्षे परिवार की भ्रष्ट शासन ने जनता को तंग कर दिया। भारी संख्या में परेशान जनता सड़क पर उतरी। राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय और संसद के बाहर डेरा डाला गोटा गो गोटा यानी राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे सत्ता छोड़ो के नारे लगे। जुलाई 2022 तक आंदोलन इतना उफान मार गया कि गोटाबाया को देश छोड़कर भागना पड़ा। वहीं अफगानिस्तान में भी तख्तापलट की घटना घट चुकी है। अगस्त 2021 में अमेरिका की सेना हटने के बाद अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो गया। तालिबान ने 2021 में अफगानिस्तान की गनी सरकार का तख्तापलट किया था।

फ्रांस में गहराता संकट

इंडोनेशिया और फ्रांस भी जल रहा है क्योंकि वहां भी सरकार पर भ्रष्टाचार और अपनों को रेवड़ियां बांटे जाने से जनता त्रस्त है। फ्रांस की जनता में काफी रोष है, वे सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर चुकी है और ये सिर्फ सरकार की गलत नीतियों, घोर भ्रष्टाचार, आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता का परिणाम है। दरअसल फ्रांस में ब्लॉक एवरीथिंग नामक विरोध प्रदर्शन ने राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो की सरकार को नई चुनौती दे दी है। पेरिस समेत कई शहरों में प्रदर्शनकारियों ने सड़कों को जाम कर आगजनी की, नौबत ये आन पड़ी कि लोगों को पीछे हटाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े लेकिन इसके बावजूद लोग डंटे रहे। बड़े जनअसंतोष की कोई साफ वजह नहीं है, लेकिन इसके पीछे बजट में कटौती, सामाजिक असमानता और सरकार की नीतियों के खिलाफ गहरी नाराजगी साफ दिख रही है। वहीं आंदोलन के बीच फ्रांस के नए प्रधानमंत्री सेबास्टियन लेकोर्नू ने अपना कार्यभार संभाल लिया। इस विरोध प्रदर्शन की अगुवाई एक वामपंथी समूह ब्लॉक एवरीथिंग कर रहा था, जो राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो की नीतियों के खिलाफ जनाक्रोश को स्वर देने के लिए मुखर हो रहा है। वहीं नए फ्रांसीसी प्रधानमंत्री लेकोर्नू, जो पिछले तीन वर्षों से रक्षा मंत्री रहे हैं, उन्हें राष्ट्रपति मैक्रो का करीबी माना जाता है और अब उन्हें फ्रांस की राजनीतिक अस्थिरता के बीच प्रधानमंत्री बनाया गया है।

हार से बौखलाए थे ट्रंप

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2021 में सत्ता से जाते-जाते विवादों में घिर गए थे। उनके समर्थकों ने अमेरिकी संसद पर हमला कर दिया था। वाइट हाउस के एक पूर्व सहयोगी ने अमेरिकी कांग्रेस कमेटी को बताया कि 6 जनवरी, 2021 को पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हथियारबंद समर्थकों की भीड़ को यूएस कैपिटल भेजा था। 6 जनवरी, 2021 को हजारों लोगों ने, जिनमें ज्यादातर ट्रंप के समर्थक बताए जा रहे थे, वाशिंगटन डीसी में कैपिटल पर हमला किया था। ट्रंप समर्थक उनके चुनाव हारने से नाराज थे। इस घटना ने 2020 के राष्ट्रपति चुनाव परिणामों की पुष्टि करने की प्रक्रिया में कांग्रेस के संयुक्त सत्र को बाधित कर दिया था। वाइट हाउस के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ मार्क मीडोज के सहयोगी कैसिडी हचिंसन ने एक महत्वपूर्ण गवाही दी और इस बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा, ट्रंप जानते थे कि भीड़ सशस्त्र थी। लेकिन न तो उन्होंने और न ही उनके सहयोगियों ने दंगाइयों को रोकने की कोशिश की। हचिंसन ने कहा कि ट्रंप चाहते थे कि सुरक्षा उपकरण हटा दिए जाएं ताकि उनके अधिक से अधिक समर्थक रैली में पहुंच सकें। वे हथियारबंद थे, लेकिन इससे उनको कोई चिंता नहीं थी।

तारीख पर तारीख की संस्कृति बदले

देश के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 75 वर्ष का गरिमामय सफर पूरा किया है। यह केवल एक ऐतिहासिक पड़ाव नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की आत्मा को परखने का अवसर भी है। न्यायपालिका ने इन आठ दशकों में अनेक युगांतरकारी फैसले दिए, जिन्होंने संविधान की मर्यादा और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की। किंतु आज सबसे बड़ी चुनौती न्याय में विलंब की है। समय पर न्याय न मिले तो न्याय का वास्तविक अर्थ ही खो जाता है। शायद यही कारण है कि न्यायिक बिरादरी के आयोजनों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्य न्यायाधीशों ने एक स्वर से कहा कि अब तारीख पर तारीख की संस्कृति को समाप्त करने का समय आ गया है। जिला न्यायपालिका के दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए अदालतों में स्थगन की संस्कृति को बदलने के प्रयास करने की सख्त जरूरत है। उन्होंने स्वीकारा कि अदालतों में बड़ी संख्या में लंबित मामलों का होना हम सभी के लिए बड़ी चुनौती है।

सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये केवल एक संस्था की यात्रा नहीं है। ये यात्रा है भारत के संविधान और संवैधानिक मूल्यों की। ये यात्रा है एक लोकतंत्र के रूप में भारत के और परिपक्व होने की। भारत के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट पर, हमारी न्यायपालिका पर विश्वास किया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के ये 75 वर्ष मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में भारत के गौरव को और बढ़ाते हैं। आजादी के अमृतकाल में 140 करोड़ देशवासियों का एक ही सपना है विकसित भारत, नया भारत बनने का। नया भारत, यानी सोच और संकल्प से एक आधुनिक भारत। हमारी न्यायपालिका इस विजन का एक मजबूत स्तंभ है। भारत में लोकतंत्र और उदारवादी मूल्यों को मजबूत करने में न्यायपालिका ने बेहद महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। संविधान का रखवाला, गरीबों के अधिकार एवं सरकार की ज्यादतियों के खिलाफ कमजोर समूहों का योग्य संरक्षक और करोड़ों नागरिकों के लिए आखिरी उम्मीद वाला संस्थान है सुप्रीम कोर्ट। कुछ अपवादों को छोड़कर पिछले 75 वर्षों में ज्यादातर समय भारतीय न्यायपालिका संविधान की रक्षा और कानून के शासन को बनाए रखने में सफल रही है। लेकिन भारतीय कानून व्यवस्था के सामने अनेक जटिल स्थितियां भी हैं, न्यायाधीशों की नियुक्ति, बढ़ते केसों की संख्या, जवाबदेही, भ्रष्टाचार एवं विलंबित न्याय आदि। न्याय को लेकर अदालतों तक आम नागरिकों की पहुंच एवं खर्च के मुद्दों और इसी तरह की दूसरी चीजों के मामले में सुधार के बारे में न्यायपालिका की अपनी महत्वपूर्ण चिंताएं हैं। हमारे कानूनों की भावना है-नागरिक पहले, सम्मान पहले और न्याय पहले है।

इससे पहले जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में त्वरित न्याय की आवश्यकता पर बल दिया था ताकि महिलाओं में अपनी सुरक्षा को लेकर भरोसा बढ़ सके। निसंदेह, हाल के वर्षों में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में तेजी से वृद्धि हुई है, जिससे हमारे समाजशास्त्री और कानून लागू करवाने वाली विभिन्न एजेंसियां भी हैरान-परेशान हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराधों में बढ़ोतरी से पूरा समाज हिला हुआ है। कोलकाता मेडिकल कॉलेज की महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना ने यह स्पष्ट कर दिया कि अपराधियों के मन से कानून का भय लगभग समाप्त हो चुका है। यही कारण है कि अब न केवल कठोर कानून बल्कि त्वरित और निष्पक्ष न्याय की मांग बलवती हो रही है। आज न्यायपालिका के सामने सबसे बड़ी चुनौती है-न्याय में विलंब। जिला अदालतों से लेकर उच्चतम न्यायालय तक करोड़ों मामले लंबित हैं। केवल जिला अदालतों में ही साढ़े चार करोड़ से अधिक मामले अटके पड़े हैं। यह स्थिति लोकतंत्र की आत्मा को आहत करती है, क्योंकि न्याय में विलंब, न्याय के इनकार के समान है।

दरअसल, लंबित मामलों के पीछे कई कारण हैं-न्यायाधीशों की अपर्याप्त संख्या, अदालती प्रक्रियाओं की जटिलता, अनावश्यक स्थगन, वकीलों द्वारा मुकदमों को खींचना और पुलिस-प्रशासन की लापरवाही। यही वजह है कि अपराधियों के मन से कानून का भय कम होता जा रहा है और आम नागरिक का भरोसा डगमगाने लगता है। भारतीय न्यायिक व्यवस्था की रीढ़ जिला एवं स्थानीय अदालतें हैं। यदि इन स्तरों पर शीघ्र और सस्ता न्याय नहीं मिलेगा, तो सुप्रीम कोर्ट की उपलब्धियां अधूरी मानी जाएंगी। सर्वोच्च न्यायालय समय-समय पर स्वत: संज्ञान लेकर राहत देता रहा है-जैसे हाल ही में डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय प्रोटोकॉल बनवाने की पहल। किंतु जिला स्तर पर ऐसी सजगता और सक्रियता नहीं दिखाई देती। इसलिए सुधार की असली शुरुआत निचले स्तर से ही करनी होगी।

● **रजनीकांत पारे**

न्यायाधीशों की कमी हो दूर

न्यायिक प्रकिया से जुड़े कामकाज की समीक्षा होनी जरूरी है। वहीं दूसरी ओर विभिन्न मुख्य न्यायाधीशों ने बार-बार निचली अदालतों में न्यायाधीशों की कमी का मुद्दा भी उठाया है। जाहिर तौर पर संसाधनों की कमी भी न्यायिक प्रक्रिया की गति को प्रभावित करती है। कुछ लोग मानते हैं कि सख्त कानून के साथ ही त्वरित न्याय भी अपराधियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बना पाएगा। यदि पुलिस व जांच एजेंसियां पुख्ता सबूतों के साथ अदालत में पहुंचें तो गंभीर मामलों में आरोप जल्दी सिद्ध हो सकेंगे। यही वजह है कि देश में शीर्ष स्तर पर भी यह धारणा बलवती हो रही है कि विभिन्न हितधारक सामूहिक जिम्मेदारी निभाएं, जिससे उस धारणा को तोड़ा जा सकता है कि न्याय देने वाली प्रणाली तारीख पर तारीख की संस्कृति को बढ़ावा देती है। विश्वास किया जाना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के 75 वर्ष होने पर शीर्ष न्यायिक नेतृत्व लंबित मामलों के निपटारे के लिए नई प्रभावी रणनीति बनाएगा। निसंदेह, भारतीय न्यायिक व्यवस्था की रीढ़ कही जाने वाली जिला अदालतें भी इस दिशा में बदलावकारी पहल कर सकती हैं। जिससे आम आदमी का न्यायिक व्यवस्था में भरोसा और मजबूत हो सकेगा। अमेरिका जैसे देशों में किसी भी मामले के लिए अधिकतम अवधि तीन वर्ष तय है, जबकि भारत में 20-30 वर्षों तक मुकदमे चलते रहना आम बात है। इस विसंगति को दूर करने के लिए नियत अवधि और अधिकतम तारीखों की सीमा तय की जानी चाहिए।

जीएसटी प्रणाली की लंबे समय तक इसलिए आलोचना की गई कि उसमें राष्ट्रीय स्तर के उचित अपीलीय तंत्र का अभाव है। उद्यमों को अक्सर राज्यों के बीच असंगत निर्णयों का सामना करना पड़ा जिसने अनिश्चितता को बढ़ाया। इस कड़ी में 2025 के अंत तक जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण यानी जीएसटैट को अमल में लाने का निर्णय महत्वपूर्ण है।

आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाना केवल इसलिए आवश्यक नहीं है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति टैरिफ के मामले में भारत के आर्थिक हितों पर चोट पहुंचाने पर आमादा हैं बल्कि इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भारत को विकसित देश बनने के लिए तेजी से प्रगति करना आवश्यक है। इसके लिए केवल सभी अपेक्षित सुधार ही नहीं किए जाएं बल्कि उन पर अमल की ठोस व्यवस्था भी की जानी चाहिए। अंततः वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी में सुधार की प्रतीक्षा पूरी हुई। यह एक बड़ा सुधार है और चूंकि इसका लाभ आम लोगों के साथ कारोबार जगत को भी मिलेगा, इसलिए यह स्वाभाविक है कि इससे अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा और वह भी ऐसे समय जब उसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मनमानी टैरिफ नीति की चुनौतियों से दो-चार होना पड़ रहा है।

8 वर्ष बाद जीएसटी को युक्तिसंगत बनाए जाने के फैसले के साथ ही यह देखा जाना चाहिए कि उपभोक्ताओं को इसका वास्तविक लाभ मिले। उन आशंकाओं का निवारण किया जाना चाहिए, जिनके तहत यह प्रश्न उठ खड़ा हुआ है कि कुछ उत्पादों और सेवाओं के मूल्य में वास्तव में कमी आएगी या नहीं? इन आशंकाओं का निवारण करके ही 22 सितंबर से लागू होने वाले जीएसटी सुधार को देश को दीवाली के उपहार की संज्ञा दी जा सकेगी। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इस सुधार के साथ जीएसटी के क्रियान्वयन की जटिलताएं सचमुच खत्म हों और छोटे कारोबारियों को बेवजह की कागजी कार्यवाही पूरी न करनी पड़े।

जीएसटी में बड़े सुधार को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच जो आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गया है, वह इसलिए औचित्यहीन और व्यर्थ है, क्योंकि जीएसटी परिषद ने आम सहमति से यह फैसला लिया कि अब इस टैक्स की दो ही श्रेणियां-5 और 18 प्रतिशत होंगी। यह ठीक है कि आम सहमति से लिए गए इस फैसले को लेकर कुछ गैर-भाजपा शासित राज्यों ने राजस्व में होने वाले नुकसान की भरपाई करने की मांग की है, लेकिन एक तो यह नुकसान बहुत अधिक नहीं और दूसरे, वह तात्कालिक रूप से ही होगा। जीएसटी की दो श्रेणियां किया जाना समय की मांग थी। ऐसा करने से केवल रोजमर्रा की तमाम वस्तुएं सस्ती ही नहीं होंगी, बल्कि उनकी खपत भी बढ़ेगी। इसके नतीजे में अर्थव्यवस्था का पहिया और तेजी से घूमेगा। इसे सुनिश्चित करने के लिए अगली पीढ़ी के उन अन्य आर्थिक सुधारों को भी गति देनी होगी, जिनके बारे में प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से घोषणा की थी।

आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाना केवल इसलिए आवश्यक नहीं है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति टैरिफ के मामले में भारत के आर्थिक हितों पर चोट पहुंचाने पर आमादा हैं, बल्कि इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि भारत को विकसित देश बनने के लिए तेजी से प्रगति करना आवश्यक है। इसके लिए केवल

राज्य की योजनाएं होंगी प्रभावित

मप्र के संदर्भ में बात करें, तो राज्य सरकार की आय का बड़ा हिस्सा केंद्र से मिलने वाली जीएसटी की हिस्सेदारी पर निर्भर करता है। यदि केंद्र सरकार से जीएसटी की राशि में कमी आती है, तो इससे प्रदेश का बजट और विकास योजनाएं प्रभावित होंगी। जीएसटी से मिलने वाली राशि कम होने पर सरकार को न केवल विकास कार्यों में कटौती करनी पड़ सकती है, बल्कि कल्याणकारी योजनाओं और प्रशासनिक खर्चों पर भी दबाव बढ़ेगा। राशि कम होने की स्थिति में राज्य सरकार को अतिरिक्त कर्ज लेना पड़ सकता है। इसका असर भविष्य के बजट पर भी देखने को मिलेगा। जानकारों का कहना है कि जीएसटी कलेक्शन पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करेगा की जीएसटी की दरें लागू होने के बाद चीजों की खपत कितनी बढ़ती है। अधिकारियों का कहना है कि नई दरें लागू होने के बाद मप्र को केंद्र से मिलने वाली हिस्सेदारी में कमी आएगी या वृद्धि होगी, इस बारे में अभी कुछ कहना मुश्किल है। अक्टूबर के बाद इस बारे में कुछ कहा जा सकता है। चूंकि जीएसटी की राशि प्रदेश के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए वित्त और वाणिज्यिक कर विभाग इसका सतत आंकलन करेंगे। बजट संचालक राजीव रंजन मीना का कहना है कि चूंकि अभी जीएसटी की नई दरें लागू भी नहीं हुई हैं, इसलिए राजस्व के कम या ज्यादा होने के बारे में कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

टैक्स कम और राजस्व ज्यादा

आर्थिक विशेषज्ञ और इंडिया इकोनॉमिक एसोसिएशन के मप्र चैप्टर के अध्यक्ष देवेंद्र विश्वकर्मा का कहना है कि वर्ष 2017 में लागू जीएसटी की दरें ज्यादा होने से सरकार को राजस्व कम मिला और खपत कम होने से प्रोडक्शन प्रभावित हुआ। अब सरकार ने टैक्स कम और राजस्व ज्यादा के कॉन्सेप्ट पर जीएसटी की नई दरें तय की हैं। फेस्टिव सीजन में जीएसटी की दरें कम होने से मार्केट में तेजी से बूम आएगा। चीजों की खपत बढ़ेगी, तो उत्पादन बढ़ेगा और उत्पादन बढ़ेगा, तो रोजगार बढ़ेगा। खपत बढ़ने से सरकार को ज्यादा राजस्व मिलेगा। टैक्स चोरी रुकेगी। केंद्र सरकार ने जीएसटी को मिलने वाले राजस्व को लेकर विशेषज्ञों के साथ लंबा विमर्श करके ही नई दरें तय की होंगी, ताकि राजस्व में कमी न आए। फिर भी जीएसटी सुधार से शुरुआती छह महीनों में जीएसटी कलेक्शन पर असर पड़ सकता है। इस वित्त वर्ष की बची अवधि में जीएसटी संग्रह की राशि में कमी आ सकती है, लेकिन अगले वित्तीय वर्ष से उसके सकारात्मक परिणाम दिखने लगेंगे। लोगों के हाथ में अधिक पैसा आएगा और खपत बढ़ने से राजस्व में बढ़ोतरी होगी। केंद्र सरकार मप्र सहित अन्य राज्यों के राजस्व में होने वाली कमी की क्षतिपूर्ति कर उनके नुकसान की भरपाई कर सकती है। जीएसटी दरों में कटौती पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि भारत सरकार ने जीएसटी दरों में बदलाव कर मुक्त हृदय से देश के हर वर्ग को फायदा पहुंचाया है।

सभी अपेक्षित सुधार ही नहीं किए जाएं, बल्कि उन पर अमल की ठोस व्यवस्था भी की जानी चाहिए। यह भी जरूरी है कि आर्थिक सुधारों के मामले में दलगत हितों की संकीर्ण राजनीति को तिलांजलि दी जाए। यह अपेक्षा सबसे अधिक कांग्रेस से है, क्योंकि उसने हर मामले में सस्ती राजनीति करना अपना एजेंडा बना लिया है।

सुधारों को अक्सर इस तरह प्रस्तुत किया जाता है मानो इनसे हर किसी को लाभ पहुंचता है। वास्तविकता में सुधारों के भी दो पहलू होते हैं। इसमें भी किसी को लाभ होता है और किसी को नहीं। सुधार इतना जरूर करते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों और लोगों पर बोझ की दिशा बदल देते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या सुधारों के नाम पर की जाने वाली पहल अर्थव्यवस्था को एक मजबूत, अधिक टिकाऊ विकास पथ पर ले जाती है। हाल में 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी के मोर्चे पर किए गए सुधार इसी गतिशीलता को दर्शाते हैं। इसके जरिये कर संरचना को सरल बनाकर, लोगों पर बोझ घटाकर, उत्पादकों के लिए विसंगतियों को दुरुस्त कर और विवाद समाधान प्रणाली को मजबूत कर परिषद ने जीएसटी को भ्रम और अनुपालन की जटिलता के जाले से बाहर निकालकर विकासोन्मुख ढांचे की ओर नए सिरे से उन्मुख किया है। इन सुधारों का सशक्त पहलू यह है कि इसमें मध्यमवर्गीय उपभोक्ता विजेता के रूप में उभरता दिखता है।

सबसे स्पष्ट परिवर्तन चार स्तरों वाले जीएसटी ढांचे से एक सरल और नागरिक हितैषी प्रणाली की ओर बढ़ना है, जिसमें केवल दो मुख्य स्लैब हैं। मेरिट वस्तुओं के लिए 5 प्रतिशत और मानक स्लैब के रूप में 18 प्रतिशत। जबकि 40 प्रतिशत की विशेष स्लैब केवल विलासिता और हानिकारक वस्तुओं जैसे कि सट्टेबाजी और कैसिनो, बड़े वाहनों और कुछ गैर-अल्कोहोलिक पेय पदार्थों के लिए नियत की गई है। पुराने सिस्टम के तहत शब्दों में छोटा सा अंतर बड़ी विसंगति की वजह बनता रहा है। जैसे क्या पराठा रोटी के समान था? पनीर को छूट और चीज पर टैक्स? ये अस्पष्टताएं वर्गीकरण विवाद, मुकदमेबाजी और प्रशासनिक बैकलाग की स्थिति को निर्मित करती रहीं। इसके चलते तमाम छोटे उद्यमों के लिए अनुपालन के मोर्चे पर अधिक समय, ऊर्जा और संसाधन खर्च करने पड़ते। स्वाभाविक रूप से इसका उत्पादन पर असर पड़ता। अब चार स्लैब वाली व्यवस्था को दो श्रेणियों में सिमेटकर परिषद ने विवादों की गुंजाइश को घटाते हुए कर प्रणाली में अनिश्चितताओं को दूर करते हुए उसे अधिक पूर्वानुमानित बना दिया है। इस सुधार से लोगों को सीधी राहत भी मिलने वाली है। दूध, पनीर और ब्रेड अब जीएसटी से मुक्त हो गए हैं। जबकि साबुन, शैंपू, टूथपेस्ट, साइकिल और रोजमर्रा उपभोग में आने वाली कई वस्तुएं जो पहले 12 या 18 प्रतिशत की श्रेणी में आती थीं, उन पर दर घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है। इससे घरेलू बजट का संतुलन और बेहतर होगा। एसी, टीवी, बाइक से लेकर छोटी कारों समेत कई वस्तुओं पर दर को 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करना भी लाभ पहुंचाने वाला सिद्ध होगा।

जीएसटी सुधार के पीछे मंशा एकदम स्पष्ट है कि लोगों के पास अधिक से अधिक पैसा रहे, जो खर्च होकर आर्थिकी को गति प्रदान करे। जहां निजी उपभोग की जीडीपी में करीब 60 प्रतिशत की हिस्सेदारी है, वहां यह पहल मांग को तात्कालिक रूप से बढ़ाने का काम करेगी। स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च भी इस सुधार से घटेगा। पहली बार जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा को कर मुक्त कर दिया गया है। कई जीवनरक्षक दवाएं भी कर मुक्त हो गई हैं, जबकि स्वास्थ्य परीक्षण से जुड़े उपकरणों पर भी टैक्स घटा दिया गया है। यहां मुद्दा केवल कल्याण का नहीं, बल्कि विकास का भी है। किफायती स्वास्थ्य देखभाल और व्यापक बीमा कवरेज लोगों को चिकित्सा खर्च के झटकों से बचाने का काम करते हैं। इससे अन्य खर्चों के लिए संसाधन बचेंगे। साथ ही, स्वस्थ और अधिक सुरक्षित कार्यबल बनाकर उत्पादकता में सुधार की संभावनाएं भी बढ़ती हैं। इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के जरिये भी उत्पादकता बढ़ाने का प्रयास किया गया है। यह स्थिति तब बनती है जब इनपुट पर तैयार उत्पादों की तुलना में अधिक कर लगता है। यह उद्यमों के लिए अनुपयोगी क्रेडिट जमा करने, तरलता पर दबाव डालने और प्रतिस्पर्धा गंवाने का कारण बनता है। कपड़ा क्षेत्र इस समस्या से बहुत प्रभावित था, जहां मानव निर्मित फाइबर पर 18 प्रतिशत, यार्न पर 12 प्रतिशत और तैयार कपड़े पर 5 प्रतिशत कर था। उर्वरकों को भी ऐसी विसंगतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें कच्चे माल पर 18 प्रतिशत, लेकिन अंतिम उत्पादों पर 5 प्रतिशत कर लागू था। अब इन विसंगतियों को सुधारा गया है।

● विपिन कंधारी

घुसपैठ एक क्षेत्रीय चुनौती ही नहीं बल्कि भारत की राजनीतिक इच्छाशक्ति नीतिगत संकल्प और सामाजिक एकता की एक बुनियादी परीक्षा भी है। इसके लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय प्रतिक्रिया आवश्यक है जो अल्पकालिक राजनीति से ऊपर उठे। यदि यह मुद्दा अनसुलझा रहा तो अस्थिरता की आशंका बढ़ेगी। घुसपैठिए देश की आंतरिक शांति को खतरे में डालने के साथ ही विकास को बाधित कर सकते हैं।

घुसपैठिए लोकतंत्र के लिए भी खतरा

सीमा पार से घुसपैठ भारत की सबसे गंभीर आंतरिक सुरक्षा चिंताओं में से एक बन गई है। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से इस खतरे को रेखांकित करते हुए कहा कि अवैध घुसपैठिए हमारे युवाओं की रोजी-रोटी छीन रहे हैं, हमारी बेटियों और बहनों को निशाना बना रहे हैं और निर्दोष आदिवासियों की वन भूमि पर कब्जा कर रहे हैं। उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों में इन जनसांख्यिकीय बदलावों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने एक उच्चस्तरीय जनसांख्यिकीय सुरक्षा मिशन के गठन की घोषणा भी की है। यह इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए एक दृढ़ प्रयास का संकेत देता है। घुसपैठ अब केवल सीमा-विशेष के स्तर पर ही समस्या नहीं रह गई है। दिल्ली, हैदराबाद, गुरुग्राम और पुणे जैसे प्रमुख शहरों में घुसपैठियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इससे शहरी सेवाओं और व्यवस्था पर दबाव बढ़ रहा है। इसके दूरगामी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिणाम भी सामने आ रहे हैं।

घुसपैठ एक राष्ट्रीय चिंता बन गई है। बांग्लादेश और म्यांमार से आए घुसपैठियों ने असम, बंगाल, त्रिपुरा और पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों की जनसांख्यिकीय संरचना को बदल दिया है। इससे सामाजिक संतुलन बिगड़ा है। इसके चलते भूमि, भाषा और पहचान को लेकर टकराव पैदा हो रहा है। स्थानीय लोगों में धारणा बढ़ रही है कि घुसपैठिए कल्याणकारी योजनाओं और राजनीतिक तुष्टीकरण का लाभ उठा रहे हैं। इस धारणा ने जातीय राष्ट्रवाद और सांप्रदायिक तनाव को जन्म दिया है। कट्टरपंथी समूह ऐसी भावनाओं का फायदा उठाने में तत्पर रहते हैं, जिससे सामाजिक एकता को और खतरा पैदा होता है। इस समस्या को विकराल बनाने में राजनीतिक दल भी कम दोषी नहीं। अधिकांश दलों ने वोट-बैंक के लिए जाली दस्तावेजों के जरिये घुसपैठियों को सरकारी जमीनों खासकर नदियों के निकट और वन क्षेत्रों में बसाने में मदद की है।

अल्पकालिक चुनावी लाभ के लिए इससे राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ दीर्घकालिक समझौता हो जाता है। इससे नागरिकों और राज्य के बीच अविश्वास गहराता है। समय रहते अगर इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया तो यह भारी अशांति का कारण बन सकता है, विशेषकर उन संवेदनशील क्षेत्रों में जहां जनसांख्यिकीय दबाव बढ़ रहा है। इसके तब और विध्वंसक परिणाम सामने आते हैं जब घुसपैठिए कृषि, निर्माण और घरेलू मजदूरी से जुड़े काम में संलग्न हो जाते हैं। इससे बाजार सस्ते मजदूरों से भर जाता है और स्थानीय श्रमिकों के हितों पर चोट पहुंचती है। सुरक्षा के जोखिम अलग बढ़ जाते हैं। कई घुसपैठिए अनौपचारिक या ग्रे इकोनोमी में भी लिप्त होते हैं, जहां वे पशु तस्करी, मादक पदार्थों, जाली मुद्रा और अन्य अवैध गतिविधियों में लिप्त होते हैं। ये गतिविधियां न केवल औपचारिक अर्थव्यवस्था को कमजोर करती हैं, बल्कि संगठित अपराध सिंडिकेट को भी मजबूत बनाती हैं। इनमें से कुछ के आतंकवादियों से संबंध भी होते हैं। स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और कल्याणकारी योजनाओं पर भी घुसपैठिए बोझ बढ़ा रहे हैं। इस बोझ के चलते 2047 तक भारत के एक विकसित राष्ट्र बनने का सपना भी पटरी से उतर सकता है। शत्रु पक्ष की रणनीतियों के कारण भारत की सीमाओं पर समस्याएं बढ़ रही हैं।

फर्जी दस्तावेज बनाने वाले बिचौलिए बेलगाम

बांग्लादेश और भारत की सीमा के करीब फर्जी आधार कार्ड और बाकी भारतीय पहचान-पत्र बनाने वाले बिचौलियों की बात भी लगातार सामने आती रही है। इनसे पता चलता है कि कोई बांग्लादेशी बाद में भारत में दाखिल होता है, बिचौलिए पहले ही उसका फर्जी पहचान-पत्र बनवा लेते हैं। ये सीमा के दोनों ओर मौजूद हैं। ऐसे में अवैध बांग्लादेशियों के लिए घुसपैठ करना आसान हो जाता है। दूसरी ओर, वीजा लेकर भी बड़ी संख्या में बांग्लादेशी आते हैं, लेकिन उनमें कई वापस नहीं लौटते। साल 2023 में करीब 16 लाख बांग्लादेशी वीजा लेकर भारत आए थे। इनमें से कितने वापस गए? और कितने पासपोर्ट फाड़कर गायब हो गए? इसे लेकर पूरे देश में आइडेंटिफिकेशन ड्राइव चलाने की जरूरत है। इसके अलावा, सभी राज्य सरकारों, खास तौर पर बॉर्डर से सटे राज्यों की पुलिस और जिला प्रशासन को घुसपैठियों को पकड़ने और इनके फर्जी पहचान-पत्र बनाने वालों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।

पंजाब में ड्रोन के जरिये ड्रग्स और हथियार से जुड़े आतंकवाद ने जोर पकड़ लिया है। भारत-म्यांमार सीमा पर दुर्गम इलाके उग्रवादियों की आवाजाही और अवैध प्रवेश को बढ़ावा देते हैं। साइबर अपराधियों और मजदूरों के वेश में छिपे गुप्त एजेंट जांच को और जटिल बना देते हैं। बीते दिनों बांग्लादेश-मेघालय सीमा पर पाकिस्तानी आतंकियों की गिरफ्तारी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई द्वारा एक रणनीतिक बदलाव का संकेत देती है, जो अब पूर्वी सीमा पर कमजोरियों का फायदा उठाने के फेर में है।

सुरक्षा बलों की भरसक कोशिशों के बावजूद व्यापक भौगोलिक परिस्थितियां भी प्रवर्तन संबंधी चुनौतियां उत्पन्न कर रही हैं। 2011 में मालदा जिले में पशु तस्करों ने एक हेड कांस्टेबल की हत्या कर दी थी। एक सर्वेक्षण के अनुसार, 500 मीटर क्षेत्र पर अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों ने कब्जा किया हुआ था। इससे सुरक्षा अभियान के समक्ष चुनौतियां पैदा हो गईं। स्थानीय खुफिया नेटवर्क भी प्रभावित हो रहा है। ऐसी वास्तविकताएं यही संकेत करती हैं कि घुसपैठ केवल सीमा उल्लंघन तक ही सीमित नहीं है, यह आंतरिक समन्वय को भी कमजोर कर सकती है। संकट के समय दुश्मन देशों के साथ साठगांठ को बढ़ावा दे सकती है। नवघोषित जनसांख्यिकीय सुरक्षा मिशन एक आवश्यक कदम है। इसे सफल बनाने के लिए इस राह में आने वाली चुनौतियों के प्रति शून्य-सहिष्णुता वाला दृष्टिकोण अपनाना होगा। नकली पहचान पत्र, दस्तावेज वालों पर कानूनी शिकंजा कसना होगा। उन्नत सीमा बाड़, निगरानी तकनीकें और नागरिक सत्यापन प्रणालियां भी जरूरी होंगी। कौटिल्य ने यथार्थ ही लिखा है, सीमाओं पर स्थित प्रदेशों में विश्वसनीय लोगों और सैनिकों से आबाद किलेबंद नगर स्थापित करने चाहिए। विदेशियों को सीमावर्ती प्रदेशों में बसने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यह सलाह आज भी प्रासंगिक है। राष्ट्र की संप्रभुता जनसांख्यिकीय अखंडता पर भी निर्भर करती है।

घुसपैठ एक क्षेत्रीय चुनौती ही नहीं, बल्कि भारत की राजनीतिक इच्छाशक्ति, नीतिगत संकल्प और सामाजिक एकता की एक बुनियादी परीक्षा भी है। इसके लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय प्रतिक्रिया आवश्यक है, जो अल्पकालिक राजनीति से ऊपर उठे। यदि यह मुद्दा अनसुलझा रहा तो अस्थिरता की आशंका बढ़ेगी। घुसपैठिए देश की आंतरिक शांति को खतरे में डालने के साथ ही विकास को बाधित कर सकते हैं। एक दिन ऐसा आ सकता है जब अनियंत्रित घुसपैठ देश के लोकतांत्रिक ताने-बाने और संप्रभुता के लिए गंभीर खतरा बन जाए। यह न भूला जाए कि जो राज्य अपनी सीमाओं की उपेक्षा करता है, वह अव्यवस्था को आमंत्रित करता है। अब समय आ गया है कि भारत अपने भविष्य की रक्षा के लिए निर्णायक कदम उठाए।

भारत में एनएच-44 की लंबाई श्रीनगर से कन्याकुमारी तक 4,110 किलोमीटर है। करीब इतना लंबा ही है भारत-बांग्लादेश का 4,096 किलोमीटर लंबा बॉर्डर। भारत-बांग्लादेश बॉर्डर जंगल, पहाड़ और नदियों के बीच से गुजरता है। बॉर्डर से अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों का आना भारत के लिए सीमा पर सबसे गंभीर समस्या है।

खतरे में जनजाति समाज व मातृभाषा

झारखंड आबादी के असंतुलन के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। बिहार, झारखंड और ओडिशा 1912 तक बंगाल प्रांत में ही शामिल थे। पहले बंगाल से बिहार, फिर बिहार से ओडिशा अलग होकर प्रांत बना। चूंकि झारखंड में जनजाति की संख्या प्रभावी थी, अतः एक अलग प्रांत बनाने की मांग हो रही थी। इस मांग को लेकर लंबा आंदोलन चला और अंततः वर्ष 2000 में वाजपेयी सरकार ने झारखंड को एक अलग राज्य बनाकर वर्षों पुरानी मांग को पूरा किया। झारखंड समृद्ध खनिज भंडार वाला एक राज्य है। खनिज उत्पादन के मामले में यह तीसरे स्थान पर है। जमशेदपुर, बोकारो और रांची देश में बड़े औद्योगिक केंद्र के रूप में जाने जाते हैं। स्वाभाविक है कि झारखंड जब बिहार से अलग हुआ तो लालू प्रसाद यादव इसके पक्ष में नहीं थे। आदिवासी अस्मिता के नाम पर अस्तित्व में आए इस राज्य के समक्ष अब एक नए संकट ने दस्तक दी है और वह है बढ़ती घुसपैठ। यदि यह सिलसिला कायम रहा तो मूल निवासी आदिवासी समाज हाशिए पर जाता रहेगा।

ये अवैध प्रवासी भारत की अर्थव्यवस्था, राजनीति, समाज और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन रहे हैं। ये बॉर्डर के इलाकों में तो बस ही चुके हैं, बल्कि उत्तर-पूर्वी राज्यों के अलावा, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु समेत देश के लगभग हर राज्य तक पहुंच चुके हैं। ऐसे लोगों का सिलीगुड़ी कॉरिडोर में बसना देश की सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है। खासतौर पर जब चीन, पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश की नजदीकियां बढ़ रही हैं, जहां शेख हसीना को हटाए जाने के बाद कट्टरपंथियों के हौंसले बढ़े हैं।

2003-04 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, बांग्लादेशी घुसपैठिए देश में 25 लोकसभा सीटों और 120 विधानसभा सीटों पर प्रभावी भूमिका में हैं। रिपोर्ट में बताया गया था कि 2003 तक दिल्ली में 6 लाख बांग्लादेशी घुसपैठिए भारतीय पहचान पत्र हासिल कर चुके थे। लगभग यही स्थिति देश के कई अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में हो सकती है। अनुमान है कि अभी 3-5 करोड़ अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में रह रहे हैं। इनमें से कुछ गलत गतिविधियों में सक्रिय हो सकते हैं। साथ ही, यह भी देखा गया है कि कट्टरपंथियों के सत्ता में आने पर बांग्लादेश से अतीत में घुसपैठ बढ़ी है। 2001 में कट्टरपंथी जमात-ए-इस्लामी जैसे दलों के सहयोग से बीएनपी सत्ता में आई, तो भारत में घुसपैठ और आतंकवादी गतिविधियां बढ़ गई थीं। उस वक्त बांग्लादेश में आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप तेजी से बढ़ने लगे थे। भारत-बांग्लादेश बॉर्डर पर पकड़े गए उग्रवादियों ने पूछताछ के दौरान, ईस्टर्न बॉर्डर के करीब इन कैंपों में कई बड़े आतंकवादी समूहों की मौजूदगी की पुष्टि भी हुई थी। 11 सितंबर, 2001 के बाद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने बांग्लादेश में आतंकी गतिविधियां और तेज कर दी थीं। 2002 में कोलकाता में कई आईएसआई एजेंटों की गिरफ्तारी हुई थी, जो बांग्लादेश बॉर्डर पार कर भारत आए थे। तब भारत के तत्कालीन विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा ने संसद में कहा था, ढाका में पाकिस्तानी हाईकमीशन, आईएसआई का नर्व सेंटर है, जो भारत के खिलाफ आंतकी गतिविधियों में लिप्त है। उन्होंने यह भी बताया था कि कई उग्रवादी संगठनों ने बांग्लादेश में ट्रेनिंग कैंप बना लिए हैं और बॉर्डर के करीब बड़ी संख्या में मदरसे भी बने हैं।

● इन्द्र कुमार

सलवा जुडूमः नक्सलवाद के विरुद्ध रणनीति

छत्तीसगढ़ की गोंडी भाषा में सलवा जुडूम का अर्थ है शांति मार्च। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को एक नया राज्य बना। नया राज्य बनते ही यहां वर्ष 2001 से 2005 तक नक्सली हिंसा चरम पर थी। नया राज्य बना लेकिन सुरक्षा से जुड़ी नई चुनौतियां आ गईं। बस्तर क्षेत्र में सबसे ज्यादा हिंसा हुई। इस क्षेत्र में बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर और सुकमा जिले शामिल हैं। डॉ. रमन सिंह दिसंबर 2003 में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने, जिससे राज्य में पहली भाजपा सरकार की शुरुआत हुई। वह दिसंबर 2018 तक लगातार तीन बार मुख्यमंत्री बने रहे। मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान, शुरुआती दौर में बड़े पैमाने पर नक्सलियों ने उपद्रव मचाया। नए राज्य में राज्य पुलिस के पास पर्याप्त संसाधन नहीं थे और नक्सलियों ने बस्तर क्षेत्र के अधिकांश हिस्से पर लगभग अपना नियंत्रण कर लिया। इसका अर्थ है कि राज्य और जिला प्रशासन का हुक्म यहां नहीं चलता था। इन क्षेत्रों को नक्सलियों द्वारा शासित किया जाता था।

सलवा जुडूम का गठन छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2005 में नक्सलियों से निपटने के लिए स्थानीय बल के रूप में किया गया था। भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों का मुकाबला करने के लिए, राज्य पुलिस को स्थानीय लोगों की आवश्यकता थी जो इस क्षेत्र को अच्छी तरह से जानते थे। अनिवार्य रूप से, सलवा जुडूम को मिट्टी के एक पुत्र की अवधारणा से प्रभावित एक मिलिशिया बल के रूप में स्थापित किया गया जो नक्सलियों के खिलाफ पुलिस और अर्धसैनिक अभियानों का पूरक था। लेफ्टिनेंट जनरल एमके दास, पीवीएसएम, बार-टू-एसएम, वीएसएम (सेवानिवृत) कहते हैं कि सलवा जुडूम के तहत बस्तर क्षेत्र के वनवासी युवाओं को विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। एसपीओ को हथियारों का प्रशिक्षण दिया गया था और वे पुरानी राइफलों से लैस थे। धीरे-धीरे और लगातार एसपीओ छत्तीसगढ़ में सक्रिय सुरक्षा बलों के लिए उपयोगी साबित हुए। अपने चरम पर, छत्तीसगढ़ में एसपीओ की कुल संख्या 4000 कर्मियों से ऊपर थी।

एसपीओ की अवधारणा भारत में नई नहीं है। एसपीओ लंबे समय से जम्मू-कश्मीर में कार्यरत हैं और आज भी जम्मू-कश्मीर पुलिस की रीढ़ माने जाते हैं। स्थानीय लोगों के अलावा, बड़ी संख्या में स्थानीय पूर्व सैनिकों को जम्मू-कश्मीर में एसपीओ के रूप में नियुक्त किया गया है। एमके दास कहते हैं कि अपने सैन्य करियर के दौरान मैंने असम और मणिपुर में भी एसपीओ की नियुक्ति देखी। मैंने पाया कि एसपीओ बेहतर आसूचना और स्थानीय जनता के साथ घुलने-मिलने की क्षमता के साथ स्थानीय पुलिस की मदद करने में ज्यादा सक्षम थे। एसपीओ सुरक्षा बलों के लिए उपयोगी तो साबित हुए, लेकिन आलोचकों ने अक्सर एसपीओ द्वारा कथित मानवाधिकारों के उल्लंघन के बारे में चिंता जताई। कई मानवाधिकार संगठनों ने उन्हें राज्य प्रायोजित भाड़े के सैनिक कहा। अपने सैन्य करियर के दौरान, मैंने कई सशस्त्र संघर्ष देखे जहां आश्चर्यजनक रूप से सशस्त्र आतंकवादियों के मानवाधिकारों को उठाया जाता था। आम जनता और सुरक्षा बलों के मानवधिकारों की बात कम ही होती थी। इन राज्यों में सुरक्षा की स्थिति चिंताजनक थी और सुरक्षा बलों के हाथ में एक कठिन चुनौती थी। चूंकि आतंकवादियों द्वारा मुठभेड़ के दौरान आम जनता को ढाल के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, इसलिए सुरक्षा बलों को न्यूनतम बल का उपयोग करने के लिए विवश होना पड़ता था। हमने यह भी देखा कि आतंकवादी सुरक्षा बलों को मुखबिर होने के संदेह में किसी भी व्यक्ति को मार डालते हैं। निर्दोष होने पर भी कई बार इस तरह की हत्याओं के लिए एसपीओ को जिम्मेदार ठहराया गया। लेकिन विशेष पुलिस अधिकारियों सहित सुरक्षा बल मानवाधिकारों के प्रति अधिक सचेत हैं। 2000 से 2015 के अंतराल में, मानवाधिकार संगठनों ने भारत में बुद्धिजीवियों को बहुत प्रभावित किया। ये संगठन जनमत को पलटने में सक्षम थे। लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत) एमके दास कहते हैं कि मैंने वर्ष 2008 में छत्तीसगढ़ राज्य का दौरा किया जब हमें राज्य में एसपीओ के कार्यकरण के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी मिली। स्थानीय पुलिस और अर्धसैनिक अधिकारियों के साथ बातचीत से संकेत मिला कि वे एसपीओ के प्रदर्शन से खुश हैं। स्थानीय प्रशासन ने एसपीओ द्वारा शक्ति के किसी भी दुरुपयोग को रोकने के लिए कदम भी उठाए थे।

व्यक्तिगत रूप से मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जुलाई 2011 में एसपीओ पर प्रतिबंध लगा दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने सलवा जुडूम को भंग कर दिया और छत्तीसगढ़ सरकार से एसपीओ को दिए गए सभी हथियार और गोला-बारूद वापस लेने को कहा। एसपीओ पर इस तरह का प्रतिबंध केवल छत्तीसगढ़ राज्य पर लागू हुआ था और अन्य राज्यों पर यह लागू नहीं था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सलवा जुडूम के विघटन ने नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाला।

● रायपुर से टीपी सिंह

प्रधानमंत्री मोदी ने नक्सलवाद को माना गंभीर खतरा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नक्सलवाद को 2014 के बाद से देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरा माना। वर्ष 2019 से गृहमंत्री अमित शाह ने भारत से नक्सलवाद के खतरे को समाप्त करने पर विशेष ध्यान दिया है। पिछले दो सालों में नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है, जिसका मकसद है कि पिछले 60 साल से जारी हिंसा को साल 2026 तक खत्म किया जाए। इस संदर्भ में, यह कल्पना करना कठिन नहीं है कि यदि देश के सभी अंग एकजुट होकर कार्य करते तो नक्सलवाद के विरुद्ध भारत की लड़ाई इस खतरे को बहुत पहले समाप्त कर सकती थी। नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई ग्रे जोन वारफेयर के समान है, जहां ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ भी नहीं है। हां, देरी तो हुई है लेकिन अब हम भारतीयों को नक्सलियों के खिलाफ और अपने योद्धाओं के समर्थन में एकजुट होना चाहिए।

मराठा आरक्षण पर सियासत

महाराष्ट्र में आरक्षण को लेकर सियासत फिर से तेज होती जा रही है। मराठाओं की मांग माने जाने के बाद अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग नाराज हो गए हैं। मराठा आरक्षण पर राज्य सरकार के जीआर के खिलाफ ओबीसी समाज आक्रामक हो गया है और कई जिलों में प्रदर्शन भी किया गया है। देवेंद्र फडणवीस सरकार की ओर से मराठा आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पाटील की मांग मानकर जारी किए गए शासनादेश (जीआर) के विरोध में राज्यभर में ओबीसी समाज आक्रामक दिख रहा है। ओबीसी समाज का आरोप है कि सरकार मराठा समुदाय को ओबीसी श्रेणी में शामिल करने की कोशिश कर रही है, जिससे उनके आरक्षण हक पर संकट आ सकता है।

महाराष्ट्र के जालना जिले में ओबीसी समाज के कार्यकर्ताओं ने सरकार द्वारा जारी किए गए जीआर को फाड़कर पांव तले रौंद दिया और शासन के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इसी तरह इगतपुरी तालुका में समता परिषद, बारा बलुतेदार संघ और सकल ओबीसी बांधवों की ओर से तहसीलदार को जीआर को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। इसके जरिए यह स्पष्ट किया गया है कि बहुसंख्यक मराठा समाज को ओबीसी आरक्षण न देकर स्वतंत्र रूप से आरक्षण दिया जाए। साथ ही ओबीसी समाज ने यह चेतावनी भी दी है कि यदि आरक्षण में घुसपैठ नहीं रोकी गई तो राज्य में तीव्र आंदोलन छेड़ा जाएगा। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने कहा कि ओबीसी आरक्षण सामाजिक न्याय की लड़ाई का परिणाम है और इसमें किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं होगा। गोंदिया जिले में ओबीसी संगठनों ने सरकार द्वारा जारी जीआर की प्रतियां जलाई गईं। जिलाधिकारी कार्यालय के सामने जीआर की होली कर ओबीसी समाज ने शासन को अपना विरोध जताया। बीड में भी समता परिषद और ओबीसी संगठनों ने जीआर की प्रतियां जलाई गईं। ओबीसी समाज ने हैदराबाद गजट लागू करने के फैसले को रद्द करने की मांग की। जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में जमकर नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ताओं ने जीआर की होली कर विरोध जताया। ओबीसी समाज का कहना है कि सरकार मराठा समाज को ओबीसी वर्ग में शामिल करके अन्याय कर रही है। उन्होंने साफ कहा कि आरक्षण हक पर किसी भी प्रकार का आघात बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन कर रहे मनोज जरांगे ने आमरण अनशन खत्म कर दिया है। मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने जूस पिलाकर उनका अनशन तोड़ा। जरांगे 29 अगस्त से अनशन कर रहे थे। सरकार के साथ बैठक के बाद जरांगे ने अपना अनशन तोड़ा। उनकी मांगें भी मान ली गई हैं। जरांगे पाटिल ने सरकार द्वारा दिए गए जीआर को स्वीकार कर लिया है। इससे पहले हाईकोर्ट ने आजाद मैदान को खाली करने का आदेश दिया था। वहीं, इस बीच सरकार ने उनकी सात में पांच डिमांड मंजूर कर ली है। दो डिमांड अधूरी है। जरांगे के आमरण अनशन के पांचवे दिन पुलिस जब आजाद मैदान खाली कराने पहुंची तो जरांगे के समर्थकों और पुलिस में बहस छिड़ गई। इसके बाद जरांगे ने अपना अनशन खत्म कर दिया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद महाराष्ट्र सरकार का डेलिगेशन भी जरांगे से मिलने आजाद मैदान पहुंचा था। महाराष्ट्र सरकार के चार मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल, शिवेंद्र राजे भोंसले, जय कुमार गोरे और माणिकराव कोकाटे जरांगे से मिलने आजाद मैदान पहुंचे थे। चारों मंत्रियों ने जरांगे पाटिल को आरक्षण को लेकर समिति से चर्चा की सारी जानकारी दी। इसके बाद मनोज जरांगे ने मंत्रियों की उपस्थिति में अपने समर्थकों से कहा कि हम जीत गए हैं। मनोज जरांगे ने महाराष्ट्र सरकार को मराठा समुदाय को कुनबी का एक हिस्सा बताने वाला सरकारी आदेश (जीआर) जारी करने के लिए दो महीने का अल्टीमेटम दिया। जरांगे ने आगे कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने मराठा आरक्षण आंदोलन के प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेने का वादा किया है। जरांगे पाटिल ने कहा कि 58 लाख मराठा समाज को जो कुनबी का सर्टिफिकेट मिला है उसकी जानकारी ग्राम पंचायत को दी जाए। जरांगे ने कहा कि जिन आंदोनकारियों पर केस दर्ज हुए, उनके केस वापस लिए जाएंगे। ऐसा भी मंत्रियों के समूह ने हमें आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि मराठा आंदोलन के दौरान में जिनकी मौत हुई, उनके परिवार को आर्थिक मदद 1 सप्ताह में मिलेगी। सरकार की तरफ से नौकरी भी दी जाएगी।

इस दौरान राधाकृष्ण विखे पाटिल ने कहा कि हैदराबाद गेजेटियर को मराठा आरक्षण के लिए लागू किया जाएगा। मेरा कहना है कि इसे कानूनी तौर पर मान्यता दी जाए। जरांगे पाटिल ने कहा कि मंत्री शिवेंद्र सिंह राजे ने सतारा गेजेटियर को लागू करने के लिए 15 दिन का समय मांगा है, मैं 1 महीना देता हूं। कोर्ट के सामने जो तथ्य आए हैं उसके मुताबिक जो ऑर्गनाइजर है, वही पांच हजार से ज्यादा लोगों को मुंबई लाने के लिए जिम्मेदार है। कैबिनेट मंत्री शिवेंद्र राजे भोंसले ने मनोज जरांगे पाटिल से कहा कि सतारा गैजेट लागू होगा ये मेरा वादा है।

● **बिन्दु माथुर**

मराठा आरक्षण पर सरकार के फैसले से भुजबल नाराज

मराठा आरक्षण का विरोध करने वाले महाराष्ट्र सरकार में मंत्री छगन भुजबल की नाराजगी बढ़ गई है। ओबीसी नेता भुजबल ने गत दिनों कैबिनेट बैठक बीच में छोड़ दी। बता दें कि मराठा आरक्षण पर महाराष्ट्र सरकार ने पात्र मराठों को कुनबी जाति प्रमाण पत्र देने की मांग को स्वीकार कर लिया है। जबकि भुजबल ओबीसी कोटे में मराठों को आरक्षण दिए जाने का विरोध करते रहे हैं। छगन भुजबल ने ओबीसी नेताओं की आपात बैठक बुलाई है, जो बांद्रा स्थित उनके दफ्तर में होगी। उधर, ओबीसी समाज की नाराजगी दूर करने के लिए सरकार ने समिति गठित की है। सरकार के कदम को मनोज जरांगे ने अपनी जीत बताया। उन्होंने अपना अनशन समाप्त कर दिया है। सरकार के इस फैसले से भुजबल नाराज बताए जा रहे हैं। भुजबल ओबीसी कोटे में मराठों को आरक्षण दिए जाने का विरोध करते रहे हैं। नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने कहा, मैं और मेरी टीम प्रस्ताव का गहन पड़ताल कर रही है और कानूनी विशेषज्ञों से भी विचार-विमर्श कर रहे हैं।

लौटेगा राजे का राजयोग?

संगठन और सरकार दोनों का अनुभव

राजस्थान में भाजपा में जातिगत संतुलन वाला फॉर्मूला वसुंधरा राजे की ही देन रही। उन्होंने खुद को राजपूतों की बेटी, जाटों की बहू और गुर्जरों की समधन बताया। उनके पास संगठन और सरकार चलाने का अनुभव रहा है। उन्होंने 14 नवंबर 2002 से 14 दिसंबर 2003 तथा 2 फरवरी 2013 से 12 फरवरी 2014 तक बतौर प्रदेशाध्यक्ष राजस्थान भाजपा का संगठन चलाया। वहीं दो बार राजस्थान की मुख्यमंत्री व दो बार केंद्र में मंत्री भी रहीं हैं। भाजपा के राष्ट्रीय संगठन में आज तक कोई महिला अध्यक्ष नहीं बनी है। साल 2023 में भाजपा ने संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम (महिला आरक्षण विधेयक) को पारित कराकर महिला मतदाताओं को साधने की कोशिश भी की थी। वसुंधरा राजे निर्विवाद रूप से भाजपा की महिला ब्रिगेड की सबसे कद्दावर नेता हैं।

राजस्थान भाजपा की सियासत इस वक्त ठहरे हुए पानी जैसी लग रही है, लेकिन भीतर बहुत कुछ खदबदा रहा है। कई किरदार सियासत के रंगमंच पर अपनी भूमिका के इंतजार में हैं। लेकिन, नजर एक ही चेहरे पर टिकी है, वह चेहरा है वसुंधरा राजे का। दरअसल, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे एक बार फिर से भाजपा और संघ की सक्रिय राजनीति के केंद्र में आती दिख रही हैं। गत दिनों जोधपुर प्रवास के दौरान राजे ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख डॉ. मोहन भागवत से मुलाकात की, जो करीब 20 मिनट तक चली। इस मुलाकात की चर्चा इसलिए हो रही है, क्योंकि करीब एक सप्ताह पहले धौलपुर में एक धार्मिक मंच से वसुंधरा राजे ने बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था- जीवन में हर किसी का वनवास होता है, लेकिन वह स्थायी नहीं होता। वनवास आएगा तो जाएगा भी। वहीं, पिछले महीने वसुंधरा राजे ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद में मुलाकात कर हाईकमान से अपने बदलते रिश्तों के संकेत भी दिए थे।

राजनीतिक जानकारों का कहना है कि भाजपा में इन दिनों राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर कई चेहरों के नाम चल रहे हैं। भाजपा जिस तरह पिछली बार संसद में महिला आरक्षण का विधेयक लाई थी उसे देखते हुए पार्टी को अहम पदों पर मजबूत महिला नेत्रियों की जरूरत भी होगी। हालांकि, संघ प्रमुख सार्वजनिक मंच से हाल में यह बयान दे चुके हैं कि आरएसएस भाजपा के मामलों में दखल नहीं देती। उन्होंने हाल में बयान दिया था- आरएसएस कुछ नहीं तय करता। हम सलाह दे सकते हैं, लेकिन वो सरकार चलाने में एक्सपर्ट हैं और हम अपने काम में एक्सपर्ट हैं। आपको क्या लगता है कि यदि हम तय करते तो इतनी देर होती क्या? हालांकि, राजनीति के जानकार कहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का मसला सिर्फ भाजपा को ही तय करना होता... तो अब तक तय हो चुका होता। कहीं न कहीं संघ का वीटो जरूर होता है। इसलिए इस अहम पद पर किसकी तैनाती होगी, इसका रास्ता नागपुर से होकर निकलता है। वसुंधरा की यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब भाजपा में नेतृत्व को लेकर भीतरखाने कई चर्चाएं चल रही हैं और संघ की भूमिका फिर से महत्वपूर्ण हो रही है। सूत्रों की मानें तो भाजपा के भीतर एक वर्ग लगातार यह चाहता रहा है कि राजे को एक बार फिर से राजस्थान की राजनीति में नेतृत्व की भूमिका दी जाए। वसुंधरा राजे के साथ उनके खेमे के विधायक और सांसद भी भीतर से उम्मीद लगाए बैठे हैं।

राजनीतिक विश्लेषक मनीष गोधा का मानना है कि वसुंधरा राजे और मोहन भागवत की मुलाकात महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा- वसुंधरा राजे को उन्होंने समय दिया तो निश्चित रूप से कोई अहम विषय रहा होगा। जब तक परिणाम नहीं आते तब तक सिर्फ कयास लगाए जा सकते हैं क्योंकि दोनों के बीच वन-टू-वन मुलाकात हुई है। लेकिन भाजपा में इन दिनों जो घटनाक्रम चल रहे हैं। उससे इसे जोड़ा जा सकता है। इसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव और उसमें प्रमुख दावेदार के तौर पर वसुंधरा राजे के नाम की चर्चा है। अब सवाल यह है कि यह मुलाकात क्या उस संदर्भ में थी? जहां तक राजस्थान की बात है मुझे नहीं लगता कि भागवत लोकल राजनीति में किसी तरह का इंटरेस्ट लेंगे। इसलिए यह मुलाकात राष्ट्रीय मुद्दे पर ही होना लग रहा है। हां, इस मुलाकात की चर्चा इसलिए ज्यादा है क्योंकि पिछले दिनों वनवास वापसी को लेकर जिस तरह से राजे ने बयान दिए उसके कई तरह के निहितार्थ निकाले जा सकते हैं। मुलाकात निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। राजनीतिक विश्लेषक त्रिभुवन पूरे घटनाक्रम पर बेहद सटीक बात करते हैं। उनका कहना है कि हाईकमान मजबूत होता है, तो स्टेट लीडरशिप के साथ उनके रिश्ते बदल जाते हैं। जैसे आप देखेंगे कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, उसमें हाईकमान और स्टेट लीडरशिप के रिश्तों में स्टेट लीडरशिप भारी पड़ती थी। इसलिए कांग्रेस हाईकमान चाहकर भी वह काम नहीं करवा पाई जो वह करवाना चाहती थी। भाजपा में भी अतीत में यही स्थिति थी लेकिन भाजपा की सेंट्रल लीडरशिप बहुत ज्यादा मजबूत है। उन्होंने शायद यह समझा कि राजे का राजस्थान में काम करना शायद उतना सरल नहीं है। इसलिए उन्होंने बाकी राज्यों की तरह यहां भी लीडरशिप को चेंज किया ताकि वे अपने तरीके से काम कर सकें। यह तरीका अच्छा है या खराब है वो अलग बात है।

इस सूरत में वसुंधरा राजे को लेकर लग रहा है कि वे थोड़ा उपेक्षित की गई हैं लेकिन उन्होंने कहीं न तो फ्रस्ट्रेशन जाहिर किया, और न कभी गुस्सा दिखाया। वसुंधरा राजे का स्वभाव इससे विपरीत प्रचारित किया जाता था, उन्होंने उस स्वभाव के बिल्कुल प्रतिकूल व्यवहार दिखाया है। वे बिना कोई गुस्सा या नाराजगी दिखाए, अपने आपको उपस्थित रखे हुए हैं। इस सूरत में मुझे लगता है कि उन्होंने बेहद शालीनता और गरिमा के साथ पूरा विषपान करके अपने आपको धैर्यवान रखा है। हर राजनेता सोचता है कि उनकी भूमिका होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार महिला आरक्षण विधेयक लाई है ऐसे में पार्टी को बेहद ताकतवर महिलाओं की जरूरत भी पड़ेगी। मुझे लगता है कि वसुंधरा राजे भाजपा के बड़े एसेट्स में हैं। हो सकता है कि वे खुद भी प्रयास कर रही हैं कि उनकी भूमिका निर्णायक रहे। हम जानते हैं कि संघ की लोगों की भूमिका तय करने में मुख्य भागीदार रहती है। ऐसे में मोहन भागवत के साथ उनकी मुलाकात एक निर्णायक बात हो सकती है।

● जयपुर से आर.के. बिन्नानी

लौटा 2012 वाला सपा का ड्रामा

उप्र की राजनीति इन दिनों विवादों में उलझी हुई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार योगी सरकार पर हमला बोल रहे हैं, तो दूसरी ओर उनके चाचा शिवपाल यादव के एक पुराने खुलासे ने राजनीतिक हलचल और बढ़ा दी है। शिवपाल ने एक इंटरव्यू में बताया कि 2012 में वे सीधे तौर पर भाजपा नेता अमित शाह के संपर्क में थे, लेकिन उनका प्रस्ताव उन्हें मंजूर नहीं था। साथ ही, उन्होंने यह भी बताया कि जब सपा 2012 में सत्ता में आई थी, तब सैफई में मुख्यमंत्री चुनने को लेकर किस तरह का नाटकीय माहौल बना था। शिवपाल यादव ने खुलासा किया कि 2012 में वे सीधे तौर पर अमित शाह के संपर्क में थे। शाह ने उन्हें दिल्ली बुलाया भी था और मंत्री पद का प्रस्ताव दिया था। लेकिन शिवपाल के मुताबिक, मैं पहले से मंत्री रह चुका था, मुझे वह प्रस्ताव मंजूर नहीं था। इसलिए मैं दिल्ली नहीं गया। इस बयान के सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं कि अगर शिवपाल ने तब भाजपा का प्रस्ताव मान लिया होता तो उप्र की राजनीति की तस्वीर आज बिल्कुल अलग होती।

2012 में सपा को पूर्ण बहुमत मिला। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल था कि उप्र का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? शिवपाल यादव ने याद करते हुए बताया कि होली पर सैफई में पूरा परिवार और मीडिया जुटा हुआ था। उस समय एक कमरे में मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच चर्चा हुई। शिवपाल ने मुलायम सिंह से कहा था, आप कम से कम एक साल मुख्यमंत्री रह लीजिए, उसके बाद अखिलेश को बना दीजिएगा। लेकिन रामगोपाल यादव और अखिलेश यादव ने दबाव बनाया और मुलायम सिंह ने अंततः अखिलेश यादव के नाम पर हामी भर दी। 2012 का चुनाव सपा के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ। पार्टी को 224 सीटों के साथ बहुमत मिला। परिवार और पार्टी में चली खींचतान के बाद अंततः अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी गई। उस समय अखिलेश सिर्फ 38 साल के थे और वे उप्र के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने। यह फैसला उस दौर में सपा की छवि बदलने का टर्निंग प्वाइंट माना गया, लेकिन परिवार के भीतर दरार की शुरुआत भी इसी से हुई।

अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद शिवपाल और उनके बीच खटास शुरू हो गई। सत्ता में रहते हुए कई फैसलों को लेकर दोनों में टकराव हुआ। शिवपाल का कहना है कि उन्होंने कभी भी मुलायम सिंह यादव के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला और हमेशा उनका सम्मान किया। हालांकि, अखिलेश के रवैये से आहत होकर शिवपाल ने धीरे-धीरे दूरी बना ली और 2018 में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी (लोहिया) का गठन कर दिया। शिवपाल यादव का दावा है कि उन्होंने प्रसपा नेताजी (मुलायम सिंह यादव) की सलाह पर बनाई थी। मुलायम ने कोशिश की थी कि अखिलेश और शिवपाल एक मंच पर आ जाएं, लेकिन अखिलेश ने न तो फोन उठाया और न ही मुलाकात की। इसके बाद नेताजी ने शिवपाल को अलग पार्टी बनाने की सलाह दी। 2018 में प्रसपा की नींव रखी गई, लेकिन धीरे-धीरे राजनीतिक परिस्थितियों ने दोनों को फिर करीब ला दिया। लंबे समय तक अलग राजनीति करने के बाद आखिरकार दिसंबर 2022 में शिवपाल यादव ने अपनी पार्टी का सपा में विलय कर दिया। इसके बाद चाचा-भतीजे के बीच की दूरियां कुछ कम हुईं। आज शिवपाल यादव सपा में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं और अखिलेश यादव को समर्थन देते दिखते हैं। इस समय जब अखिलेश यादव टोंटी चोरी मुद्दे को लेकर योगी सरकार पर हमलावर हैं, उसी बीच शिवपाल यादव का यह खुलासा राजनीति में नया रंग घोल रहा है। भाजपा और सपा दोनों खेमों में इस बयान पर चर्चा तेज है। एक ओर यह परिवारिक राजनीति की परतें खोलता है, तो दूसरी ओर दिखाता है कि उप्र की सियासत में समीकरण कितनी तेजी से बदलते हैं।

अखिलेश यादव, जिन्हें प्यार से टीपू भी कहा जाता है। अखिलेश ने अपने पिता मुलायम सिंह यादव की विरासत को संभाला और उसे आधुनिकता का नया रंग देने की कोशिश की। टेक्नोक्रेट बनने का सपना देखने वाले इस युवा नेता को 2000 में परिस्थितियों ने सियासत के मैदान में उतारा और तब से उन्होंने युवाओं की उम्मीदों को आवाज दी। ऐसा कहा जाता है कि अखिलेश यादव सियासत में नहीं आना चाहते थे लेकिन अखिलेश के सामने परिस्थितियां कुछ ऐसी बनीं कि पिता मुलायम सिंह यादव ने उन्हें साल 2000 में समाजवाद की कठिन सियासी डगर पर उतार दिया। ना चाहते हुए भी अखिलेश यादव को पिता की बात मानकर राजनीति के मैदान में उतरना पड़ा।

● **लखनऊ से मधु आलोक निगम**

2017 का विधानसभा चुनाव और मतभेद

अखिलेश ने अपनी युवा छवि और विकास-केंद्रित नीतियों के दम पर पार्टी को नई ऊर्जा दी। जैसे-जैसे 2017 का विधानसभा चुनाव नजदीक आया तो पार्टी के भीतर पुरानी और नई पीढ़ी के बीच मतभेद उभरने लगे। अखिलेश ने भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे खनन मंत्री गायत्री प्रजापति को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया था। यह कदम उनकी स्वच्छ छवि को मजबूत करने की कोशिश थी, लेकिन यह मुलायम और शिवपाल के करीबी माने जाने वाले नेताओं के खिलाफ था। इससे परिवार में तनाव बढ़ा। लोग बताते हैं कि 2017 की जनवरी आते-आते सपा में दो गुट बन गए, जिसमें एक अखिलेश का और दूसरा मुलायम-शिवपाल का गुट था। दोनों गुटों ने पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल पर दावा किया। आखिर में चुनाव आयोग ने अखिलेश गुट को साइकिल चिन्ह और आधिकारिक पार्टी की मान्यता दी और वह बाद में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए।

सत्ता के लिए कुछ भी कहेंगे

बिहार के दरभंगा में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणी ने नेताओं के भाषा विवाद को नैतिकता के निचले पायदान पर पहुंचा दिया है। सत्ता पाने के लिए राजनीति में भाषा निम्न स्तर तक पहुंच गई है। आश्चर्य यह है कि ऐसा करने वाले नेताओं में कोई शर्म-लिहाज नहीं बची है। विकास, भ्रष्टाचार और देश की एकता-अखंडता जैसे मुद्दों पर वोट बैंक बटोरने के लक्ष्य की तुलना में नेताओं को स्तरहीन भाषा का प्रयोग करना सत्ता पाने के लिए ज्यादा आसान लगता है। चुनाव समीप आते ही नेताओं की जुबान बेलगाम हो जाती है। बिहार विधानसभा चुनाव समीप हैं। ऐसे में प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक दल किसी भी सूरत में सत्ता पाना चाहते हैं, बेशक इसके लिए भाषा की मर्यादा को ही तार-तार क्यों न करना पड़े।

बिहार के दरभंगा में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणी ने नेताओं के भाषा विवाद को नैतिकता के निचले पायदान पर पहुंचा दिया है। अफसोसजनक यह है कि राजनीतिक दलों के मुखिया ऐसी हरकतें करने के लिए माफी तक नहीं मांगते। इसके विपरीत दूसरे नेताओं ने कब-कब इस तरह की अमर्यादित और अपमानित करने वाली भाषा का इस्तेमाल किया, इसका बेशर्मी से उदहारण देने लगते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के मामले में भी यही तौर-तरीका अपनाया गया।

मौका चुनाव का न हो तब भी नेता सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए ऐसी हरकतें करते रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में यह गिरावट तेजी से आई है। देश का शायद ही कोई नेता ऐसा हो, जिसने भाषा की गरिमा को छिन्न-भिन्न नहीं किया हो। भाषा के अलावा नेता जुमलों का इस्तेमाल भी सत्ता स्वार्थ के लिए करते रहे हैं। इसकी फेहरिस्त काफी लंबी है। दिल्ली में निर्भया बलात्कार हत्याकांड के बाद आरोपियों को हुई फांसी की सजा पर समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने एक रैली में कहा था कि जब लड़के और लड़कियों में कोई विवाद होता है तो लड़की बयान देती है कि लड़के ने मेरा बलात्कार किया। इसके बाद बेचारे लड़के को फांसी की सजा सुना दी जाती है। बलात्कार के लिए फांसी की सजा अनुचित है। लड़कों से गलती हो जाती है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने एक पार्टी कार्यक्रम में जयंती नटराजन को टंच माल कह दिया था। दिग्गी ने एक बार राखी सावंत पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि अरविंद केजरीवाल और राखी सावंत जितना एक्सपोज करने का वादा करते हैं उतना करते नहीं हैं। उनके इस बयान पर राखी ने उन्हें सठिया गए हैं, कहकर झिड़का था। वहीं शरद यादव महिलाओं पर कई बार अभद्र टिप्पणी कर चुके हैं। जेडीयू नेता रहे शरद यादव ने बयान दिया था कि बेटियों की इज्जत से वोट की इज्जत बड़ी है, जिसके बाद हर तरफ से इस बयान का खंडन किया गया। महिला आरक्षण विधेयक जब पहली बार संसद में रखा गया था तब शरद यादव ने कहा था कि इस विधेयक के जरिए क्या आप परकटी महिलाओं को सदन में लाना चाहते हैं। इसी प्रकार भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था महिलाओं को ऐसा श्रृंगार करना चाहिए, जिससे श्रद्धा पैदा हो, न कि उत्तेजना। कभी-कभी महिलाएं ऐसा श्रृंगार करती हैं, जिससे लोग उत्तेजित हो जाते हैं। एक अन्य कार्यक्रम में भाजपा नेता विजयवर्गीय ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर को महिलाओं का शौकीन बताया था। छत्तीसगढ़ के कोरबा से भाजपा सांसद रहे बंसीलाल महतो ने छत्तीसगढ़ के खेल मंत्री भैयालाल राजवाड़े का नाम लेते हुए कहा था कि वो अक्सर बोला करते हैं कि अब बालाओं की जरूरत मुंबई और कलकत्ता से नहीं है, कोरबा की टूरी और छत्तीसगढ़ की लड़कियां टनाटन हो गई हैं। हरियाणा की एक खाप पंचायत के नेता जितेंद्र छत्तर ने कहा था कि मेरे ख्याल से फास्ट-फूड खाने से बलात्कार की घटनाएं बढ़ती हैं।

इसी तरह भाजपा नेता सुब्रमण्यन स्वामी ने एक बार प्रियंका गांधी के लिए कहा था कि वह बनारस से चुनाव हार जाएंगी क्योंकि बहुत शराब पीती हैं। नेहरू और लेडी माउंटबेटन के संबंधों पर भी स्वामी विवादित टिप्पणी कर चुके हैं। भाजपा नेता श्रीप्रकाश जायसवाल ने एक बार बयान दिया था कि, नई शादी का मजा ही कुछ और होता है और ये तो सब जानते हैं कि पुरानी बीवी में वो मजा नहीं रहता। गोवा के मुख्यमंत्री और भारत के पूर्व रक्षामंत्री रहे मनोहर पर्रिकर ने लड़कियों के शराब पीने पर चिंता जाहिर करते हुए कहा था मैं डरने लगा हूं क्योंकि अब तो लड़कियां भी शराब पीने लगी हैं। सहने की क्षमता खत्म हो रही हैं।

वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में नेताओं की जुबान ने अपने बयानों से देश को शर्मसार कर दिया था। इसको लेकर चुनाव आयोग ने उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी, आजम खान और मायावती को 72 और 48 घंटों के लिए बैन किया था। गुजरात में हुए विधानसभा चुनाव से पहले कांगेस नेता मणिशंकर अय्यर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। हालांकि अपने बयान के बाद मणिशंकर अय्यर ने माफी मांग ली थी। गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी राहुल गांधी के मंदिरों में बैठने के तरीके और पूजा पर कमेंट किया। बात यहां तक बढ़ी कि राहुल गांधी के गैर-हिंदू से लेकर जनेऊ संस्कार तक को निशाने पर ले लिया गया।

● **विनोद बक्सरी**

अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल बंद हो

मेरठ के एक कार्यक्रम में भाजपा नेता साक्षी महाराज ने कहा कि देश की आबादी हिंदुओं की वजह से नहीं बढ़ रही है, यह कुछ समुदाय के लोगों की वजह से बढ़ रही है, जो चार पत्नी रखते हैं और 40 बच्चे पैदा करते हैं। भाजपा नेता दयाशंकर सिंह ने बसपा सुप्रीमो मायावती पर ऐसा बयान दिया था जिसको लेकर उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा था। मायावती पर पार्टी का टिकट बेचने का आरोप लगाते हुए दयाशंकर सिंह ने कहा था कि आज मायावती जी बदतर चरित्र की हो गईं हैं। नेताओं की गंदी होती जुबान और उस पर पार्टी नेतृत्व की तरफ से अंकुश न लगाया जाना समाज के लिए बेहद घातक हो सकता है। सोशल मीडिया के इस दौर में ऐसे आपत्तिजनक बयान तेजी से वायरल होते हैं, जो लोगों की सोच को प्रभावित करते हैं।

चीन को सुधारना होगा अपना रवैया

सम्मेलन से मिले सकारात्मक संकेत

आज जब युद्ध, टैरिफ और भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धाएं वैश्विक व्यवस्था को अस्थिर कर रही हैं, तब भारत की एससीओ में वापसी बहुपक्षीयता के प्रति उसके मूल्य को दर्शाती हैं। मोदी की भागीदारी को कमजोरी के रूप में नहीं, बल्कि रणनीतिक व्यावहारिकता के रूप में देखा जाना चाहिए। भारत के लिए एससीओ और ब्रिक्स जैसे मंच अपनी आवाज उठाने, सुरक्षा हितों की पूर्ति और यूरेशिया में अपनी आर्थिक पैठ को विस्तार देने वाले माध्यम की भूमिका निभाते हैं। हाल के सम्मेलन से जो सकारात्मक संकेत मिले हैं, उन्हें वास्तविकता के धरातल पर उतारने के लिए चीन को सुनिश्चित करना होगा कि उसकी कथनी एवं करनी में कोई भेद नहीं है। तभी एससीओ प्रतीकात्मकता से आगे बढ़कर बहुध्रुवीय स्थिरता का एक विश्वसनीय स्तंभ बन सकता है।

शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की बैठक में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री सात साल बाद चीन गए। इस दौरान मेजबान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के अलावा कई अन्य नेताओं के साथ उनकी वार्ता हुई। खासतौर से जिनपिंग के साथ लंबे अर्से बाद मेल-मुलाकात और पुतिन के साथ उनकी आत्मीयता खासी चर्चित रही। एक ऐसे दौर में जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां विशेषकर टैरिफ नीति दुनिया में हलचल मचा रही है, तब मोदी-जिनपिंग-पुतिन की तिकड़ी पर दुनियाभर की नजरें टिकना स्वाभाविक ही था। एससीओ के मंच पर प्रधानमंत्री ने भारत की प्राथमिकताओं को भी प्रमुखता से सामने रखा। पाकिस्तान द्वारा किए गए पहलगाम आतंकी हमले की एससीओ द्वारा निंदा करना भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत रही। यह रुख जून में एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक के उलट रहा, जिसमें पहलगाम आतंकी हमले की निंदा को लेकर दोहरा रवैया दिखाया गया था।

नई दिल्ली के लिए यह परिणाम न केवल आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एससीओ चार्टर के केंद्रीय मिशन को फिर से स्थापित करता है, बल्कि सदस्य देशों और यूरेशिया के खिलाफ पाकिस्तानी आतंकवाद की ओर वैश्विक ध्यान भी आकर्षित करता है। शिखर सम्मेलन से पहले और बाद में प्रधानमंत्री ने म्यांमार, मालदीव, मध्य एशिया, बेलारूस, रूस, आर्मेनिया और मिस्र के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी कीं, ताकि कूटनीतिक संबंधों को मजबूत किया जा सके। कई मोर्चों पर प्रगति के बावजूद इस तथ्य को अनदेखा नहीं किया जा सकता कि एससीओ आंतरिक विरोधाभासों से भरा हुआ है। कई सदस्य इस मंच का उपयोग अपने संकीर्ण हितों की पूर्ति और भू-राजनीतिक लाभ के लिए करते हैं, जिससे परस्पर विश्वास का अभाव और मतभेद उत्पन्न होते हैं। इसका ही परिणाम है कि यह मंच आतंकवाद, कनेक्टिविटी की कमी और अफगानिस्तान की स्थिति जैसे प्रमुख क्षेत्रीय संकटों के प्रभावी ढंग से समाधान में असफल रहा है।

चीन की भूमिका भी समस्याओं से भरी है। भारत के खिलाफ आतंकवाद को एक रणनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करते आ रहे पाकिस्तान का चीन हरसंभव तरीके से बचाव करता आया है। पाकिस्तान के 80 प्रतिशत से अधिक रक्षा उपकरण अब चीन से आने लगे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी उसने पाकिस्तान को सहायता पहुंचाई। बीजिंग के संकीर्ण रणनीतिक हितों ने अफ-पाक क्षेत्र को आतंकवाद का गढ़ बना दिया है। इससे क्षेत्रीय संपर्क, सुरक्षा और आर्थिक विकास पर असर पड़ता है और एससीओ कमजोर पड़ता है। वर्ष 2017 में पूर्ण सदस्य के रूप में एससीओ में शामिल होने के बाद से भारत ने इस संगठन को कनेक्टिविटी और ऐसे सहयोगात्मक प्रयासों की ओर मोड़ने का प्रयास किया है, जो संप्रभुता का सम्मान करते हों। नई दिल्ली की प्राथमिकताएं क्षेत्र के लिए साझा संस्कृति और साझा भविष्य पर केंद्रित रही हैं। उसने भरोसेमंद, लचीली और विविधीकृत आपूर्ति श्रृंखलाओं पर जोर दिया है। इसके लिए बेहतर कनेक्टिविटी की आवश्यकता के साथ ही सदस्य देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान भी अनिवार्य है।

नई दिल्ली ने एससीओ मंच का उपयोग अपने भू-राजनीतिक और रणनीतिक लक्ष्यों को मध्य एशिया में आगे बढ़ाने और चीन के आक्रामक प्रभाव को संतुलित करने के लिए भी किया है। भारत की सक्रियता के चलते ही मध्य एशियाई देशों ने 2018 में उसे अस्ताना समझौते में शामिल किया और चाबहार पोर्ट एवं अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे को लेकर पूर्वी मार्ग में रुचि दिखाई। इसी वर्ष जून में भारत और मध्य एशिया ने नई दिल्ली में चौथे भारत-मध्य एशिया संवाद के दौरान रेयर अर्थ और महत्वपूर्ण खनिजों को लेकर बात आगे बढ़ाई। यह कदम बीजिंग द्वारा स्वच्छ ऊर्जा और रक्षा के लिए रेयर अर्थ के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के बाद उठाया गया। मध्य एशिया को बीजिंग के प्रभुत्व के संभावित प्रतिद्वंद्वी के रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि वहां रेयर अर्थ तत्वों के समृद्ध भंडार हैं। अकेले कजाकिस्तान में ही 5,000 से अधिक रेयर अर्थ तत्व हैं, जिनका मूल्य 46 ट्रिलियन (लाख करोड़) डॉलर से अधिक बताया जा रहा है।

एससीओ ने भारत और चीन को सीधे संवाद का एक मंच भी प्रदान किया और दोनों देशों ने मतभेदों के बावजूद द्विपक्षीय मुद्दों पर समाधान तलाशने की इच्छा भी जताई। इन मुद्दों में सीमा निर्धारण और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी बीआरआई के तहत गुलाम जम्मू-कश्मीर में चीनी निवेश जैसे मुद्दे भी शामिल हैं, जो भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को चुनौती देते हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि वैश्विक दक्षिण द्वारा संचालित ब्रिक्स और एससीओ जैसे मंच द्विपक्षीय संबंधों में सुधार के माध्यम भी बने हैं। युद्धों, संघर्षों, टैरिफ और बढ़ते भू-राजनीतिक तनावों वाले इस दौर में बीजिंग और नई दिल्ली को दीर्घकालिक रणनीतिक दृष्टिकोण के साथ सहयोग करना चाहिए।

● ऋतेन्द्र माथुर

भारत के विकास में अमेरिका बाधक

भारत द्वारा 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षणों के बाद अमेरिका द्वारा उस पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों का कोई प्रभाव न होते देख और चीन एवं इस्लामिक कट्टरपंथ के उभार से चिंतित तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने यह निर्णय लिया कि भारत से कटकर एशिया की भूराजनीति चलाना संभव नहीं है। हालांकि उस दौर में दोनों देशों के संबंधों में इतनी कटुता आ चुकी थी कि एकदम से सबकुछ सामान्य हो पाना संभव नहीं था। इसलिए भारत और अमेरिका कैसे एशिया की अगली सदी को मिलकर गढ़ सकते हैं, इस पर चर्चा के लिए अमेरिकी उप विदेश मंत्री स्ट्रोब टालबोट और भारतीय विदेश मंत्री जसवंत सिंह के बीच 11 दौर की गुप्त वार्ता विश्व में अलग-अलग स्थानों पर हुई। इन वार्ताओं से अमेरिका में यह सहमति बनी कि भारत के सामरिक उदय को सुनिश्चित किया जाना पूरे एशिया और समूचे विश्व की सुरक्षा और स्थिरता के लिए आवश्यक है।

यह कुछ-कुछ वैसा ही था, जैसा निक्सन और किसिंजर द्वारा 1970 के दशक में यह तय करना था कि अमेरिका सोवियत संघ को कमजोर करने के लिए चीन का उदय सुनिश्चित करेगा। टालबोट-जसवंत वार्ता की परिणति ही भारत के ऊपर से अमेरिकी प्रतिबंध हटाए जाने, कारगिल युद्ध के समय राष्ट्रपति क्लिंटन के भारत की ओर झुकाव के रूप में दिखाई दी। भारत के उदय को सुनिश्चित करने की इस नीति के पक्षधर डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों ही बने। क्लिंटन के बाद रिपब्लिकन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने पहले प्रधानमंत्री वाजपेयी और बाद में मनमोहन सिंह के साथ मिलकर भारत-अमेरिका परमाणु समझौते की रूपरेखा तैयार की और उसे मूर्त रूप भी दिया गया। इसके जरिये भारत को परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए बिना भी एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति के तौर पर स्वीकार कर लिया गया और अमेरिका ने चीन के विरोध को दरकिनार करते हुए भारत को परमाणु आपूर्तिकर्ता संगठन का सदस्य भी बनवाया।

द्विपक्षीय संबंधों में प्रगाढ़ता धीरे-धीरे आगे बढ़ती रही। दोनों देशों के बीच 2005 में बनी रणनीतिक साझेदारी को 2020 में राष्ट्रपति ट्रंप के पहले कार्यकाल में समग्र वैश्विक और सामरिक साझेदारी का रूप दिया गया। भारत ने अमेरिका के साथ कई अहम रक्षा समझौते भी किए। यह सिलसिला एक बड़ी हद तक ट्रंप के पहले कार्यकाल और बाइडन के दौर तक चलता रहा, लेकिन ट्रंप के दूसरे कार्यकाल विशेषकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद के परिदृश्य में अमेरिकी रवैया बदल गया। कुछ लोग इसे भारत-पाकिस्तान के बीच संघर्षविराम के ट्रंप के दावे को भारत द्वारा बार-बार खारिज करने से भी जोड़कर देख रहे हैं। यह पूरी तरह सही नहीं। अमेरिका में एक तबका भारत से कुछ अनावश्यक उम्मीदें रखता आया है। ऐसी ही एक उम्मीद ताइवान से जुड़ी है। वहां एक वर्ग चाहता है कि ताइवान पर संभावित चीनी हमले की स्थिति में भारत उसके मुकाबले में सहायक बने, मगर भारत यूक्रेन की तरह अमेरिकी सामरिक हितों को साधने के लिए कोई भाड़े पर लड़ने वाला देश नहीं बन सकता। यह बात वाशिंगटन को पच नहीं रही। यह उसकी समझ से बाहर है कि अमेरिका संग कई रक्षा समझौतों के बाद भी कोई देश अपना सामरिक चुनाव खुद कैसे कर सकता है? भारत के मामले में ऐसा होते देख अमेरिका की सामरिक बिरादरी कुंठा और गुस्से से भरी पड़ी है।

भारतीय मामलों पर वाशिंगटन में एक बड़ी आवाज माने जाने वाले एश्ले टैलिस ने 2023 में ही एक लेख में लिखा था कि अमेरिका ने भारत पर गलत दांव लगाया है। एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि अमेरिका चीन के साथ युद्ध की स्थिति में भारत की तटस्थता बर्दाश्त नहीं कर सकता। टैलिस वाशिंगटन में भारत को लेकर पनप रही खिसियाहट को ही दर्शा रहे थे। यह वही समय था जब यूक्रेन युद्ध फंस चुका था। अमेरिका रूस से सीधा टकराव नहीं मोल लेना चाहता था। चीन को वह दबाव में ले नहीं सकता था, इसलिए भारत को रूसी तेल खरीदने के आरोप में दबाव में लेने का फैसला लिया गया। तब से ही यही नीति जारी है। बस बाइडन और ट्रंप के तरीके अलग हैं। बाइडन प्रशासन भारत को दबाव में लेने के लिए खालिस्तान कार्ड खेलता रहा। कनाडा की ट्रूडो सरकार के जरिये भारतीय नेतृत्व पर खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या के आरोप लगाए गए। इतने से बात नहीं बनी तो गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रचने के आरोप भी मढ़े गए।

● सुश्री नित्या

ट्रंप की नजर पाकिस्तान पर

जब ट्रंप दोबारा सत्ता में वापस आए तो उन्होंने पाकिस्तान के साथ नजदीकियां बढ़ानी प्रारंभ कर दी थीं। जब पहलगाम हमला हुआ, तब उनके प्रतिनिधि पाकिस्तान के साथ क्रिप्टो करेंसी डील पर हस्ताक्षर करने की तैयारी कर रहे थे। ऐसे में यह सोचना एक भूल है कि भारत-पाकिस्तान सीजफायर का श्रेय न मिलने से क्रुद्ध ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाए हैं। वाशिंगटन में अब यह सोच बन चुकी है कि भारत के महाशक्ति के रूप में उदय का समर्थन करने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि वह अमेरिका के इशारों पर नाचने वाला नहीं है। अमेरिका को लगता है कि जब चीन से निपटना ही उसे भारी पड़ रहा है तो सामरिक रूप से स्वायत्त महाशक्ति के रूप में भारत का उदय तो भविष्य में उसके वैश्विक प्रभुत्व के लिए चुनौती बढ़ाने का ही काम करेगा। अमेरिका भारत को अगला चीन बनते नहीं देखना चाहेगा। अमेरिकी अर्थशास्त्री जैफरी सैक्स कहते हैं कि भारत को सफल होते देख अमेरिका उसका विरोध करेगा, क्योंकि यह उसके स्वभाव में है। इसी कारण पहले अमेरिका रूस का विरोध कम्युनिज्म के नाम पर करता था। अब कम्युनिज्म के पतन के बाद भी उसका विरोध जारी है, क्योंकि अभी भी रूस एक बड़ी भूराजनीतिक शक्ति है और वह कभी अमेरिका की कठपुतली नहीं बनेगा। भारत के चमत्कारिक आर्थिक विकास के चलते यही अमेरिकी रवैया अब भारत के प्रति दिखने लगा है। ऐसे में यदि भारत को आर्थिक और सैन्य महाशक्ति बनने की अपनी यात्रा जारी रखनी है तो हमारे उद्योगपतियों, शिक्षाविदों, अनुसंधानकर्ताओं, पेशेवरों और छात्रों को चौगुनी शक्ति से काम करना होगा।

आत्मनिर्भरता में सहायक नारी शक्ति

मानव विकास के इतिहास में महिलाएं पुरुषों जितना ही आवश्यक रही हैं। वास्तव में किसी समाज में महिलाओं की हैसियत, रोजगार और उनके द्वारा किया जाने वाला काम देश के समग्र विकास के सूचकांक होते हैं। राष्ट्रीय गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी के बिना किसी भी राष्ट्र का सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक विकास ठहर जाता है। भले ही दुनिया में महिलाओं की हिस्सेदारी आधी हो लेकिन दुनिया के कुल कामकाज के घंटों में उनकी दो तिहाई हिस्सेदारी होती है। दुनिया की कुल आय में महिलाओं की एक तिहाई हिस्सेदारी है जबकि कुल संसाधनों के दसवें हिस्से पर ही वे काबिज हैं। वैश्विक स्तर पर आर्थिक आधार पर महिलाओं की यह दयनीय दशा भारत में और भी खराब स्थिति में है। यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है। इसके द्वारा किसी महिला या समूह को इस लायक बनाया जा सकता है कि वे जीवन के हर क्षेत्र में अपनी पूर्ण पहचान और शक्ति को महसूस कर सकें। यह तभी संभव होगा जब हम उन्हें बड़े पैमाने पर ज्ञान और संसाधन मुहैया कराएंगे। महिलाओं का सशक्तिकरण सही शिक्षा देकर, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं मुहैया कराकर, परिवार और समुदाय में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाकर किया जा सकता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से एक बार फिर आत्मनिर्भर भारत की बात की। स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर उन्होंने कहा, एक राष्ट्र के लिए आत्मसम्मान की सबसे बड़ी कसौटी आज भी उसकी आत्मनिर्भरता है। विकसित भारत का आधार भी है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भरता का नाता हमारे सामर्थ्य से जुड़ा हुआ है और जब आत्मनिर्भरता खत्म होने लगती है, तो सामर्थ्य भी निरंतर क्षीण होता जाता है और इसलिए हमारे सामर्थ्य को बचाए, बनाए और बढ़ाए रखने के लिए आत्मनिर्भर होना बहुत अनिवार्य है। इस योजना का उद्देश्य 2024-25 से 2025-2026 की अवधि के दौरान 15000 चुनिंदा महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन प्रदान करना है ताकि कृषि उद्देश्यों के लिए किसानों को किराए की सेवाएं प्रदान की जा सकें। लीक से हटकर करने की चाह को जब सरकारी संरक्षण और प्रोत्साहन प्राप्त हो तो महिलाओं को सशक्त और संबल होने से कोई नहीं रोक सकता। आत्मनिर्भरता भारत की संकल्पना ही नहीं, अपितु वह सत्य है, जो आत्मबल की कथा लिखती है। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में महिलाओं की भूमिका अपेक्षित ही नहीं, अपरिहार्य भी है। नारी शक्ति अब केवल एक विचार नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय अभियान बनना चाहिए। विगत एक दशक में महिलाएं केवल योजनाओं की लाभार्थी नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की सक्रिय भागीदार भी बन चुकी हैं। देश की आधी आबादी का सशक्तिकरण अब सामाजिक सुधार नहीं, बल्कि विकास की रणनीति बनने को है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 ने भारत में महिला श्रम भागीदारी दर में उल्लेखनीय वृद्धि को उजागर किया, जो विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की कार्यक्षमता में वृद्धि के कारण हुआ।

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में मुद्रा योजना से बदलते आर्थिक परिदृश्य और महिलाओं के सशक्तिकरण में उसकी अहम भूमिका की चर्चा की। मुद्रा योजना के कुल लाभार्थियों में 68 प्रतिशत महिलाएं हैं, जो देशभर में महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों को आगे बढ़ाने में इस योजना की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। वित्त वर्ष 2016 और वित्त वर्ष 2025 के बीच प्रति महिला प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की वितरण राशि 13 प्रतिशत से बढ़कर 62,679 रुपए तक पहुंच गई, जबकि प्रति महिला वृद्धिशील जमा राशि वर्ष दर वर्ष 14 प्रतिशत बढ़कर 95,269 रुपए हो गई। ऋण वितरण में महिलाओं की अत्यधिक हिस्सेदारी वाले राज्यों ने महिलाओं के नेतृत्व वाले एमएसएमई के माध्यम से काफी अधिक रोजगार सृजन किया है, जो महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और श्रम बल भागीदारी को बढ़ाने में लक्षित वित्तीय समावेशन को मजबूत करता है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार यह योजना महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसायों को वित्त तक पहुंच प्रदान करने में सहायक रही है।

आत्मनिर्भर भारत की एक सुदृढ़ नींव के शिल्पकार महिला स्वयं सहायता समूह भी हैं, जिनकी प्रधानमंत्री ने लाल किले से प्रशंसा करते हुए कहा, पिछले 10 साल में वूमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप ने कमाल करके दिखाया है। आज उनके प्रोडक्ट दुनिया के बाजार में जाने लगे हैं। स्वयं सहायता समूह आत्मनिर्भर भारत का नवीन कथानक लिख रहे हैं। 31 जनवरी, 2025 तक लगभग 10.05 करोड़ महिला परिवारों को 90.90 लाख स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में शामिल किया गया है।

● ज्योत्सना अनूप यादव

देशभर में महिला सशक्तिकरण पर जोर

प्रधानमंत्री ने नमो ड्रोन दीदी नारी शक्ति योजना का भी उल्लेख किया। 15 अगस्त, 2023 को प्रारंभ की गई नमो ड्रोन दीदी योजना स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को कृषि में ड्रोन के उपयोग के लिए 80 प्रतिशत सब्सिडी (आठ लाख रुपए तक) और प्रशिक्षण प्रदान करके सशक्त बनाती है, जिससे उनकी आय सालाना एक लाख रुपए से अधिक तक बढ़ जाती है, टिकाऊ खेती को बढ़ावा मिलता है और ग्रामीण रोजगार एवं वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलता है। इस योजना का उद्देश्य 2024-25 से 2025-2026 की अवधि के दौरान 15,000 चुनिंदा महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन प्रदान करना है, ताकि कृषि उद्देश्यों के लिए किसानों को किराए की सेवाएं प्रदान की जा सकें। लीक से हटकर करने की चाह को जब सरकारी संरक्षण और प्रोत्साहन प्राप्त हो तो महिलाओं को सशक्त और संबल होने से कोई नहीं रोक सकता। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत देशभर में महिला सशक्तिकरण परियोजना चल रही हैं। इस परियोजना के अंतर्गत महिला किसानों को कृषि के आधुनिक तौर-तरीके सिखाए जा रहे हैं। इन्हीं प्रयासों की परिणति देसी कोल्ड स्टोर है, जो झारखंड की महिला किसान बांस से बना रही हैं। इसकी लागत 1,500 से 2,000 रुपए आती है और इससे 6 महीने तक आलू खराब नहीं होते। महिलाओं के उत्थान में स्थानीय समुदायों और राष्ट्र को समग्र रूप से बदलने की क्षमता है।

वालमीकि और लव-कुश

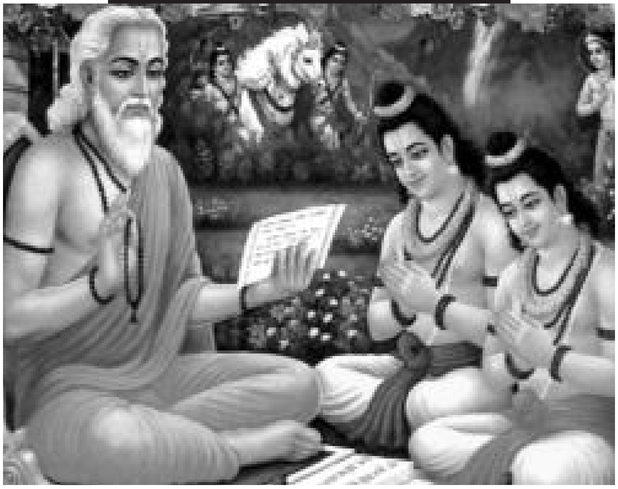

एक बार सीता पालने में अपने पुत्र को सुलाकर नदी से जल लेने गई और ऋषि वाल्मीकि को बच्चे की रक्षा का भार सौंप गई। (अब यह तो सर्व मान्य है कि सीता और राम के पुत्रों का लालन-पालन इन्हीं वाल्मीकि के आश्रम में हुआ था।) ऋषि अपने लेखन में इतने मग्न थे कि इस बात को भूल ही गए। जबकि सीता उन्हें कार्यमग्न देख बालक को स्वयं ही उठा ले गईं। ऋषि को जब ध्यान आया तो उन्होंने पालना खाली देखकर सोचा कि कोई जानवर बच्चे को ले गया है अब वे सीता को क्या जवाब देंगे? अतः तत्काल उन्होंने कुशा से एक शिशु का निर्माण किया और उसे पालने में सुला दिया। लौटने पर सीता ने दूसरे बालक को भी सहर्ष स्वीकार किया और वह दो बालकों की मां बन गई, किंतु ऐसा है नहीं! यह लोक कथा अथवा किंवदंती युगों-युगों से प्रचलित है और खूब सुनी-सुनाई जा रही है।

ऐसी किंवदंतियां विषय-वस्तु का समुचित ज्ञान न होने के कारण फलती-फूलती रहती हैं। इनका प्रचार-प्रसार भी धड़ल्ले से होता रहता है। कम ही लोग इनकी सच्चाई जानने के लिए प्रयासरत देखे जाते हैं। जबकि सच यह है कि सीता के गर्भ से दो पुत्र ही उत्पन्न हुए थे। इस लोककथा अथवा किंवदंती के प्रचलन का बड़ा कारण तुलसीदास जी का इस विषय में मौन भी है। उन्होंने रामचरितमानस में भक्ति से आगे देखने की चेष्टा ही नहीं की बस दुई-दुई सुत सब भाइयन केरे से काम चला लिया। जबकि वाल्मीकि इस विषय में मौन नहीं रहे। इतना ही नहीं वाल्मीकि के अनुसार लक्ष्मण और शत्रुघ्न तो यह भी जानते थे कि सीता कहां हैं और ये बालक किसके हैं। लक्ष्मण ने तो सीता को वन में छोड़ते समय कहा भी था कि महर्षि वाल्मीकि मेरे पिता राजा दशरथ के मित्र हैं अतः अब से तुम इन्हीं के आश्रम में रहो। वे सीता को वाल्मीकि आश्रम के निकट छोड़कर आश्वस्त लौटे थे।

लोक कथाओं के अनुसार वन में सीता का असली परिचय नहीं दिया गया किंतु वाल्मीकि रामायण इस तथ्य से भी इनकार करती है। वाल्मीकि दृष्टा थे, साक्षी थे और इतिहास रचयिता थे। उन्होंने जो लिखा है सत्य को साक्षी बनाकर लिखा है उसमें राम की प्रशंसा हो या निंदा। वे लिखते हैं-

ततो अर्धरात्र समये बालका मुनिदारकाः
वाल्मीकेः प्रियमाचख्युः सीतायाः प्रसवं शुभम।।
भगवन् राम पत्नी सा प्रसूता दारक द्वयम
ततो रक्षां महातेजः कुरु भूत विनाशिनीम।।

आधी रात को मुनिकुमारों ने वाल्मीकि जी को सीता के प्रसव की सूचना दी और कहा, भगवन! श्री राम जी की पत्नी ने दो पुत्रों को जन्म दिया है। आप चलकर उनका बालग्रह जनित, (जातक कर्म) आदि भूतबाधा रक्षा हेतु कर्म करें। उपरोक्त श्लोक से न केवल यह सिद्ध होता है कि सीता ने दो पुत्रों को जन्म दिया बल्कि वहां उन्हें रजमहिर्षी का मान-सम्मान भी प्राप्त था। वाल्मीकि रामायण से यह भी सिद्ध होता है कि वाल्मीकि ने उन्हें तुरंत पहचान लिया था और कुछ वृद्ध तपस्वी महिलाओं के संरक्षण में उन्हें रखा गया था उस समय सीता का पूर्ण परिचय उन तपस्विनियों को दिया गया था और रजोचित सम्मान का निर्देश भी साथ ही दिया गया था। अतः सद्यप्रसूता सीता को नदी से जल भरने जाने जैसी बात सिरे से ही अनर्गल प्रतीत होती है।

वाल्मीकि मुनि ने भीतर जाकर उन दोनों बालकों को देखा और वृद्धा स्त्रियों को कुशाओं का मुट्ठा देते हुए एवं भूतबाधा निवारण और बालकों के नामकरण का आदेश देते हुए कहा-

यस्तो पूवर्जो जातः स कुशैर्मन्त्र सत्कृतैः
निर्माजनीयस्तु तदा कुश इत्यस्य नाम तत।।
यश्चावरो चवेत् ताम्यों लवेन सुसमाहितः
निर्माजनीयो वृद्ध मिर्लवेति चस नामतः।।

अर्थात् जो बालक पहले पैदा हुआ है उसका नाम कुश रखो और जो बाद में हुआ है उसका नाम लव। इससे सिद्ध होता है कि वाल्मीकि ने जन्म के समय ही दोनों बालकों का नामकरण किया यानि दोनों ही सीता के गर्भ से उत्पन्न बालक थे। वाल्मीकि ने न केवल दोनों बच्चों के जन्म की पुष्टि की है अपितु उस समय को भी रेखांकित किया है जिस समय वे पैदा हुए थे। ततो अर्धरात्रि समये के साथ ही वाल्मीकि जी ने ऋतुकाल का भी निर्धारण कर दिया है। शत्रुघ्न को लवणसुर वध के लिए भेजते समय राम ने उसे कहा था-

स ग्रीष्म अपयाते तु वर्षारात्र उयागते
हन्यास्त्वं लवणं सौम्य सहिलालोडस्य दर्भतेः

अर्थात् हे सौम्य! जब ग्रीष्म रितु निकल जाए और वर्षारितु हो उस समय तुम लवणसुर का वध करना। क्योंकि यही समय उचित है उस के विनाश के लिए। ऐसा लगता है कि राम के मन में सीता के बारे में जानने की इच्छा का भी इस आदेश में समावेष है। क्योंकि लवणसुर को मारने इसी मार्ग से होकर जाया जाता और राम के आदेश से शत्रुघ्न उस रात वाल्मीकि के आश्रम में रुके थे जिस रात सीता ने दो पुत्रों को जन्म दिया था। आश्रम में पहुंचकर शत्रुघ्न ने यह स्पष्ट भी कर दिया था।

भगवन् वस्तु मिच्छामि गुरोः
कृत्यादिहागतः
श्रवः प्रभाते गमिष्यामि प्रतीचीं
वारुणीं दिशम्

भगवान! मैं अपने बड़े भाई श्री रघुनाथ जी के कार्य से यहां आया हूं और रात ठहर कर प्रातः वरुण देव द्वारा रक्षित-पालित पश्चिम दिशा को चला जाऊंगा। निश्चित ही राम को आभास रहा होगा कि इन दिनों में उनके पिता बनने की अपेक्षा की जा सकती है इसी कारण से उन्होंने शत्रुघ्न को वर्षाकाल में जाने का सुझाव दिया था। यह भी हो सकता है कि शत्रुघ्न इसी उद्देश्य से वहां रुके हों।

यामेव रात्रिं शत्रुघ्नः पर्णशाला समाविशत
तामेव रात्रिं सीतामि प्रसूता दारक द्वयम्

जिस रात्रि शत्रुघ्न ने पर्णकुटी में प्रवेश किया उसी रात्रि संयोग से सीता ने दो पुत्रों को जन्म दिया। वे पर्णकुटी के उस भाग पर भी कान लगाए रहे जहां सीताजी का निवास था।

तां क्रियामाणां च वृद्धाभिर्गोत्र नाम च
संकीर्तन च रामस्य सीतायाः प्रसवौ शुभौ

सीता के प्रसव के समय आधी रात को सीता-राम ने नाम गोत्र उच्चारण की ध्वनि शत्रुघ्न के कान में पड़ी तब वे स्वयं पर संयम न रख सके और मुनि से आज्ञा लेकर सीता व दोनों बच्चों को देखने पहुंच ही गए और सीता को माताजी कहकर बधाई भी दी।

अर्धरात्रे तु शत्रुघ्नः सुश्राव सुमहत प्रियम
पर्णशाला ततो गत्वा माता दिष्टियेति
चाब्रवीत।।
तदा तस्य प्रहृष्टस्य शत्रुघ्नस्य महात्मनः
व्यतीता वार्षिकी रात्रिः श्रावणी लघुविक्रमा।।

महात्मा शत्रुघ्न इतने प्रसन्न हुए कि सावन की रात बात की बात में बीत गई। उपरोक्त उद्धरणों से यह तथ्य पूर्ण तथा स्पष्ट हो जाता है कि सीताजी ने दो जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था जिनका पता रघुकुल में सबको था और अश्वमेघ यज्ञ में रामायण का गान भी योजनाबद्ध ही था किंतु स्वाभिमानिनी सीता को एक और परीक्षा स्वीकार नहीं हुई, हां उसके दोनों पुत्र स्वीकारे गए, प्रजा द्वारा भी और पिता द्वारा भी।

● **ओम**

ट्यूशन

ट्यूशन से लौटकर आया हुआ रोहित घर में घुसते ही दादाजी से टकरा गया। दादाजी ने उसे रोककर पूछा- आज क्या पढ़ा?

गणित! रोहित ने संक्षिप्त उत्तर देकर वहां से भागना चाहा। परन्तु दादाजी ने उसे नहीं भागने दिया, दिखाओ मुझे कैसे सवाल किए हैं!

विवश होकर रोहित ने अपनी कॉपी निकाली और उस दिन जो सवाल किए थे वे खोलकर दिखाए।

दादाजी ने देखा कि सवाल तो सही किए थे, परंतु इससे यह पता नहीं चलता कि सवाल उसकी समझ में कितना आए हैं। इसलिए उन्होंने उससे एक मिलता-जुलता प्रश्न पूछ लिया।

प्रश्न सुनकर रोहित चकरा गया। दादाजी समझ गए कि रोहित की समझ में कुछ नहीं आया है। इसलिए उन्होंने कहा- ट्यूटर तुम्हें अच्छी तरह नहीं समझाता। इसलिए कल से तुम मेरे साथ बैठकर गणित पढ़ा करो।

रोहित ने प्रसन्नता से स्वीकार कर लिया।

- डॉ. विजय कुमार सिंघल

प्यारी सेंडिल

मैंने मचल कर अपनी भाभी से कहा- भाभी प्लीज मुझे वो आपकी सेंडिल पहनने को दे दो ना, मेरे स्कूल में हम बारहवीं कक्षा के बच्चों को फेयरवेल पार्टी दी जा रही है। मैंने पापा से नई ड्रेस के लिए काफी पैसे ले लिए हैं, सेंडिल आप देती तो कुछ बचत हो जाती।

दरअसल भैया की नई-नई शादी हुई थी, तो पापा भी भैया से पैसा वगैरह की मांग नहीं करते थे। और पापा की तनख्वाह मैं, मां और पापा हम तीनों के लिए ठीक-ठाक थी। भाभी ने साफ मना करते हुए कहा नहीं छोटी, तुम्हारे भैया ने उस सेंडिल को मेरे लिए बहुत ही प्यार से खरीदा है। उसे मैं किसी को नहीं दूंगी। मैं मन मारकर रह गई। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होते ही मेरी शादी हो गई। शादी के बाद जब मैं पग फेरे पर मायके आई तो देखा वही सेंडिल कामवाली पहनकर आई और दरवाजे पर उतारकर वह काम करने लगी।

मेरी आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। मैंने भाभी से सेंडिल वाली बात छेड़ी तो कहने लगी वो तो पुरानी होने पर उसे दी है। बेकार कचरे पर पड़ा रहता। मेरी आह निकल गई। मैं मन ही मन कहने लगी भैया की प्यार से दी गई सेंडिल का सम्मान मेरे पैरों पर खो जाता और उस कामवाली के पैरों की शोभा बढ़ा रहा है।

- अमृता राजेन्द्र प्रसाद

ठहरो पल-दो-पल

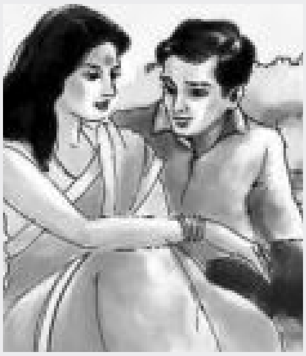

इतनी जल्दी क्या है साजन,
ठहरो पल-दो-पल।
जनम-जनम के हम साथी हैं,
बंधन अचल अटल।
एक-दूसरे के हम दोनों,
सुख-दुःख के संबल।।
नया-नया परिणय है अपना,
चलना सम्हल-सम्हल।
दिल पर रख लो थोड़ा काबू,
क्यों होते बेकल?
ठहरो पल-दो-पल।
कच्ची कली न तोड़ो बरबस,
पक जाने दो फल।
अभी खेलकर आता होगा,
देवर चतुर चपल।।
ताड़ेगी यदि ननद कुंवारी,
जाएं पांव फिसल।
छोड़ो भी अब बरजोरी से,
बह जाए काजल।।
ठहरो पल-दो-पल।
हृदि-सितार ना छेड़ो असमय,
नटखट उछल-उछल।
माना तुमको ही करना है,
पावन प्रणय पहल।।
प्रीति रीति की नीति निभाओ,
दिल में है हलचल।
उलझ गए केशों में कुंडल,
पांवों में पायल।।
ठहरो पल-दो-पल।
व्रती सती नव परिणीता मैं,
मधुमासी-कोयल।
अधर अनजुठे, निर्मल-निर्जल,
कर दो इन्हें सजल।।
उखड़ी-उखड़ी सी सांसें ये,
करतीं उथल-पुथल।
अंग-अंग में है अनंग, दिल,
जाए मचल-मचल।।
ठहरो पल-दो-पल।

- डॉ. अवधेश कुमार अवध

मैदान की नायिकाएं

भारतीय खेल का इतिहास लंबे समय तक पुरुष प्रधान रहा, लेकिन बीते कुछ दशकों में महिलाओं ने जिस तरह से अपनी पहचान बनाई है, वह अभूतपूर्व है। कभी खेलों में महिलाओं की भागीदारी सीमित और हाशिए पर थी, परंतु आज भारत की बेटियां अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश का परचम लहरा रही हैं। भारतीय महिला खिलाड़ियों का ओलंपिक प्रतिनिधित्व निरंतर बढ़ता गया है। 2000 में नगण्य उपस्थिति से शुरू होकर यह आंकड़ा आज 40-44 प्रतिशत तक पहुंच चुका है। यह बदलाव केवल खेलों का नहीं, बल्कि समाज में महिला सशक्तिकरण और बदलती सोच का भी प्रतीक है। कहा जाता है- भर्तृभक्त्या स्त्रियः श्रेयो लभन्ते लोकसम्मतम्। अर्थात् स्त्रियां अपनी निष्ठा और कर्म से लोक में श्रेष्ठ यश प्राप्त करती हैं।

1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में मैरी डिसूजा ने भारत का प्रतिनिधित्व कर इतिहास रचा। वे पहली भारतीय महिला एथलीट थीं जिन्होंने ओलंपिक मंच पर कदम रखा। उस समय न पर्याप्त प्रशिक्षण सुविधाएं थीं, न ही समाज से उन्हें व्यापक स्वीकृति मिलती थी। धीरे-धीरे समय बदला और 1980 के दशक में पीटी ऊषा भारतीय खेलों का बड़ा नाम बनीं। ट्रैक क्वीन कही जाने वाली ऊषा ने 1984 लॉस एंजेलिस ओलंपिक में 400 मीटर हर्डल्स में चौथा स्थान पाकर इतिहास रचा। पदक से कुछ सेकंड दूर रह जाने पर भी उन्होंने दिखाया कि भारतीय महिलाएं ट्रैक पर वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं। उनकी उपलब्धि ने असंख्य बेटियों को खेलों की ओर प्रेरित किया। इसके बाद खेलों में महिलाओं की भागीदारी धीरे-धीरे बढ़ती गई।

2000 के दशक में कर्णम मल्लेश्वरी ने सिडनी ओलंपिक में वेटलिफ्टिंग का कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा। वे भारत की पहली महिला बनीं जिन्होंने ओलंपिक में पदक हासिल किया। इस उपलब्धि ने महिलाओं की खेल यात्रा में नया साहस और आत्मविश्वास भर दिया। 2010 के बाद भारतीय महिला खिलाड़ियों का स्वर्णिम दौर शुरू हुआ। 2012 लंदन ओलंपिक में साइना नेहवाल ने बैडमिंटन में कांस्य जीतकर खेल को घर-घर पहुंचाया। उसी वर्ष मणिपुर की मैरी कॉम ने मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीतकर साबित किया कि साधारण पृष्ठभूमि, मां और पत्नी होने की जिम्मेदारियों के बावजूद विश्वस्तरीय खिलाड़ी बन सकती हैं। उनका संघर्ष प्रेरणादायक कथा है। वे साधारण परिवार से निकलकर पांच बार की विश्व चैंपियन बनीं और राज्यसभा सांसद के रूप में भी सभी को प्रेरणा देती रहीं। 2016 रियो ओलंपिक में भारतीय महिलाओं ने देश की उम्मीदों को संभाला। पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में रजत पदक जीता और साक्षी मलिक ने कुश्ती में कांस्य पदक। दीपा कर्माकर ने जिम्नास्टिक में प्रोडुनोवा जैसे कठिन वॉल्ट को सफलतापूर्वक कर देश को रोमांचित किया। यहीं से यह धारणा और गहरी हो गई कि महिलाएं अब हर खेल में समान रूप से आगे बढ़ सकती हैं।

2020 टोक्यो ओलंपिक (2021) में भारतीय महिला खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। मीराबाई चानू ने वेटलिफ्टिंग में रजत पदक जीता, लवलीना बोरगोहेन ने मुक्केबाजी में कांस्य पदक हासिल किया और पीवी सिंधु ने लगातार दूसरी बार पदक जीतकर इतिहास रचा। इन उपलब्धियों का प्रभाव पदकों से कहीं आगे बढ़ा। अब ग्रामीण क्षेत्रों की बेटियां, जहां खेलना कभी असंभव माना जाता था, मैरी कॉम, साक्षी मलिक और मीराबाई चानू को देखकर आगे बढ़ रही हैं। हरियाणा जैसे राज्यों के छोटे गांवों से निकलकर बेटियां अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंच रही हैं, वहीं कभी बेटियों के जन्म पर खुशी तक नहीं मनाई जाती थी। भारतीय महिलाओं का खेल सफर सशक्तिकरण की जीवंत गाथा है।

बदलते समाज में परिवार बेटियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। स्कूल-कॉलेजों में सुविधाएं बढ़ी हैं और सरकार खेलो इंडिया जैसे कार्यक्रमों से महिला खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान कर रही है। इस यात्रा से यह सिद्ध होता है कि वास्तविक बदलाव सिर्फ पदकों से नहीं, बल्कि उन संघर्षों से उपजता है जिन्हें खिलाड़ी अपने पीछे प्रेरक उदाहरण के रूप में समाज के लिए छोड़ जाती हैं। पीटी ऊषा की दौड़, कर्णम मल्लेश्वरी का ऐतिहासिक पदक, मैरी कॉम की जुझारू लड़ाई, सिंधु का आत्मविश्वास और मीराबाई का साहस, ये सब मिलकर भारतीय महिलाओं की बदलती स्थिति की कथा कहते हैं। जैसा कि मैरी कॉम ने कहा है-कभी हार मत मानो, क्योंकि जब तुम हार मानते हो, तभी तुम्हारी असली हार होती है। आज भारतीय महिला खिलाड़ी केवल पदक नहीं जीत रहीं, बल्कि रूढ़ियां तोड़कर बेटियों को प्रेरित कर रही हैं और यह संदेश दे रही हैं कि खेल जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा है-संघर्ष, अनुशासन और आत्मविश्वास। आने वाले समय में जब इतिहास लिखा जाएगा तो यह कहा जाएगा कि इक्कीसवीं सदी में भारतीय महिलाओं ने खेलों की दिशा और स्वरूप को पूरी तरह परिवर्तित कर दिया।

● आशीष नेमा

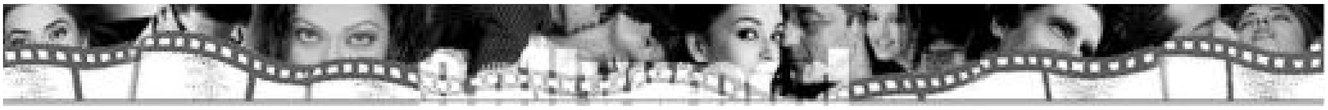

स्टारडम के नशे में चूर था ये सुपरस्टार... घमंड में आकर रिजेक्ट की जितेंद्र की फिल्म

फिरोज खान ने अपने दौर में एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया है। लेकिन साल 1984 में उन्होंने एक ऐसी फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था, जो बाद में जाकर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी।

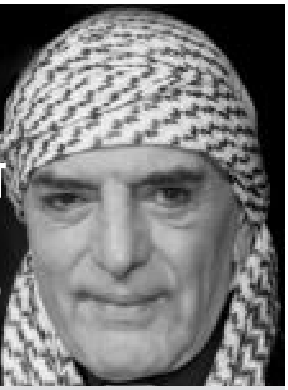

फिर रेखा के हीरो ने दे डाली ब्लॉकबस्टर

साल 1984 में निर्देशक राजकुमार कोहली एक कल्ट क्लासिक फिल्म लाए थे। फिल्म ने सिनेमाघरों में दस्तक देते ही बॉक्स ऑफिस को हिलाकर रखा दिया था। फिल्म में धर्मेंद्र और सुनील दत्त ने अहम भूमिका को अदा किया था। लेकिन इस फिल्म के लिए पहली पसंद फिरोज खान थे। राजकुमार कोहली हिंदी सिनेमा में वो फिल्ममेकर रहे जो अपने दौर में नागिन, नौकरी बीवी का और जानी दुश्मन जैसी फिल्में लेकर आए थे। कोहली साहब की फिल्ममेकिंग की खासियत ये हुआ करती थी कि वह मल्टी स्टारर फिल्म बनाना ही पसंद करते थे। कुछ इसी तरह की फिल्म वह साल 1984 में लेकर आए थे, जिसका नाम था– राज तिलक। उनकी दिली तमन्ना थी कि उनकी इस फिल्म में फिरोज खान काम करें। उस वक्त हर कोई उन्हें अपनी फिल्मों में देखना चाहता था। लेकिन फिरोज खान ने फिल्म को न कहकर राजकुमार कोहली का दिल तोड़ दिया था।

सुनील दत्त को मिला रोल... फिरोज का ये रोल बाद में सुनील दत्त को करना पड़ा। क्योंकि साल 1980 में आई फिरोज खान की फिल्म कुर्बानी हिट होने के बाद उनमें घमंड आ गया था। सक्सेस के नशे में चूर फिरोज खान ने उनकी ये फिल्म रिजेक्ट कर दी थी। फिल्म में रेखा संग ये आग कब बुझेगी में नजर आ चुके सुनील ने राज तिलक में फिरोज वाला किरदार निभाया। फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। राज तिलक में कई और स्टार भी नजर आए थे। जितेंद्र, सुनील दत्त के अलावा फिल्म में कमल हासन, प्राण, रंजीत, हेमा मालिनी, रीना रॉय, ओम प्रकाश, अजित, मदन पुरी, रजा मुराद और राज किरण जैसे सितारे नजर आए थे।

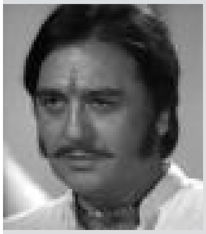

1984 की टॉप फिल्मों में है शामिल... बता दें कि आईएमडीबी की रिपोर्ट के मुताबिक, राज तिलक 3 करोड़ के बजट में तैयार हुई थी। हफ्तों तक ये फिल्म थियेटर से नहीं उतरी थी। लोगों ने इसे खूब पसंद किया था। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 8 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया था। ये फिल्म 1984 की सबसे अधिक कमाई करने वाली टॉप–5 फिल्मों में से एक है।

आमिर खान नहीं बनना चाहते थे प्रोड्यूसर, पिता की हालत देख लिया था फैसला

आमिर खान की गिनती बॉलीवुड के शानदार सितारों में होती है। उन्होंने प्रोड्यूसर के रूप में भी अपनी अलग पहचान बनाई है। आमिर खान ने लगान, डेली बेली, जाने तू या जाने ना, लापता लेडीज और धोबी घाट जैसी कई फिल्में बनाई हैं, जिन्हें क्रिटिक्स ने भी सराहा है। हाल ही में आमिर खान ने खुलासा किया कि शुरुआत में वे प्रोड्यूसर नहीं बनना चाहता थे। उन्होंने फिल्ममेकिंग की दुनिया में कदम सिर्फ इसलिए रखा, क्योंकि उनके पिता ताहिर हुसैन ने उन्हें ऐसा करने के लिए प्रेरित किया।

एक पॉडकास्ट में आमिर खान ने बताया कि कैसे अपने पिता को एक प्रोड्यूसर के रूप में संघर्ष करते हुए देखकर उन्होंने तय कर लिया था कि उन्हें इस लाइन में नहीं आना है। उन्होंने कहा, जब मैंने अपने पिता का करियर देखा, तो मुझे एहसास हुआ कि मुझे प्रोड्यूसर कभी नहीं बनना है। प्रोड्यूसर को सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, सारा रिस्क उसी का होता है और इसके बावजूद लोग उसी को गालियां देते हैं।

बॉलीवुड का वो बागी फिल्ममेकर... जिसकी पहली ही फिल्म हुई थी बैन

1998 में आई 1 मूवी ने बना दिया था स्टार

फिल्ममेकर अनुराग कश्यप का नाम आते ही दिमाग में बगावती अंदाज और हकीकत से जुड़ी कहानियां ताजा हो जाती हैं। उनका सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि समाज का आईना है।

10 सितंबर 1972 को गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में जन्मे अनुराग कश्यप आज निर्देशक, लेखक, प्रोड्यूसर और एक्टर– चारों भूमिकाओं में अपनी अलग पहचान रखते हैं। उन्होंने ब्लैक फ्राइडे, गैंग्स ऑफ वासेपुर, देव डी, अग्ली और मनमर्जियां जैसी फिल्में दी हैं, जिनमें जिंदगी की सच्चाई और गहरे किरदार दिखाई देते हैं।

पहली फिल्म पर लगा था बैन... अनुराग कश्यप को इंडिपेंडेंट और पैरेलल सिनेमा का सबसे बड़ा चेहरा माना जाता है। उनका स्टाइल हमेशा अलग, बागी और संवेदनशील रहा है, जिसने हिंदी फिल्मों को नया नजरिया दिया। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनकी पहली ही फिल्म पांच को सेंसर बोर्ड ने बैन कर दिया था। साल 2001 में उन्होंने फिल्म पांच बनाई थी, जो पांच दोस्तों की जिंदगी पर आधारित एक डार्क क्राइम थ्रिलर थी। फिल्म में हिंसा, गाली–गलौज और ड्रग्स का इस्तेमाल खुलकर दिखाया गया था। उस समय के हिंदी सिनेमा में यह सब नया था। सेंसर बोर्ड को फिल्म पसंद नहीं आई और उन्होंने इसे पास करने से साफ इनकार कर दिया।

सेंसर बोर्ड से भिड़ गया था फिल्ममेकर... अनुराग की इस फिल्म को बोर्ड ने कई कट लगाने की बात कही, लेकिन अनुराग ने मना कर दिया। उनका कहना था कि यह उनकी आर्टिस्टिक विजन के खिलाफ है। नतीजा यह हुआ कि फिल्म कभी रिलीज ही नहीं हो पाई। यह झटका उनके लिए बहुत बड़ा था और वह टूट गए। लेकिन यही हार उनके करियर की असली शुरुआत साबित हुई। उन्होंने सीखा कि सिस्टम से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका अपनी कला पर भरोसा रखना है। बाद में आई उनकी फिल्में ब्लैक फ्राइडे और गैंग्स ऑफ वासेपुर मास्टरपीस बन गईं। इनमें भी हिंसा, गालियां और डार्क रियलिटी बिना किसी फिल्टर के दिखाई गई। बता दें कि साल 1998 में वह फिल्म सत्या लेकर आए थे। इस फिल्म ने उन्हें रातोंरात स्टार बनाकर उन्हें अलग मुकाम पर पहुंचाया था। इस फिल्म की स्क्रिप्ट अनुराग कश्यप ने ही लिखी थी। इसके बाद अनुराग ने कई शानदार फिल्में कीं। जल्द ही अनुराग कश्यप ने राइटिंग के साथ डायरेक्शन में भी महारथ हासिल कर ली। अनुराग कश्यप ने अपनी फिल्म पांच के जरिए बतौर डायरेक्टर डेब्यू किया। लेकिन इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।

लोकतंत्र की हत्या

एक दिन मेरे मित्र भाई भरोसे लाल सुबह-सुबह ही आ धमके। मैं कहीं जाने को तैयार हो रहा था। परंतु बरसात के मौसम में कब बारिश आ जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसे ही मेरे मित्र भाई भरोसे लाल भी कब आ जाएं, मैं कुछ नहीं कह सकता और कुछ भी क्यों न हो क्योंकि मैं कोई मंत्री तो हूं नहीं। और मंत्री तो दूर की बात है मैं तो कहीं का पार्षद भी नहीं हूं। जो किसी को मुझसे मिलने के लिए पहले टाइम यानी समय लेने की जरूरत पड़े। और यह इंग्लैंड या अमेरिका या कनाडा और ऑस्ट्रेलिया आदि भी नहीं जो किसी के घर पहुंचने के लिए पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़े यानि समय लेना पड़े। यहां तो जब मर्जी आए तब जाकर किसी का भी दरवाजा खटखटा सकते हैं। पर भाई भरोसे लाल तो मेरे बचपन के मित्र हैं। वह मेरे साथ बहुत अधिकार पूर्वक मित्र भाव भी रखते हैं।

दूसरी बात यह है कि भाई भरोसे लाल धर्म संप्रदाय में भी विश्वास करते हैं और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन भी भगवान के डर के मारे करते रहते हैं। तो उन्होंने संत तुलसीदास जी की मित्र गुण वर्णन की चौपाइयां भी कई बार पढ़ीं है। जिसमें लिखा है कि जे न मित्र दुख होहिं दुखारी उन्हें बिलोकत पातक भारी। यह चौपाई उन्होंने कितनी ही बार पढ़ रखी है और उन्हें याद भी खूब है पर वे इसका अर्थ पंक्ति के अनुसार नहीं लगाते, अपितु दूसरा ही अर्थ लगाते हैं कि यदि वे दुखी हैं तो मित्रों को भी उन्हें दुखी कर ही देना चाहिए। वह मित्र के दुख में दुखी हों या न हों पर वे अपने दुख में मित्र को जानबूझकर दुखी करना ही सच्ची मित्रता मानते हैं। यदि खुद दुखी हैं तो दूसरों को भी दुखी जरूर करो। उनका यह मानना है।

वे सदा इसी सिद्धांत का पालन करते हैं। वह सुबह शाम ही नहीं रात के समय भी यानि कभी भी मेरे घर आ सकते हैं। आज भी वे अपने स्वभाव के अनुसार ही सुबह-सुबह ही घर धमके। मैंने राम-राम के बाद हलचाल पूछा, तो उन्होंने बड़ा बुरा सा कड़वा सा मुंह बनाकर कहा कि अब क्या-क्या बताऊं बंधु!

यहां बताऊंगा तो कहीं आप उन्हें दूसरों को न बता दें, मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं। पर जब वे अंदर आकर बैठ गए तो मैंने स्वाभाविक पूछा कि भाई कहां से आ रहे हो, तो उन्होंने खटारा पंखे की तरह अपना भाषण शुरू कर दिया कि भाई आजकल कतई पढ़ाई का तो बेड़ा ही गर्क हो चुका है। स्कूल में कोई मास्टर पढ़ाकर राजी नहीं है। बस सबको तनख्वाह से मतलब रहता है। बच्चों का भविष्य अंधेरे में डूबे तो डूब जाए। इन्हें इससे कोई मतलब नहीं है।

मास्टर तो मास्टर सरकार भी बच्चों के भविष्य के प्रति कोई ध्यान नहीं देती है। वह तो देश को अंधकार में ले जाना चाहती है और इन नेताओं को इतना भी पता नहीं कि बच्चे देश का भविष्य हैं। यदि बच्चों का भविष्य बिगड़ जाए तो देश का भविष्य ही बिगड़ जाएगा। पर उन्हें तो अपनी ही कुर्सी से मतलब रहता है। उन्हें बच्चों की पढ़ाई और देश के भविष्य से क्या लेना देना। असल में तो सरकार की शिक्षा नीति ही खराब है। भला ऐसे भी कहीं शिक्षा दी जाती है।

वह खटारा पंखे की खटर-खटर करे ही जा रहे थे। पर मैंने भी बीच में ही उनका बटन जानी स्विच ऑफ कर दिया और पूछा कि भाई इस तरह क्यों सबको कोस रहे हो। ऐसी क्या गलती कर दी सरकार ने। जो सुबह-सुबह ही श्लोक सुनाए जा रहे हों। पर मेरे प्रश्न पर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया और बजाए कारण बताने के सरकार को, शिक्षा नीति को तथा व्यवस्था आदि सबको कोसते रहे। पर मैंने जैसे-तैसे उनके इस भाषण पर ब्रेक लगाया तो उन्होंने बताया कि देखो आपके भतीजे को मैंने पूरा साल ट्यूशन भी पढ़वाया। वह बिना छुट्टी किए स्कूल भी जाता रहा। एक्स्ट्रा क्लास में भी जाता था। पर फिर भी स्कूल वालों ने उसे फेल कर दिया।

अब मुझे उनके गुस्से का कारण आसानी से समझ आ गया कि जैसे जब कोई नेता हार जाता है तो वह कभी ईवीएम पर दोष लगाता है और कभी सरकार पर और कभी चुनाव आयोग पर दोष मढ़ने लगता है। पर वह अपनी हार स्वीकार नहीं करता है कि उनकी पार्टी की भी नीतियां ठीक नहीं थी। ठीक ऐसे ही जैसे कोर्ट से दोषी ठहराए जाने के बाद विपक्षी नेता इसे प्रजातंत्र की हत्या बता देते हैं और थोड़ी-थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगते हैं। पार्टी के वर्कर सड़कों पर जलसे-जलूस करने लगते हैं। यहां तक तो ठीक है पर वे तो पुलिस से भी भिड़ने लगते हैं।

इतना ही नहीं सरकार पर भी बिना सिर-पैर के आरोप लगने लगते हैं कि सरकार विपक्ष का गला घोंट रही है और लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश में लगी है। पर हम रुकेंगे नहीं और ना ही अपनी गलती के लिए माफी मांगेंगे। हम तो सरकार से माफी मंगवाकर रहेंगे। हम जनता की लड़ाई लड़ते रहेंगे। पर उनसे यह पूछो कि भाई आप जनता की कौन-सी लड़ाई लड़ रहे हो। आप तो अपनी सजा के कारण जले जा रहे हो और जैसा किया वैसा तो भुगतना ही पड़ेगा और सजा तो आपको न्यायालय ने दी है। इसमें सरकार बीच में कहां से आ गई।

परंतु बस आप अपनी गलती न मानकर या उसे छुपाने के लिए इस दुनिया को कोस रहे हो। पर अपनी गलती की ओर ध्यान नहीं दे रहे हो। ऐसे ही मेरे मित्र भरोसे लाल भी अपनी और अपने छोरे की गलती ना मानकर कभी सरकार को गालियां देते हैं, तो कभी नेताओं को, कभी मास्टर मास्टरनियों को कोस रहे हैं। जबकि वह बच्चे की पढ़ाई पर यदि थोड़ा भी ध्यान देते तो उन्हें यह दिन क्यों देखना पड़ता। वे सोचते हैं कि बस पैसा खर्च करने से भी बच्चा पढ़ जाएगा। ठीक ऐसे ही जैसे कुछ व्यक्ति जबरदस्ती अपने पप्पू को नेता बनाने पर तुले हैं। ऐसे ही भाई भरोसे लाल के भी सपने तो बहुत ऊंचे हैं। पर अपनी गलती को न देखकर बाकी सब को दोष दे रहे हैं।

● **डॉ. वेद व्यथित**

SCIENCE HOUSE MEDICAL PVT. LTD.

D-10™ Hemoglobin Testing System

For HbA_{1c}, HbA_2 and HbF

Flexible
to solve more testing needs

Comprehensive
B-thalassemia and diabetes testing

Easy
for simple operation

Dependability is about more than keeping your laboratory running smoothly; It's about the quality diabetes care you support. That's why we developed the D-10™ System with reliability and efficiency in mind.

A simple, fully-automated solution, the D-10™ System Combines diabetes and B-thalassemia testing, enabling rapid HbA_{1c} or $HbA_2/F/A_{1c}$ testing using pripary tube sampling-so you can accomplish more in fewer steps, With the D-10™ System, It's easier to deliver a full picture of diabetes treatment progress- and that can be the difference for the people who count on you most.

Add:- C-65, Gautam Nagar, Near Chetak Bridge, Bhopal-462023
GST.No. : 23AAPCS9224G1Z5 Email : shbple@rediffmail.com
Phone : +91-0755-4241102, 4257687, Fax : +91-0755-4257687

ANU SALES CORPORATION

We Deal in Pathology & Medical Equipment

Address : M-179, Gautam Nagar, Near Chetak Bridge, Bhopal-462023

9329556524, 9329556530 Email : ascbhopal@gmail.com